Page No.1

राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

गुरुवार, ३० अप्रेल, १९५९

विधान सभा की बैठक म० पू० ८ बज कर ९ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

श्री पी० के० चौधरी

न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक्करण ।

१२६०. श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) Will the law minister be pleased to state:—

Is it correct that the Bapna Committee which was constituted by the Rajasthan Government to enquire into the question of separation of the Judiciary from the Executive has submitted its report to the Government ? If so, what are its recommendations ? Will the minister place a copy of the report on tne table of the House ?

विधिमंत्री, (श्री रामकिशोर व्यास) : Yes. The Committee has submitted its report to the Government and the same is under consideration. The rport will be printed and copies will be placed before the House in due course.

श्री पी. के. चौधरी : What are the recommedations of the Committee ?

श्री रामकिशोर व्यास : Did I not tell you that it is under consideration.

श्री पी. के. चौधरी : मेन रिकमन्डेशन ही बता दीजिये ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या सरकार ने यह मान लिया है कि जुडिशियरी को एग्जीक्युटिव से सेपरेट कर दिया जाय ।

श्री रामकिशोर व्यास : It is under ation.

Page No.2

श्री पी. के. चौधरी : Whether the Committee has recommended that the Government should take steps for separation of judiciary from the executive ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसीलिये तो कमेटी थी। रिपोर्ट में चेन्ज कहीं हो रहा है, वह आपके सामने भी आने वाली है।

श्री पी. के. चौधरी : क्या उसको छपाकर सदन के सामने रखा जायगा ? Whether the Committee has recommended separation ?

श्री रामकिशोर व्यास : सजेशन्स में है।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : What is the stage of the consideration ?

श्री रामकिशोर व्यास : गवर्नमेन्ट के पास आयी है।

श्री जनार्दनराय नागर : Whether the Committee has made any suggestions about it that judiciary should be separated from executive ? Whether there is any suggestion like that ?

श्री रामेश्वरदयाल (कोटा) : What are the difficulties in the early implementation of this report ?

श्री रामकिशोर व्यास : There are no difficulties, but it has to be considered.

श्री पी. के. चौधरी : When did the Government receive the report ?

श्री रामकिशोर व्यास : तारीख तो मेरे पास नहीं है।

श्री जनार्दनराय नागर : Can we hope against hope ?

श्री रामकिशोर व्यास : Not hope against hope. You should have every hope.

श्री पी. के. चौधरी : How long the Government will take in this consideration ?

श्री रामकिशोर व्यास : समय तो नहीं बता सकता, हाई कोर्ट के पास जायगा, रेवेन्यू बोर्ड के पास जायगा।

श्री पी. के. चौधरी : How many pages does the report contain ?

श्री रामकिशोर व्यास : बेकरारी क्या है ? मेरी समझ में नहीं आई। रिपोर्ट पब्लिश होकर आपके सामने पेश की जायगी, जो कन्सर्न है उन से राय तो लेनी पड़ेगी।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलुम्बर): Sir, the Hon'ble Member from Mavli is sitting on that side. What is the matter ?

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : Is this some other side or different Sir ?

श्री सोहनलाल भटनागर : Not different, but the rule is that ordina-

Page No.3

(श्री मोहनलाल भटनागर)

rily the members should sit on their usual seats.

श्री जनार्दनराय नागर : Hon'ble Speaker, Sir, the Hon'ble Member is suffering from the disease of sides.

श्री पी० के० चौधरी : At what time it is expected that this report will be printed and circulated to the Hon'ble Members,

श्री रामकिशोर व्यास : जब भी तैयार हो जायगी ।

प्रश्न संख्या १२६१.

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित)

बारां नगर में चोरियां ।

१२६२. **श्री रामेश्वरदयाल** (कोटा) : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) पिछले दस वर्षों में बारां नगर में चोरी के कितने मामले दर्ज हुए, कितनी चोरियां बरामद हुई और कितनों में मुलज़िमान सजायब हुए ?

(ख) बारां पुलिस का मौजूदा स्टाफ, जिसमें कॉन्स्टेबिल्स भी शामिल हैं, कितने साल से बारां में ही है ?

गृहमंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) :

(क) पिछले दस वर्षों में बारां नगर में चोरी के १३६ मुकदमें दर्ज किये गये, जिनमें से ६४ मुकदमों के अपराधी गिरफ्तार किये गये, ६८ मुकदमों का माल बरामद किया और ५५ मुकदमों के अपराधियों को जेल हो चुकी है ।

(ख) सिर्फ एक कॉन्स्टेबिल वहां पर सन् १९५४ से तैनात हैं और बकाया स्टाफ वहां पर सन् १९५६, ५७, १९५८ और १९५९ से है ।

श्री रामेश्वरदयाल : Is the Government prepared to make an enquiry into the fact that in 80 percent cases in which theft took place, the stolen property was not recovered and the accused were not challaned.

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो मैंने बता दिया कि कितने केसेज़ हुए ।

श्री रामेश्वरदयाल : No, but is the Government prepared to make a probe into the fact that in 80 percent cases the stolen property was not recoverd and accused were not challaned ?

श्री रामकिशोर व्यास : I have given you the information, now it is for you to make calculation. I have placed the facts before you and it is for you to infer.

श्री रामेश्वरदयाल : But is the Government prepared to make a probe ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने आपको

Page No.4

(श्री रामकिशोर व्यास)

बता दिया कि इतने केसेज़ की रिपोर्ट दर्ज हुई, उसमें से ६४ के तो अपराधी गिरफ्तार किये गये, ६८ मुकदमों का माल बरामद किया और ५५ मुकदमों के अपराधियों को जेल की सजा हो चुकी है।

श्री रामेश्वरदयाल : Hon'ble Speaker, my question is specific. Whether the Government is prepared to make a probe into the fact that in 80 percent cases in which theft took place, the property was not recovered and challans were not put up, and thus give an opportunity to people to prove it.

श्री रामकिशोर व्यास : १३६ मुकदमें दर्ज किये गये।

श्री रामेश्वरदयाल : That is not point...

श्री रामकिशोर व्यास : इसका पर्सेन्टेज निकाल लें। ६४ मुकदमों में अपराधी गिरफ्तार किये गये, ६८ मुकदमों में माल बरामद हुआ है।

श्री रामेश्वरदयाल : Why in rest of the cases the thefts were not recovered ?

श्री रामकिशोर व्यास : ६४.....

श्री रामेश्वरदयाल : बाकी के मुकदमें बरामद नहीं हो सके इसमें क्या कारण है ? What are the reasons ?

श्री रामकिशोर व्यास : इन्डिविज्युअल केसेज़ के लिए फरमायें तो बता सकता हूं।

श्री रामेश्वरदयाल : Is it not a fact that most the members of the staff of the police are there for the last 10 years and they have not been transferred ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो मैंने अपने जवाब में अर्ज़ कर दिया, सिर्फ एक कॉन्स्टेबिल वहां पर सन् १९५४ से तैनात है।

श्री रामेश्वरदयाल : But, Sir. this is not a fact. It happened that they were transferred again and they were retransferred.

श्री रामकिशोर व्यास : एक्चुअली गलत हो तो आप नोटिस में लायें। I will verify and enquire.

श्री अध्यक्ष : Next.

हिन्डौन से जगर बान्ध तक सड़क निर्माण

१२६३. **श्री उम्मेदीलाल** (करौली-सु०): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार हिन्डौन से जगर बान्ध तक सड़क बनाने का इरादा रखती है ?

(२) अगर हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो सकेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथू-

Page No.5

(श्री नाथूराम मिर्धा)

राम मिर्धा) । १. ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

२. प्रश्न नहीं उठता ।

पाली जिले के बूसी गांव के भूतपूर्व सरपंच के विरुद्ध खयानत व गबन का मामला

१२६४. श्री शंकरलाल (रायपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे : क्या यह सही है कि पाली ज़िले के बूसी गांव के भूतपूर्व सरपंच के विरुद्ध मुख्य पंचायत अधिकारी द्वारा खयानत व गबन का मामला एन्टीकरप्शन विभाग को दिया गया था ? यदि हां, तो आज तक क्या कार्यवाही हुई ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : मुख्य पंचायत अधिकारी, राजस्थान द्वारा दिनांक २२–८–५८ को सूचना प्राप्त होने पर भ्रष्टाचार विरोधी विभाग में अभियोग पंजीबद्ध किया गया था जो जेर तफतीश है ।

श्री शंकरलाल : यह जांच एन्टीकरप्शन विभाग में किस अधिकारी ने की ?

श्री रामकिशोर व्यास : किस अधिकारी ने जांच की, यह बताना उचित नहीं है।

श्री शंकरलाल : क्या इस प्रकार की शिकायत माननीय मन्त्री महोदय के समक्ष पेश हुई थी कि जो अधिकारी जांच कर रहे हैं ये भूतपूर्व सरपंच के रिश्तेदार हैं इसलिये इसकी जांच ठीक नहीं हो सकती ?

श्री रामकिशोर व्यास : आपकी बात एन्टीकरप्शन के आई० जी० के नोटिस में ला दी गई थी ।

नगरपालिकाओं द्वारा कम्पोस्ट मेन्योर तैयार करने के सम्बन्ध में

१२६५. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में कितनी नगरपालिकायें हैं ?

(२) किस किस नगरपालिका के द्वारा प्रति वर्ष कितना कम्पोस्ट मेन्योर तैयार किया जाता है ? तथा इसमें कितना बेचा जाता है ?

(३) सन् १६५३, ५४, ५५, ५६ तथा ५७ की आय के आंकड़ों की एक तालिका कृपया सदन की मेज़ पर रखने का कष्ट करें ।

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) १५४ ।

(२) १०० नगरपालिकायें कम्पोस्ट तैयार करती हैं । कितना कम्पोस्ट तैयार किया गया और कितना बेचा गया इसकी सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(३) आंकड़ों की तालिका सदन की मेज़ पर रखवा दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री दयाकृष्ण विजय : यह आपने जो सूची दी है उसमें यह नहीं बताया गया है कि कितना कम्पोस्ट बेचा गया इसके लिये आपने लिखा है कि आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

Page No.6

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : म्युनिसिपैलिटी इस प्रकार के आंकड़े नहीं रखती।

श्री दयाकृष्ण विजय : मैंने यह प्रश्न किया है कि कितना खाद तैयार किया जाता है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : म्युनिसिपैलिटी इसका वजन तो करती नहीं, जितना भी खाद होता है बेच देते हैं। इसके फीगर्स नहीं हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : यह किस तरह से बेचते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : गाड़ी के हिसाब से या ट्रक के हिसाब से बेच देते हैं, तोला नहीं जाता।

श्री दयाकृष्ण विजय : कितना तैयार होता है कितना बेचा जाता है इसके आंकड़े तो रखते होंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने आपसे निवेदन किया कि कितना तैयार होता है, कितना बेचा जाता है इस प्रकार के आंकड़े नहीं रखे जाते।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या सरकार इस बात के अन्दाज़ के लिये कि कितना खाद तैयार होता है कितना बिकता है इसके आंकड़े रखने के लिए म्युनिसिपैलिटी से कहेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह काम सरकार का नहीं है म्युनिसिपैलिटीज़ के करने का काम है।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या सरकार म्युनिसिपैलिटीज़ को इस प्रकार के डाइरेक्शन देगी कि कितना खाद बिकता है, इसके आंकड़े रखे जायं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : गाड़ी और ट्रक के हिसाब से बेचती है।

श्री दयाकृष्ण विजय : आपने जो आंकड़े दिये हैं उससे ऐसा पता चलता है १६५२, ५३ में जितना कम्पोस्ट तैयार हुआ उसके मुकाबले में रिडक्शन होता जा रहा है, इसका क्या कारण है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं तो इस बारे में और जवाब दे नहीं सकता, म्युनिसिपैलिटी जवाब दे सकती है।

सहकारी समितियों को लोन देते समय उसमें कटौती

१२६६. **श्री लक्ष्मीचंद (सांचोर)** : क्या मन्त्री, सहकारी विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे : (क) क्या सहकारी समितियों को लोन देते समय कोई कटौती की जाती है ? यदि हां, तो कितने पर्सेन्टेज की जाती है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि ज़िला जालोर में लोन देते वक्त १५ पर्सेन्ट कटौती की जाती है ? यदि नहीं, तो क्या इस प्रकार की कटौती करने की कोई शिकायत सरकार के पास इस ज़िले से आई है ? यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उपमंत्री, सहकारी विभाग (दौलतराम सारण) : (क) जी हां, १० प्रतिशत।

(ख) जी नहीं।

(१) जी हां।

Page No.7

(श्री दौलतराम सारण)

(२) जांच की जा रही है।

श्री लक्ष्मीचंद : कौन अधिकारी जांच कर रहे हैं।

श्री दौलतराम सारण : असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, सिरोही।

पंचायतों के अधिकार

१२६७. **श्री रामेश्वरदयाल** (कोटा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार पंचायतों को अधिक अधिकार देने का विचार रखती है ?

(२) यदि हां, तो इस बढ़ते हुए भार को सुविधापूर्वक वहन करने की दृष्टि से क्या मध्यभारत में प्रचलित प्रणाली के अनुसार पंचायत एक्ट में परिवर्तन कर सरकार न्याय पंचायत और प्रशासनिक पंचायत पृथक करने का विचार रखती है ?

(३) क्या सरकार नव निर्वाचित पंचों को न्याय व्यवस्था की शिक्षा देने के लिये योग्य अभिभावकों द्वारा अल्पकालीन शिवरों के आयोजन करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां।

(२) जी नहीं।

(३) जी हां, न्याय व प्रशासन तथा अन्य पंचायत कार्यों के प्रशिक्षण के लिये आवश्यकतानुसार अल्प विधि शिवर आयोजन का विचार है।

श्री रामेश्वरदयाल : क्या सरकार यह ठीक समझती है कि न्याय विभाग और प्रशासनिक विभाग एक ही के हाथ में रहना चाहिये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो कानून बना हुआ है पंचायत एक्ट में इस प्रकार के अधिकार हैं।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : मेहता कमेटी की रिपोर्ट में यह सजेशन है कि जुडिशियरी और प्लानिंग का फंक्शन अलग अलग रखा जाय ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इस सजेशन को गवर्नमेन्ट मानती है कि जुडिशियरी के सब फंक्शन्स पंचायतों के अन्दर सेन्ट्रेलाइज़ करना चाहती है।

श्री श्रीभानसिंह : डिस्सेन्ट्रेलाइज़ करने के अन्दर क्या पंचायतों को जुडिशियल फंक्शन से अलग रखना चाहती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज किया मेहता कमेटी की रिपोर्ट के बारे में विचार हो रहा है, उसके मुताबिक कार्यवाही की जायगी।

श्री भीमसेन (श्री लूणकरणसर) : सरकार पंचायतों को और कौन कौन से अधिकार दे रही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो वह लेने को तैयार है वे सभी देने को तैयार हैं।

Page No.8

श्री भीमसेन : आपने कहा, और दे रहे हैं, तो वे क्या दे रहे हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह तो डिसेन्ट्रेलाइज़ कर रहे हैं जिन्हें मेहता कमेटी के रूप में हाउस में बताया जा चुका है ।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : न्याय पंचायत बनाने को सरकार तैयार है क्या, मेहता कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार ?

श्री अध्यक्ष : वे इसका उत्तर दे चुके हैं ।

श्री श्रीभानसिंह : क्या गवर्नमेन्ट ने मेहता कमेटी के इन प्रोपोज़ल को टोटली माना है या कुछ को माना है कुछ को नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : डिस्सेन्ट्रेलाइज़ का सिद्धान्त तो मान लिया है । अब पॉवर्स देने की बात नहीं है, पॉवर्स तो ऑलरेडी जुडिशियरी के उसको दिये हुए हैं, वह तो सेपरेट करने की बात है । गवर्नमेन्ट के पास तो कोई पावर हैं नहीं, और न रखना चाहती है ।

बीकानेर पॉवर हाउस के मिनिस्टीरियल स्टाफ का वेतन

१२६८. श्री गिरधारीलाल (नोखा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सत्य है कि बीकानेर पॉवर हाउस के मिनिस्टीरियल स्टाफ को बीकानेर स्टेट से मिल रहे ज्यादा महंगाई भत्ते को उनकी सालाना तरक्कियों में मर्ज किया गया है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि वहीं के टैक्निकल स्टाफ को ज्यादा मिल रहे महंगाई भत्ते को सिर्फ महंगाई भत्ते में ही एड्जस्ट किया गया है जब कि मिनिस्टीरियल स्टाफ को ऐसी सुविधा नहीं दी गई ?

उपमन्त्री, सिंचाई विभाग (श्री भीखाभाई) : (क) बीकानेर पॉवर हाउस मिनिस्टीरियल स्टाफ को अधिक मिलता हुआ महंगाई भत्ता सालाना तरक्कियों में मर्ज करना है किन्तु कर्मचारियों के रिप्रेजेन्टेशन के कारण यह प्रश्न विचाराधीन है ।

(ख) जी हां ।

श्री रामचन्द्र (डग-सु.) : कर्मचारियों की ओर से क्या रिप्रेजेन्टेशन दिया गया है ?

श्री भीखाभाई : जो पहले उनके वेतन स्केल थे उनके अनुसार बढ़ाया जाय, ऐसा कुछ है ।

श्री रामचन्द्र : यह प्रश्न कब से विचाराधीन है ?

गृहमंत्री, (श्री रामकिशोर व्यास) : वह हरिजनों का तो है नहीं ।

श्री रामचन्द्र : हरिजनों के नाम से आप इतने क्यों नाराज़ होते हैं ? वह प्रश्न आवेगा तो वह भी पूछा जावेगा ।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं बहुत खुश होता हूं आप जब पूछते हैं उनके बारे में तो ।

श्री रामचन्द्र : बहुत तेश आ जाता है आपको हरिजनों के नाम से ।

श्री रामकिशोर व्यास : नहीं, बिल्कुल नहीं आता है ।

Page No.9

(श्री रामकिशोर व्यास)

उनका रिप्रेज़ेन्टेशन यह था कि यूनिट पे स्केल में डीयर नैस ज्यादा मिलना चाहिये ।

श्री गिरधारीलाल : इस प्रश्न का कब तक फैसला कर दिया जावेगा ।

श्री रामकिशोर व्यास : जल्दी ही ।

श्री गिरधारीलाल : क्या सरकार कोई निश्चित तारीख बताने की हालत में है ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी नहीं ।

१६५३-५४ में अधिक अन्न उपजाओ योजना के अन्तर्गत अमोनियम सल्फेट का क्रय तथा वितरण

१२६६. श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा): Will the Agriculture Minister be pleased to state :—

(1) Is it correct that in the year 1953-54 the State Government obtained a loan of Rs. 15,00,000 from the Central Government to purchase and distribute Ammonium Sulphate under Grow More Food scheme ?

2) Is it correct that the loan money has not yet been repaid ? If so, what is the total liability still outstanding including the interest charges on this amount ?

(3) How much Ammonium Sulphate was purchased with this amount ? Whether tenders were called before the purchases were made ? What were the rates offered by the various firms ? The names of the firms and the rates at which orders were placed with them and the quantity supplied by each of them may be given ?

(4) How much of the Sulphate was consumed during the year 1953-54 and what is the amount realised from its sale ?

(5) What was the average purchase cost of the Sulphate per maund, and at what rate it was supplied to the agriculturists ?

उप मन्त्री, कृषि विभाग (श्री दौलतराम सारण) : (१) इस प्रयोजनार्थ भारत सरकार से केवल १७, ८८, ६०० रुपये उधार लिये थे । १५ लाख रुपये नहीं ।

(२) भारत सरकार को ३, १६, ६४५) रुपये का वापिस भुगतान कर दिया गया है । शेष १४, ७१, ६५५) रुपये भारत सरकार को चुकाया जाना बाकी है । ३१-३-५८ तक का व्याज भारत सरकार को अदा कर दिया गया है ।

(३) ६०६४.६ टन अमोनियम सल्फेट खरीदा गया था । कोई टेन्डर नहीं मांगे गये थे । अतः प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(४) १६५३।५४ में १६५७.६५ टन अमोनियम सल्फेट वितरित किया गया था । १, ०६, २२७) रुपये वसूल किये गये थे ।

(५) क्रय मूल्य सिंदरी कारखाने पर (Ex Sindri) २६७) रुपये प्रति टन (११

Page No.10

(श्री दौलतराम सारण)

रुपये प्रति मन) था और विक्रय मूल्य ३८० रुपये प्रति टन (१४ रुपये प्रति मन) था।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : टेन्डर न मांगने का क्या कारण था ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : यह खाद जितना हमारे यहां आता है वह भारत सरकार के बिहाफ पर आता है और भारत सरकार के चार, पांच सेन्टर हैं। अब जो सेन्टर हमारे क्षेत्र में आता है या जिस सेन्टर के अन्तर्गत हम हैं वहां से हमें खाद मिलता है और वह भारत सरकार की एक निर्धारित रेट पर मिलता है इसलिये इसमें टेन्डर की आवश्यकता नहीं थी। यह बाज़ार में भी नहीं बिकता है।

श्री श्रीभानसिंह : कौनसा सेन्टर हमारा पड़ता है, किस सेन्टर से मंगाया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : राजस्थान के लिये इन्दौर है, मेरे ख्याल से। जहां तक मुझे याद है। अलग अलग स्टेटों के लिये अलग अलग सेन्टर मुकर्रर हैं। अपनी स्टेट के लिये जो सेन्टर है वहीं से मंगाया गया। इसलिये सस्ता महंगा का सवाल नहीं आता।

श्री पी० के० चौधरी : What wasthe nearest centre to Rajasthan ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वहीं से राजस्थान लेता है।

श्री पी० के० चौधरी : क्या राजस्थान सरकार को सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने कहा था कि दिल्ली सेन्टर ले लीजिये, इन्दौर से मत लीजिये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह हाइपोथेटिकल सवाल करते हैं।

श्री पी० के० चौधरी : जब कि आपने दो लाख रुपया गवर्नमेन्ट से लोन लिया और आपकी पर्चेज़िंग प्राइस २६७) रुपया है और सेलिंग प्राइस ३१८) रुपया है तो यह जो डिफरेन्स आया उसे आपने उन दो लाख के पेटे सरकार को चुकाया या नहीं ?

The selling price is 318/-. You have sold it at a profit. So why were not you able to return the entire money to the Government of India ? What is the reason the amount is not being recovered ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जितनी वसूली होती है वह पैसा फाइनेन्शियल विभाग वसूल करता है। जितना वह ठीक समझता सरकार को लौटाता है, बाकी का व्याज देते हैं।

श्री पी० के० चौधरी : क्या आपने अपनी देनदारी सरकार को चुकाई है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : एक फैसला कर देते हैं उसमें बेच हम देते हैं, वसूली फाइनेन्स विभाग करता है। आप उनसे पूछिये यह सवाल।

श्री श्रीभानसिंह : Is the recovery done by the Finance Department or by the Agriculture Department ?

श्री नाथूराम मिर्धा : The recovery

(श्री नाथूराम मिर्धा)

is done by the Agricultured epartment and it is being done regularly.

श्री पी० के० चौधरी : Whose responsibility is this ?

श्री अध्यक्ष : He says it is Agriculture Department.

श्री नाथूराम मिर्धा : I said it is being done by the Agriculture Department and it is being done regularly. There is no complaint about it.

श्री पी० के० चौधरी : If it is being regularly recovered, then why these 14 lakhs are due ?

श्री नाथूराम मिर्धा : I tell you there are so many transactions between the State Government and the Government of India and adjustment of these payments is the work of Finance Department. Therefore, you please ask this question from the Finance Department.

श्री पी० के० चौधरी : What I mean, Sir is whether the whole amount has been recovered from the agriculturists ?

श्री अध्यक्ष : That he has assured that it is being done every year.

श्री नाथूराम मिर्धा : I said there was no complaint regrding recovery. It is going on according to rules.

श्री अध्यक्ष : Shri Ram Narain Verma.

ग्राम बालून्दा तहसील मांगरोल के पास नहर पर पुल

१३००. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपलदा-सु०) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करें :

(१) क्या सरकार को विदित है कि ग्राम बालुन्दा, तहसील मांगरोल ज़िला कोटा में कैनाल पर जो पुल बनाया गया है वह ग्राम से काफी दूर होने से किसानों को अपने खेतों में पहुंचने के लिये पांच छ: मील का चक्कर काटना पड़ता है ?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार बालुन्दा के निकट दूसरे पुल का निर्माण कब तक करना चाहती है ?

उपमन्त्री सिंचाई विभाग (श्री भीखाभाई) : (१) जी हां ।

(२) जी हां, बालुन्दा के निकट में ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चम्बल नहर पर पार्वती Aqueduct के साथ ही पुल का निर्माण कार्य जारी है ।

डॉ० चन्द्रकला (किशन पोल, बाजार जयपुर) : पहला पुल बनाया गया वह इतना दूर क्यों बनाया गया कि गांव वालों को उससे विशेष लाभ न हो ?

श्री भीखाभाई : कई गांवों का सवाल है, एक का नहीं ।

तहसील दौसा में औषधालय

१३०१. **श्री रामधन** (दौसा) :

(श्री रामधन)

क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) तहसील दौसा में कितने औषधालय हैं और कहां कहां पर ?

(२) क्या वह औषधालय जनता के लिये पर्याप्त है ?

(३) क्या सरकार इस साल भी औषधालय खोलने का विचार रखती है ?

उप-मन्त्री स्वास्थ्य विभाग (श्री भीखाभाई) : (१) तहसील दौसा में केवल एक औषधालय ग्राम सैंथल में है ?

(२) यह प्रश्न ज़िला विकास समिति के विचारणीय है ।

(३) जी नहीं ।

डॉ० चन्द्रकला (किशन पोल बाजार, जयपुर) : कौनसा प्रश्न ज़िला विकास समिति के विचाराधीन है ?

श्री भीखाभाई : औषधालय कितने और कहां कहां खोले जाने चाहिये ।

डॉ० चन्द्रकला : तो क्या अगले साल कितने औषधालय कहां खोले जावें इसकी रिपोर्ट ज़िला विकास समिति ने नहीं दी है ?

श्री भीखाभाई : पहले दी है । जिनके नाम दिये उनकी तो सूची है । दूसरे कहां खोलने के लिये सिफारिश करने का प्रश्न है । इसके बारे में ज़िला समिति अपनी सम्मति देती है ।

डॉ० चन्द्रकला : क्या ज़िला विकास समितियों को आदेश नहीं है कि अगले साल खोले जाने वाले औषधालयों का निर्णय किसी अमुक अप्रेल या मई के ऐसे किसी महीने तक कर के भेज दें । कब तक विचाराधीन यह रहेगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : ऑलरेडी लिस्ट दे रक्खी है ।

डॉ० चन्द्रकला : इस दौसा तहसील के लिये कोई सिफारिश कर रक्खी है या विचाराधीन है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ; इसके बारे में क्या है यह अभी नहीं कह सकता ।

डॉ० चन्द्रकला : आपने कहा कि ज़िला विकास समिति के विचाराधीन है । वे तो कभी की अपनी मीटिंग कर चुके, सिफारिश भेज भी चुके, अब क्या विचाराधीन है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ज़िला विकास समिति ने जहां जहां ठीक समझा इसके बारे में रिकमन्डेशन दी है । अब आगे दौसा में रिकमन्डेशन दी है । अब आगे 'दौसा में सभी जगह खोलने की हमारे पास गुंजाइश नहीं है ।

डॉ० चन्द्रकला : उत्तर यह दिया गया कि ज़िला विकास समिति के विचाराधीन है । इसका क्या मतलब है । कब कैसे क्या होगा यह जवाब समझ में नहीं आया ?

श्री भीखाभाई : विचाराधीन है यह नहीं, विचारणीय है यह मैंने कहा है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज किया कि हमने अब से नौ औषधालय के लिये रिकमन्डेशन मांगी है। और वे रिकमन्डेशन आई हुई हैं।

श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : जो ६ औषधालय खोलने की रिकमन्डेशन है उसको आपके पास में भेजने के लिए तकाज़ा किया था कि कौनसी तारीख तक वह सिफारिश आ जानी चाहिए।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : दो साल पहले से आई हुई हैं ६ औषधालय की।

डॉ० चन्द्रकला : लेकिन हम सब ज़िला विकास समिति के सदस्य हैं वह जानते हैं। शायद माननीय सदस्य यह जानना चाहे कि जो सिफारिशें जिला विकास समिति ने की हैं उसके अनुसार सरकार का इरादा है क्या जैसा कि प्रश्न के भाग (३) में कहा गया है। इसके बारे में सरकार का जवाब चाहिए।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ज़िला विकास समिति की रिकमन्डेशन पर अमल करने की कोशिश करते हैं। अगर उन्होंने रिकमन्डेशन की है तो खोला जायगा। अगर आप यह कहें कि अपनी मर्जी से खोल दिया करें तो वैसा ही होगा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या सरकार ज़िला विकास समिति की सभी सिफारिशों को मानती है।

श्री अध्यक्ष : श्री मंगलसिंह।

पशु उन्नति का माप दन्ड

१३०२. श्री मंगलसिंह (रानीवाड़ा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पशु उन्नति का सरकारी मापदण्ड क्या है तथा इसमें किन किन पशुओं को सम्मिलित रखा गया है ?

(ख) द्वितीय पंच वर्षीय योजना में इस हेतु कितनी धन राशि स्वीकृत की गई है व उसमें से कितनी खर्च हुई है ?

उप-मंत्री, कृषि विभाग (श्री दौलतराम सारण) : अध्यक्ष महोदय, इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी है। उसमें थोड़ा समय लगेगा।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : उपलब्ध नहीं है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आंकड़े नहीं है या रकम नहीं है, क्या चीज़ नहीं है ?

श्री दौलतराम सारण : इसमें काफी जानकारी खर्चे की मांगी गई है उसके उपलब्ध करने में टाइम लगेगा।

श्री अध्यक्ष : (ख) भाग का तो उत्तर दे सकते थे।

श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : इसमें क्या डिटेल जानकारी मांगी गई है। केवल मापदण्ड मांगा गया है।

श्री अध्यक्ष : That is a very general and almost a vague question. (ख) का उत्तर दे सकते थे। केवल (क) भाग का उत्तर आप नेक्स्ट टर्न पर दें दें।

श्री भैंरोसिंह

Page No.14

श्री भागीरथसिंह की गिरफ्तारी

१३०३. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(क) क्या यह सही है कि पुलिस कोतवाली जयपुर ने दिनांक १६–११–५८ को श्री रामनिवास हारीत की रिपोर्ट पर श्री भागीरतसिंह बी.ए.एल एल. बी वकील को जुर्म दफा ३२४, ४५२ में गिरफ्तार किया था ?

(ख) यदि हां, तो श्री रामनिवास ने क्या रिपोर्ट दी और कौन सी तारीख को दर्ज कराई ? कृपया उसकी एक प्रतिलिपि सदन की मेज़ पर रखने का कष्ट करें।

(ग) श्री रामनिवास के क्या कोई चोट लगी थी ? यदि हां, तो उनका कब डॉक्टरी मुआयना कराया गया ? कृपया इन्क्वायरी रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि सदन की मेज़ पर रखने का कष्ट करें।

(घ) क्या यह सही है कि श्री रामनिवास तथा श्री भागीरथसिंह में एक कन्स्ट्रक्शन वर्क को लेकर झगड़ा हुआ ?

(ङ) क्या यह सही है कि इस मुतनाजा भूमि (डिस्प्यूटेड लैण्ड) को सूरजभान सब-इन्स्पेक्टर ने कुर्क करने का हुक्म देकर तामीर की कार्यवाही बन्द करने का लिखित आदेश श्री भागीरथसिंह को दिया गया था ?

(च) क्या यह सही है कि सब-इन्स्पेक्टर को इस प्रकार की कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं है ? यदि हां, तो फिर इसके लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : अध्यक्ष महोदय, यह केस सब-जुडिस है इसलिए इस पर बहस नहीं की जा सकती है।

श्री भैरोंसिंह : सब्जुडिस तो है लेकिन सब-इन्स्पेक्टर ने जो आॅर्डर दिया है उसके बारे में बता दें।

श्री रामकिशोर व्यास : नहीं यह मामला सब्जुडिस है।

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर चन्द्रकला।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): सब्जुडिस की इन्फोर्मेशन आपने स्पीकर साहब को नहीं दी थी क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास : वहां पर भी दे दी और आपको भी अर्ज कर दूं।

श्री श्रीभानसिंह : आप इन्फोर्मेशन दे देते तो यह प्रश्न ही नहीं आता।

श्री अध्यक्ष : It was given after we had printed the question.

जयपुर नगर के निकट ग्राम रामपुरा, गोपालपुरा, भोजपुरा को पंचायत क्षेत्र में लेने के संबंध में।

१३०४. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:–

(१) जयपुर नगर के निकट स्थित गांव रामपुरा, गोपालपुरा, भोजपुरा, नगरपालिका के क्षेत्र में है अथवा पंचायत के ?

Page No.15

(डॉ० चन्द्रकला)

(२) क्या सरकार इन गांवों की प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से इन्हें नगरपालिका क्षेत्र से निकाल कर पंचायत क्षेत्र में रखने का विचार रखती है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) रामपुरा नाम के कई गांव हैं जिनमें बस्सी सीतारामपुरा जयपुर नगरपालिका की सीमाओं में है बाकी म्युनिसिपल लिमिट से बाहर है। भोजपुरा म्युनिसिपल लिमिट में है। गोपाल पुरा लिमिट से बाहर है और पंचायतक्षेत्र में शामिल है ।

(२) बस्सी सीतारामपुरा जो पानीपेंच के पास है और भोजपुरा जो गांधीनगर से मिला हुआ है इन दोनों बस्तियों की ऐसी स्थिती है कि इनको नगरपालिका की सीमा से बाहर किया जाना संभव नहीं है ।

डॉ० चन्द्रकला : तो क्या सरकार को यह मालूम नहीं है कि जो गांधीनगर के पास में रामपुरा है उसका आधा भाग म्युनिसिपल एरिया में है और आधा भाग पंचायत के क्षेत्र में है। यही नहीं कहीं पर ऐसा है कि एक भाग म्युनिसिपल एरिया में आता है तो घर का दूसरा भाग ग्राम पंचायत में आता है तो इस बात में बड़ी दिक्कत होती है, लोगों को ।

श्री अध्यक्ष : दो जगह वोट दे सकते हैं ।

(हंसी)

डॉ० चन्द्रकला : वोट दे सकते हैं लेकिन जब घर का काम करना होता है तो यह म्युनिसिपल कमेटी में जायगा और खेत के लिए ग्राम पंचायत में जाना पड़ता है सांगानेर, तो क्या सरकार प्रशासनिक दृष्टि से सोचकर उसकी सीमा निर्धारित करेगी ?

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : दोनों का लाभ उठा सकते हैं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अगर वे म्युनिसिपैलिटी में या ग्राम पंचायत में रहना चाहते हैं वहां जनता की मांग आयेगी तो करेंगे ।

डॉ० चन्द्रकला : वहां की जनता की मांग आई थी कि या तो उनको पूरे का पूरा नगरपालिका के क्षेत्र में रखा दिया जाय । क्या सरकार इस प्रकार का नगरपालिका को सुझाव देगी कि अपनी सीमा को बढ़ाकर उस पूरे के पूरे गांव को अपनी लिमिट में ले ले ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जनता की मांग नहीं आई है। अगर वे चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है चाहे वे म्युनिसिपैलिटी में जायं या पंचायत में ।

डॉ० चन्द्रकला : सरकार का क्या इरादा है कि उनको ग्राम पंचायत में दिया जाय या नगरपालिका में तो उसी तरह का इरादा बतलायें ।

श्री अध्यक्ष : इरादा इतना जल्दी नहीं दे सकते ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सरकार का कोई इरादा नहीं है। उनका जी चाहे तो पंचायत में जा सकते हैं और जी चाहे तो म्युनिसिपैलिटी को दे दें ।

चाकसू से गोलीराव तालाब तक सड़क निर्माण

१३०५ **प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(क) तहसील चाकसू खास में जो सड़क स्टेशन से तहसील के सामने से गोलीराव तालाब तक जाती है वह किस सन् में किस ठेकेदार द्वारा बनवाई गई थी ?

(ख) अब उस सड़क की मरम्मत हुए कितने साल हो गये और सड़क की हालत कैसी है ?

(ग) क्या यह सच है कि जब से सड़क बनकर तैयार हुई तब से अब तक कोई मरम्मत नहीं हुई ?

(घ) अब सरकार उनकी कब तक मरम्मत का विचार रखती है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) यह सड़क जयपुर स्टेट के समय में बनी थी उसका रेकॉर्ड उपलब्ध नहीं है ।

(ख) सड़क की मामूली मरम्मत होती रहती है । पूर्ण मरम्मत सन् १६४२ में हुई थी । सड़क की हालत संतोषजनक है ।

(ग) मामूली मरम्मत होती रहती है ।

(घ) अर्थाभाव के कारण द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह कार्य सम्पूर्ण रूप से नहीं हो सकता ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) : मामूली के अलावा दूसरी कौन सी मरम्मत होती है जिसकी जरूरत हो इस सड़क पर ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे ख्याल से माननीय सदस्या इस फर्क को समझती हैं ।

पार्वती बांध में पिचिंग कार्य

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) पार्वती बांध के अन्दर के हिस्से में जो पिचिंग की गई वह एस्टीमेट के अनुसार पूरी हुई या नहीं ?

(ख) जिस ठेकेदार ने इस कार्य को सम्पन्न किया क्या उसका पेमेंट पूरा कर दिया ? यदि हां, तो कब ?

(ग) इस समय कितने क्षेत्र में पिचिंग की गई है तथा स्वीकृत कितना क्षेत्र था ?

उप-मन्त्री सिंचाई विभाग (श्री भीखाभाई) : (क) हां, सम्पूर्ण हो गई है ।

(ख) हां । स्वर्गीय श्री मेहरचन्द ठेकेदार को १८–७–५८ को व श्री जगन्नाथ सत्संगी को ३१–३–५८ को ।

(ग) पिचिंग ७,६६,०६५ स्क्वायर फीट में लगाई गई है स्वीकृत क्षेत्र भी करीब करीब इतना ही यानी ७,७८,५०० स्क्वायर फीट था ।

डॉ० बहादुरसिंह : ७,७८,५०० में पूरा नहीं करने के क्या कारण थे ?

श्री भीखाभाई : जितनी जरूरत थी

Page No.17

(श्री भीखाभाई)

वह करीब करीब हो गया। थोड़े से फीट का बाकी सवाल है।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : १३,०८६ फीट का अन्तर होता है।

सिंचाई मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास): बिना जरूरत के कहां से करेंगे ?

डॉ० बहादुरसिंह : कॉन्ट्रेक्ट हुआ था उससे उतना कम किया तो क्या पेमेंट कम नहीं किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : पेमेंट तो अलबत्ता हिसाब से हुआ है।

चूरू जिले में अस्पताल व डिस्पेन्सरी

१३०७. **श्री रावतराम** (चूरू-सु०) क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) चूरू जिले में कुल कितने अस्पताल और डिस्पेन्सरियां, कहां कहां हैं ? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(ख) सन् १६५८-५६ में उक्त जिले के प्रत्येक अस्पताल और डिस्पेन्सरियों के लिए कितने २ रुपये स्वीकृत किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(ग) क्या यह सही है कि चूरू कस्बे के सरकारी अस्पताल में कोई अनुभवी डॉक्टर नहीं होने के कारण वहां की जनता को असुविधा है और चिकित्सा आदि करवाने के के लिए नागरिकों को बाहर जाना पड़ता है ?

(घ) क्या यह सही है कि सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि वहां पर एक अनुभवी डॉक्टर भेजना जरूरी है ?

उप-मन्त्री, स्वास्थ्य विभाग (श्री भीखाभाई) : (१) सूची संलग्न है।

(२) उपरोक्त सूची में इसका विवरण दे दिया गया है।

(३) जी नहीं।

(४) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये).

श्री रावतराम : तो क्या यह सही है कि वहां के लोगों की शिकायत डॉक्टर के बारे में आई है ?

श्री भीखाभाई : यह अलग प्रश्न है।

बुनकर सहकारी समिति, किशोरपुरा

१३०८. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : क्या मंत्री, सहकारी विभाग, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) बुनकर सहकारी समिति, ज़िला झुन्झुनु किशोरपुरा कब बनी तथा इसके सदस्य कौन कौन हैं ?

(२) उपरोक्त समित को कब कब कितना कितना ऋण दिया गया ?

(३) समिति की अब तक की ऑडिट रिपोर्ट्स सदन की मेज़ पर रखने की व्यवस्था करें।

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

(४) क्या यह सही है कि समिति को प्राप्त ऋण सदस्यों में वितरित नहीं हुआ ?

(५) क्या यह सही कि बुनकरों ने श्री नन्दलाल एवं श्री बूंटीराम के विरुद्ध ऋण का रुपया उन्हें न दिये जाने के सम्बन्ध में शिकायत की है ?

उप मंत्री सहकारी विभाग (श्री दौलतराम सारण): (१) यह समिति दिनांक २७-६-१६५१ को बनी। इसके सहस्यों की सूची सदन की मेज़ पर रख दी है।

(२) ऋण निम्न प्रकार से दिया गया :

१२.४.५५ को १७,०७७ रु० ५० न० पै०

३.४.५६ को १४,८५० रु०।

७.४.५७ को २४,४०२ रु० ५० न० पै०

(३) समिति की अन्तिम रिपोर्ट दिनांक ३०-६-५८ तक की सदन की मेज़ पर रख दी है।

(४) जी नहीं।

(५) जी नहीं।

(सूचना अत्यधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा, पुस्तकालय में रखी गई है)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : प्रश्न संख्या (४) के उत्तर में कहा है, 'जी नहीं' लेकिन ऑडिट रिपोर्ट के अन्दर स्पस्ट है कि उन सदस्यों के खाते तैयार नहीं किये हैं जिनके कि ऋण दिया गया है। सदस्यों को कितना रुपया दिया गया है यह पता नहीं है और रकम सारी कहां गई है यह भी पता नहीं है।

श्री दौलतरामसारण : ऑडिट रिपोर्ट में कुछ अनियमितताओं की तरफ ज़रूर ध्यान दिया गया है लेकिन ऐसी कोई गम्भीर बात नहीं बतलाई गई है और सदस्यों को ऋण वितरण करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह औद्योगिक सहकारी समिति है और अपनी जमा पूंजी रखी है उससे लेन देन करते हैं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : जब ऋण वितरण करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन इसी सोसाइटी ने ३५,०००)रु० का ऋण वितरित किया है तो वितरण करने के बाद उनके खाते तैयार नहीं हैं तो मेरी जो शिकायत है कि केवल श्री नन्दलाल और श्री बूंटीराम ने ही सारा रुपया हज़म कर लेने का जो मेरा एलिगेशन है उसको सब्स्टेन्शियेट करता है।

सहकारी मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : बिल्कुल सब्स्टेन्शियेट नहीं करता है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : जब कि खाते तैयार नहीं हैं तो कैसे मालूम है कि रुपया किस किस को दिया गया है।

श्री नाथूराम मिर्धा : खाते तैयार नहीं हैं यह कैसे कह सकते हैं ? हमें सब इन्डिविजुअल लोगों को ऋण देने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को इन्डिविजुअली ऋण देने की ज़रूरत न थी और न दिया है पूरी रकम सोसाइटी की पूंजी के रूप में सोसाइटी में रहती है

(श्री नाथूराम मिर्धा)

उसका जो उत्पादन का कार्य है वह जारी है। सोसाइटी का काम चल रहा है। जो कुछ इर्रेग्युलेरिटीज़ सोसाइटी की पॉइन्ट आउट की गई हैं उनको ठीक कर देंगे।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : इसका मतलब यह है कि ३६,०००) रु० श्री नन्दलाल और श्री बूंटीराम में बांटे गये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : न तो वे उस सोसाइटी के मेम्बर हैं और न सोसाइटी में किसी जगह पिक्चर में आते हैं। सारी बात गलत है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : माली नाम के गांव के लिए ५ हज़ार रुपये दिये थे, उसमें भी सारे सदस्यों को नहीं मिला है।

श्री नाथूराम मिर्धा : किन सदस्यों को नहीं मिला ?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : माली ग्राम के सदस्यों को नहीं मिला।

श्री नाथूराम मिर्धा : सब को ऋण बांटा नहीं गया और सबको बांटने की जरूरत भी नहीं है। संस्था का रिज़ोल्यूशन है, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : जिन लोगों को बांटा गया उनसे आपने जांच की या नहीं कि उनको मिला या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जो फैसला समिति स्वयं करती है उसी के अनुसार काम होता है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : सरकार को रकम का ब्याज़ नहीं मिला, इसका क्या होगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : रकम बैंक के जरिये मिलती है। समिति ठीक समझती है उसी तरह से कार्य किया जाता है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : समिति घाटे में जा रही है। बैंक में सरकार का भी रुपया लगा है, इस सम्बन्ध में आप क्या स्टेप ले रहे हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह बैंक के सोचने का काम है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : रुपये देने के लिये नियम वगैरा हैं या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसके लिये बाइलॉज़ बने हुए हैं। जो मामूली इर्रेगुलेरिटीज़ थीं उनको दुरुस्त किया गया।

श्री पी० के० चौधरी : जिनको रुपये दिये गये हैं उनका रेकॉर्ड रहता है या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वे खाता रखते हैं।

श्री पी० के० चौधरी : जिनको रुपये दिये गये उनका इन्द्राज़ खाते में है क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बराबर मौजूद है।

Page No.20

भरतपुर जिले के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सहकारी संघ का आवेदन-पत्र

१३०६. **श्री गोवर्धनसिंह केन** (बयाना—सु०) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि हाल ही में भरतपुर जिले के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ ने अपनी कठिनाइयों का आवेदन-पत्र सरकार के सामने प्रस्तुत किया था ? तथा इस आवेदन पत्र का कोई संतोषजनक उत्तर न मिलने पर उसकी ओर से भूख हड़ताल शुरू की गई थी ?

(ख) क्या इस भूख हड़ताल को ज़िला कलेक्टर ने कुछ आश्वासन देकर तुड़वा दिया था ?

(ग) यह आश्वासन क्या था ? व सरकार उसको पूरा करने के लिये क्या कर रही है ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने भूख हड़ताल दिनांक १८.२.५६ को भरतपुर में की थी, उसमें दो हड़ताली बैठे थे ।

(ख) कोई आश्वासन नहीं दिया गया ।

(ग) कोई आश्वासन नहीं दिया गया, अतः उसे पूरा करने का प्रश्न ही नहीं रहता है ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : क्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की तरफ से शिकायत आती है कि उनका तबादला इस आधार पर कर दिया जाता है क्योंकि वे अधिकारियों का काम नहीं करते ?

श्री रामकिशोर व्यास : मेरे पास ऐसी शिकायत नहीं आई ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : वे शिकायत उच्च अधिकारियों के पास करते हैं, आपके पास नहीं करते ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसके लिये नोटिस की जरूरत है, जानकारी प्राप्त करके जवाब दे सकता हूँ ।

श्री मूलचन्द डागा : क्या वे आवेदन-पत्र डाइरेक्ट दे सकते हैं या अपने अफसरों के थ्रू दे सकते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : रूल्स पढ़ लीजिये, ऑफिसरों के थ्रू ही देने पड़ते हैं ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या उन्होंने भूख हड़ताल वैसे ही तोड़ दी ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां ।

जोधपुर नगरपालिका का क्षेत्र

१३१०. **श्री अनोपसिंह** (बालोतरा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) जोधपुर नगरपालिका क्षेत्र में कितना रकबा डवेलपमेंट विभाग के और कितना रेवेन्यू विभाग के तहत है ? आंकड़े सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करें ।

(२) जोधपुर नगरपालिका की ऐसी कितनी ज़मीन है जो रेवेन्यू विभाग के तहत होते हुए गैर काश्त कार्यों के लिये बदली गई और किस की आज्ञा से ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) जोधपुर नगरपालिका की सीमा में डवेलपमेन्ट विभाग और रेवेन्यू विभाग का कोई रकबा नहीं है ।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री अनोपसिंह : क्या आपके ध्यान में यह बात है कि जोधपुर नगरपालिका के क्षेत्र में रेवेन्यू विभाग का रकबा है जिसे नोन एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिये बदला गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने वेरीफाई कर लिया है म्युनिसिपेलिटी से और कलेक्टर दोनों से, ऐसा नहीं हुआ है ।

श्री अनोपसिंह : शायद वहां के कर्मचारी आपको सही इत्तला नहीं दे रहे है । मंडोर की तरफ जोधपुर मंडोर सड़क पर बहुतसा ऐसा रकबा है जो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिये रेवेन्यू विभाग के अंडर में था वह नगरपालिका में आ गया है और उसको बेच दिया गया है, क्या यह बात सरकार के ध्यान में है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने वेरीफाई कर लिया है, ऐसी बात नहीं है ।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या यह सही है कि म्युनिसिपल एरिया में जहां पर खेती होती है वह एरिया रेवेन्यू विभाग के अंडर में होता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : म्युनिसिपल एरिया में खेती होती नहीं है ।

श्री अनोपसिंह : एग्रीकल्चरल लैंड को नॉन एग्रीकल्चरल लैंड में बदल दिया और उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप कोई स्पेसीफिक इन्स्टान्स बताइये । इसके बारे में मैंने कलेक्टर और म्युनिसिपेलिटी दोनों ही से वेरीफाई कर लिया लिया है । अब यदि आप और जानकारी देंगे तो I will make further Inquiry

बांसवाड़ा डूंगरपुर सड़क

१३११. श्री नाथूराम (बागीडोरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) क्या बांसवाड़ा डूंगरपुर सड़क वाया सागवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग सिरोही रतलाम का अंश है ?

(२) यदि हां, तो अब तक उस पर पुलिया व कलवर्टस नहीं बनने के क्या कारण है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्रीनाथूराम मिर्धा) : (१) जी नहीं ।

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

भाखरा जोन में गाडोलिया लुहार, घोड़ा बीड फार्म इत्यादि के लिये रिजर्व भूमि

१३१२. श्री धर्मपाल पंवार (नोहर-भु) : क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) भाखरा जोन में गाडोलिया लुहारों, घोड़ा बीड फार्म, भेडों, फोरेस्ट, डेरी फार्म, एक्स सोल्जर्स और शिक्षित कृषक वर्ग

Page No.22

(श्री धर्मपाल पवांर)

के लिये कहां कहां और कितना कितना रकबा रिज़र्व किया गया है ? उसकी एक मुकम्मिल सूची सदन की मेज़ पर रखी जावे ।

उप-मंत्री, सिंचाई विभाग (श्री भीखाभाई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न राजस्व विभाग से संबंधित है, इसमें लिखा हुआ भी वैसा ही है इसलिये राजस्व मंत्री जी अपनी टर्न पर इसका जवाब देंगे ।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): आपके सब के पास जवाब आता है आप जवाब दे दीजिये ।

श्री भीखाभाई : जवाब अभी नहीं आया है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : यही कह दीजिये ।

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : इसका मतलब यह नहीं है कि जवाब नहीं देंगे ।

भरतपुर में नल लगाने का कार्य

१३१३. **श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** (डीग) : क्या मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भरतपुर में नल लगाने का कार्य कब आरम्भ हुआ था तथा अब तक इसमें क्या प्रगति हुई है ? इसके पूरा होने में अभी कितना समय लगेगा ?

(ख) उक्त नलों से प्रति व्यक्ति किस मात्रा में जल प्राप्त होकर कितनी जन संख्या की आवश्यकता की पूर्ति हो सकेगी ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : कार्य २-३-५५ को आरम्भ हुआ व संभवत: १९५९-६० तक पूरा हो जायगा। पम्प हाउस, स्टोक क्वार्टस और रिज़रवायर का कार्य समाप्त हो गया है तथा लाइन भी काफी मात्रा में डल चुकी है । उक्त नलों से प्रतिव्यक्ति प्रति दिन ६० गैलन जल प्राप्त कर सकेंगे और ६०,००० जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति हो सकेगी !

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : इसमें विलम्ब होने का क्या कारण रहा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सामान मिलने में देरी हुई है ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : अब सामान पूरा आ चुका है क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जी हां ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : अब क्या देरी है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ६ कुंए बन चुके हैं और ६ और बनाये जा रहे हैं । बिजली की जरूरत है ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : बिजली की वजह से नल रूका है, क्या ऐसा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जी हां । १२ कूओं में से ६ तैयार हो गये है । वाटर सप्लाई करने में सिर्फ बिजली की देरी है ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : बिजली का काम पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बिजली विभाग को लिखा है, जल्दी से जल्दी दे देंगे।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : जल्दी की सीमा तो होनी चाहिये । आज ६ साल हो गये ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वाटर वर्कस और कुए ५६ में तैयार हो जायेंगे, बिजली की देरी है ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : वाटर वर्कस को लोग उस दिन समझेंगे जिस दिन नलों में पानी आ जायगा । इन कुओं से लोगों को पानी कब मिलेगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बिजली मिल जायगी तब मिलेगा ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : बिजली लाने की ज़िम्मेदारी किसकी है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह तो आप भी जानते हैं ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या पड़ोस में बैठे हुए मंत्रीजी से परामर्श करके आप बता सकते है कि बिजली कब मिल जायगी ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : यह जबाब बड़ा एब्सर्ड है कि बिजली का प्रबन्ध आप कर दीजिये ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने यह कब कहा था ?

प्रश्न संख्या १३१४

श्री अध्यक्ष : श्री नारायणसिंह ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १३१५

श्री श्रीराम ग्रासोतिया ।

(अनुपस्थित)

डेजर्ट एरिया को रिक्लेम करने के संबंध में

१३१६. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान के डेज़र्ट एरिया को रिक्लेम करने की सरकार ने क्या योजना तैयार की है ?

(२) क्या सरकार को राज्य के डेज़र्ट एरियाज़ को हराभरा बनाने की योजनाओं की रिपोर्ट्स किन्हीं विशेषज्ञों द्वारा अब तक प्राप्त हुई ? अगर हां तो सरकार उसे क्रियान्वित करने हेतु क्या कदम उठा रही है ? रिपोर्ट्स और इन्टरनेशनल सिम्पोजियम आन राजस्थान डेज़र्ट की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर प्रस्तुत करने की कृपा करें ।

यातायात मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा मुख्य मंत्री की ओर से) :—

(१) कुछ छोटे पैमाने पर बीकानेर में इस कार्य के लिये कोशिश की गई थी लेकिन उसका फल उत्साहवर्द्धक नहीं निकला ।

(२) इजराइलियन एक्सपर्ट की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी । केन्द्रीय सरकार ने रिसर्च

(श्री नाथूराम मिर्धा)

स्टेशन जोधपुर में खोल रखा है जहां रिक्लेमेशन पर रिसर्च की जाती है।

(३) इन्टरनेशनल सिम्पोज़ियम ओन राजस्थान का होना तो मालूम नहीं होता है लेकिन नेशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ साइन्सेज़ ऑफ इंडिया द्वारा राजपूताना डेज़र्ट सिम्पोज़ियम हुआ था उसकी रिपोर्ट प्राइस्ड पब्लिकेशन है। इज़राइलियन एक्सपर्ट की रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

(रिपोर्ट की प्रति विधान सभा, पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भीमसेन : बीकानेर में क्या प्रयत्न किया गया और सफलता नहीं मिली ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बीकानेर में पेड़ किस प्रकार लगाये जा सकते हैं। जो बिना पानी पनप सकें ऐसे पेड़ लगाये थे लेकिन उसका रिजल्ट ठीक तरह नहीं आया, मोरटेलिटी ज्यादा रही।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सरकार ने उस पर कितनी धन राशि खर्च की ?

श्री नाथूराम मिर्धा : डेज़र्ट एफोरेस्टेशन का काम गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया के ज़रिये से होता है।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : क्या आपने एक्सपेरिमेन्ट किया था कि सेन्ड ड्यून्स ग्रेजिंग कंट्रोल उसका क्या एक्शन आया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ग्रेजिंग पेसेज बनाये गए थे। ग्रेजिंग रखा गया था, गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया के एक्सपर्ट्स रहते हैं वे काम करते हैं। २०० एकड़ का भाग इसके लायक बनाया है, सोइल का फिक्सेशन हुआ है, अच्छी क्वॉलिटी की जरमिनेट हो रही है। वे आगे बढ़ रहे हैं।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : सेन्ड ड्यून्स कन्ट्रोल के लिए लिखा था उनको रोका जाय इस सम्बन्ध में क्या एक्शन लिया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वे जितना एरिया मेनेज कर सकते हैं उतना एरिया हमने उनको ट्रान्सफर किया है।

श्री पी० के० चौधरी : उनकी मेन रिकेमेन्डेशन्स क्या क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष : उनकी रिपोर्ट मेज़ पर रख दी गई है आप उसको पढ़ लीजिये।

श्री पी. के. चौधरी : यह सजेस्ट किया था कि ५ मील की विड्थ से, ५०० मील लम्बी सेन्ट्रल बेल्ट रिज़र्व करनी थी, उसको रिजर्व किया है या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कहां पर ?

श्री पी० के० चौधरी : To have a shelter belt of five miles width.

श्री नाथूराम मिर्धा : वह किया है रिजर्व।

श्री पी०के० चौधरी : किया है, कब से किया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उसको किए हुए चार पांच वर्ष हो गए।

श्री पी.के. चौधरी : आपका जो डेजर्ट रिक्लेमेशन का बजट है, उसमें ३१ लाख

(श्री पी० के० चौधरी)

मारे के लिए फाइव ईयर प्लान में रखा है। यह काफी है काम के लिए ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा कि डेजर्ट रिक्लेमेशन का काम हम नहीं करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पार्टी है, वह कर रही है।

श्री पी० के० चौधरी : यह बजट था, यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट था या आपका था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हमारा बजट है। हम डेजर्ट एरिया में काम नहीं करते हैं। कुछ काम एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट के जरिये करते हैं, कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जरिये करते हैं उसका बजट है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरण सिंह।

किसानों से नजराने की वसूली

१३१७. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या सही है कि कच्चे मकानों के स्थान पर पक्के मकान बनाने पर किसानों से नज़राना लिया जाता है ?

(ख) यदि हां, तो किस दर से ?

(ग) क्या उपरोक्त नज़राना सारे राजस्थान में लिया जाता है ?

(घ) क्या यह सही है कि कोटपुतली तहसील के कांसली पंचायत में ४० साल से भी अधिक समय से काबिज़ ज़मीन पर पांच आने गज के हिसाब से नज़राना वसूल किया गया है ?

(ङ) यदि हां, तो किस कानून से।

उप-मन्त्री, स्वायत्त शासन विभाग (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी नहीं। जो पट्टा नहीं चाहते उनसे कोई नज़राना नहीं लिया जाता।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जी हां। जब तक कोई व्यक्ति पट्टा प्राप्त नहीं कर लेता उस समय तक भूमि पंचायत की सम्पत्ति रहती है अतः पंचायत सम्पत्ति का अगर कोई व्यक्ति हस्तांन्तरण करवाना और पट्टा चाहे तो उससे वहां की प्रचलित रेट की सवा छः प्रतिशत कीमत ली जाती है।

(ङ) आबादी भूमि विक्रय नियम १८ के अन्तर्गत।

श्री रामकरणसिंह : क्या यह सही है कि जो पक्का मकान बनाते हैं उन्हें पंचायत से पट्टा लेना पड़ता है ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने भाग १ के उत्तर में बतलाया है कि कच्चे पक्के का सवाल नहीं है, जो पट्टा लेना चाहते हैं, उनको नियमानुसार पट्टा दिया जाता है।

श्री रामकरणसिंह : जो ज़मीन ४० साल से काबिज है, उस पर मकान कोई व्यक्ति बनाता है, तो क्या जरूरी है कि आपके पास पैसा जमा कराके दुबारा पट्टा ले ?

श्री दौलतराम सारण : ४०-५० साल कितने ही अर्से से काबिज हो लेकिन ज़मीन जो है, वह पंचायत की है। अगर पट्टा नहीं लेना चाहता है तो भूमि पंचायत की होगी। अगर वह मकान बनाना चाहता है और भूमि लेना चाहता है तो उसको पट्टा बनवाना चाहिए।

Page No.26

श्री तेजाराम गेलोत (सोजत) : जो व्यक्ति ४० साल से ज़मीन पर काबिज़ है, पंचायत उसको बेदखल कर सकती है ?

स्वायत शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : बेदखल करने का सवाल नहीं है । अगर कोई पट्टा बनवाना चाहता है, तो जो पट्टे की फीस कायम कर रखी है कि ऑर्डिनरी रेट की सवा छः पर्सेन्ट फीस ली जायगी, वह देनी पड़ेगी ।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): क्या मन्त्री महोदय बतायें कि उप-मंत्री जी ने जवाब दिया कि चाहे मकान कच्चा हो या पक्का हो, ज़मीन पंचायत की है । अगर किसी ने ५० साल से, २०० साल से मकान बना रखा है, और आधा गिर गया है और उसके पास पट्टा नहीं है तो उस मकान की ज़मीन और मकान पंचायत का हो जायगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसा नहीं है । जो ज़मीन पर काबिज़ है वह बदस्तूर चला आ रहा है । यदि वह पट्टा चाहता है, वह हमेशा के लिए अधिकार चाहता है, वह यूज़ कर रहा है लेकिन पर्मानेन्ट ओनरशिप चाहता है तो उसको पट्टा लेना पड़ेगा ।

श्री रामकरण सिंह : मैंने प्रश्न पूछा है कि जिस ज़मीन पर काश्तकार काबिज़ है, उसके लिए पट्टा लिया जाता है, वह जायज है लेकिन ज़िलों में भिन्न भिन्न रेट ली जाती है, यह कहां तक पंचायत के लिए जायज़ है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो ऑर्डिनरी रेट्स ज़मीन की होती है, उसका सवा छः पर्सेन्ट पट्टा बनवाने के लिए लेते हैं । वह दफा १८ रूल में है कि जो ४० साल से ज्यादा काबिज़ है, पट्टा बनवाना चाहता है तो लोकल रेट का सवा छः पर्सेन्ट उसे देना पड़ेगा ।

श्री रामकरणसिंह : मेरा प्रश्न साफ है कि जो नज़राना लेते हैं पट्टे के लिए तो क्या भिन्न भिन्न पंचायत द्वारा भिन्न भिन्न रेट्स से लिया जाता है ? क्या इस नियम का पालन पंचायतों ने किया है ?

श्री अध्यक्ष : ज़मीन की जो प्रभावित रेट है, उसके अनुसार नज़राना लिया जाता है । यह गांव गांव में भिन्न हो सकती है ।

श्री रामकरणसिंह पंचायत एक्ट के अनुसार एक रेट बन्धी हुई है । तहसील में कुछ पंचायतें सवा छः पर्सेन्ट लेती हैं, कुछ पंचायतें सात आने गज लेती हैं, कुछ पंचायतें १ रुपया गज लेती हैं । यह कहां तक जायज़ है ?

श्री अध्यक्ष : रुपये गज कीमत हुई, जो ज़मीन की कीमत है, उसका सवा छः पर्सेन्ट लिया जाता है । कीमत हर गांव में भिन्न हो सकती है ।

श्री रामकरणसिंह : वह ठीक है कि जो मूल्य आंका जाय उसका सवा छः पर्सेन्ट लिया जाय । प्रश्न 'घ' में साफ है कि क्या यह सही है कि कोटपुतली तहसील के कासली पंचायत में ४० साल से भी अधिक समय से काबिज़ ज़मीन पर पांच आने गज के हिसाब से नज़राना वसूल किया गया है ?

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या सरकार....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपने बताया है, उनकी जो मार्केट रेट है, उसका सवा छः पर्सेन्ट लेते हैं । उसमें दिक्कत नहीं है । अगर कहीं ज्यादा लेने की शिकायत हो, अगर तहसील पंचायत ने सवा छः पर्सेन्ट से ज्यादा ले लिया हो, तो बतलायें ।

श्री रामकरणसिंह : यह ठीक है कि पांच आने गज से वसूल कर रही है । प्रश्न में साफ लिखा है ।

श्री अध्यक्ष : सवा छ: पर्सेन्ट से रुपये गज भी हो सकती है।

श्री रामकरणसिंह : वह हिसाब नहीं लगाया है। कीमत आंक कर उसका सवा छ: पर्सेन्ट लिया जाय तो उसमें एतराज नहीं। कम भी नहीं आंकी है लेकिन गज की तरह से नजराना लिया जाता है, उसके लिए क्या पंचायत ने शिकायत की है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो मार्केट रेट है, उसका सवा छ: पर्सेन्ट पांच आने के करीब पड़ता है, इसलिए पांच आने लेती है।

श्री रामकरणसिंह : मेरा प्रश्न साफ है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो कांसली पंचायत ने नजराना लिया है, वह सवा छ: पर्सेन्ट मूल्य का आंक कर लिया है या वैसे ही गज के तरीके से लिया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज किया कि उनकी जो रेट है, उसका सवा छ: पर्सेन्ट लिया होगा, उसके मुताबिक बहुत मुमकिन हैं पांच आने नज़राना आता होगा।

श्री रामकरणसिंह : यह माना जाय कि अब तक सवा छ: पर्सेन्ट मार्केट रेट पर लिया है वह जायज है और अगर पंचायत द्वारा गैर कानूनन कुछ ले लिया गया है तो वह वापिस काश्तकारों को दिलाया जायगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अगर शिकायत होगी कि ज्यादा ले लिया है तो कार्यवाही की जायगी।

श्री रामकरणसिंह : इसके लिए तहसील पंचायत ने आपको किसी प्रकार सूचित किया है कि कांसली पंचायत को इसके बारे में उन्होंने कहा लेकिन कांसली पंचायत परवाह नहीं करती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसी जानकारी नहीं आई है कि तहसील पंचायत ने शिकायत की हो।

श्री मूलचन्द डागा : जो ४०, ५० साल से काबिज़ हैं, उसके पजेशन के आधार पर ओनरशिप पैदा नहीं होती ? उसको टाइटिल डीड लेना जरूरी है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ४० साल के पजेशन से नहीं होती।

श्री मूलचन्द डागा : आपके कानून में साफ है कि कोई व्यक्ति किसी ज़मीन पर २० साल से काबिज है तो उसके पजेशन से टाइटल पैदा हो जाता है। पट्टे का सवाल पैदा नहीं होता।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह गवर्नमेंट की जमीन है, जिस आदमी के कब्जे में है वह गवर्नमेंट की पर्मीशन से काबिज़ है।

श्री मूलचन्द डागा : जो व्यक्ति ४० साल से पजेशन रखता है, उसको टाइटिल पैदा हो जाता है। यह कानून की मन्शा नहीं है कि उसको पट्टा लेना जरूरी है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: माननीय सदस्य भी वकील हैं। पजेशन तब होता है जब वह असर्टेन करें कि मेरा जमीन पर राइट है। हमने किसी को जमीन बता दी उस पर आबाद होने के लिए तो वह तो लाइसेन्सी है।

श्री मूलचन्द डागा : जो आपका लाइसेन्सी नहीं है, जिन्होंने लाइसेन्स नहीं लिया है और जमीन पर काबिज है, उनके लिए क्या है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : लाइसेन्स लेने का सवाल है। जिनको जमीन आबाद होने के लिए हमने बता दी, उसको लाइसेन्सी माना गया है। अगर वह पट्टा बनवाना चाहता है ओनरशिप के लिए तो पट्टे की फीस देनी पड़ेगी।

Page No.28

श्री अध्यक्ष : श्री जयसिंह ।

ग्राम पंचायतों को सहायता तथा लोन

१३१८. **श्री जयसिंह राणावत** (आसिन्द) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) भीलवाड़ा ज़िले में वृहद राजस्थान के निर्माण से अब तक ग्राम पंचायतों को भवन निर्माण के हेतु सालवार कितनी धनराशि सहायता के रूप में एवं कितनी लोन के रूप में तहसीलवार दी गई ?

(२) कृपया सूची सदन की मेज़ पर रखने की व्यवस्था करें ।

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग (श्री दौलतराम सारण) : (१) व (२) भीलवाड़ा ज़िले में भवन निर्माण हेतु पंचायत विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों में दी गई सहायता की सूची सदन की मेज़ पर रखवा दी गई है । लोन के रूप में पंचायत विभाग द्वारा कोई धन राशि पंचायतों को नहीं दी गई ।

श्री जयसिंह राणावत : अध्यक्ष महोदय, आजके प्रश्न के उत्तर की जो सूची है और सूची जैसी मुझे मिली है, उसको देखने से एक कहावत याद आ जाती है वह है इसके अन्दर बेंगू को भीलवाड़ा में बताया गया है । यह कब मिलाया गया है ?

श्री दौलतराम सारण : यह नहीं कह सकता । जो सूचना प्राप्त हुई है, उसके अनुसार लिस्ट दे दी गई है और बेंगू भी उसमें शामिल है ।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : अध्यक्ष महोदय, सरकार को सूचना मिली है तो सरकार की ओर से रिप्लाई देने वाले मिनिस्टर इनचार्ज हैं वे एग्ज़ामिन नहीं करते हैं और जो सूचना दी जाती है उसको यहां आकर बोल देते हैं ।

श्री दौलतराम सारण : मेरे लिए सम्भव नहीं है कि राजस्थान के प्रत्येक गांव के बारे में जानकारी रखूं कि कौनसी तहसील में है, कौन से थाने में है । आप जानकारी दे रहे हैं कि भीलवाड़ा में नहीं है तो मैं जानकारी करके मालूम करूंगा ।

श्री जयसिंह राणावत : यह सम्भव है कि जो फूल ढुलाये, उसका कान पकड़े ।

श्री अध्यक्ष : पंचायत के ज़िले और गांव भिन्न हैं ।

(हंसी)

श्री जनार्दनराय नागर : The point is that members of the Treasury Benches are responsible to give correct information. They are responsible and I maintain Sir, that they cannot reply like this that this is the information supplied by the Government machinery and they are only to repeat that information in the House. They are responsible to scrutinise the information that they get from the Government machinery and they cannot say that this is the informatiou supplied to us by the Government officers.

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : Why not call the officers directly to reply to us ?

श्री चन्दनमल वैद (सरदार शहर) : माननीय अध्यक्ष, यह एक बहुत अहम प्रश्न है । सरकारी मशीनरी एक पोस्ट ऑफिस की तरह काम करती है जो चिट्ठी पोस्ट ऑफिस में आती है वह डिलीवर हो जाती है उसी तरह से जो उत्तर आपको प्राप्त होते हैं वह दे रहे है । यह तो बड़े दुःख की बात है ।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : क्या आपको यह आज ही मालूम हुआ है ?

श्री दौलतराम सारण : मेरा यह कहने का मतलब नहीं कि सरकारी मशीनरी कोई गलत बात कहे। मैं कहता हूं कि हाउस के प्रति हम जिम्मेदार हैं। फिर भी जो सूचना मिली है वह मैंने दे है। मेरे लिये यह जानकारी हासिल करना संभव नहीं था। माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है उसके लिये मैं जानकारी करूंगा।

श्री पी. के. चौधरी : It may not be possible for you to check it, but you are constructively responsible for it and you cannot deny the responsibility. You should admit the mistake.

श्री जनार्दनराय नागर : The point is that the Hon'ble Minister cannot say this that this is the information supplied to us through officers., They are constructively responsible and they must admit that this is their mistake.

श्री अध्यक्ष : आपको ऐसी स्थिति में वे क्या कहते।

श्री जनार्दनराय नागर : They must admit that it is a mistake.

श्री अध्यक्ष : But unless he has verified it how can he say? He has got certain information from the department and now the Hon'ble Member says that he has different information so the only thing he can say is that he can further enquire.

श्री जयसिंह राणावत : राशि वितरण की गई उसमें क्या क्राइटेरिया रखा गया ?

श्री दौलतराम सारण : पंचायतों की मांग और आवश्यकता।

श्री पी. के. चौधरी : कुल कितना रुपया बांटा गया।

श्री अध्यक्ष : (श्री जयसिंह राणावत की तरफ संबोधित करते हुए) आपको पूछने दीजिये।

श्री जयसिंह राणावत : क्या पंचायतों ने सन् १९५४ के बाद कोई मांग नहीं की।

श्री दौलतराम सारण : सन् १९५४ तक पंचायतों को पंचायत विभाग से राशि दी गई उसके बाद पंचायत विभाग से नहीं दी गई। डवेलपमेंट ब्लॉक्स आदि से दी गई। आपने यही सूचना मांगी थी कि पंचायत विभाग से कितनी धनराशि पंचायतों को दी गई और उसका उत्तर दिया है।

श्री जयसिंह राणावत : इसके अलावा कई पंचायतें ऐसी हैं जिन्होंने मांग नहीं की ?

श्री दौलतराम सारण : मांग की होगी। लेकिन जितनी धन राशि उपलब्ध थी और जितनों की दी जा सकी, दी गई।

श्री अध्यक्ष : आप बतादें कि आप किसको दिलाना चाहते हैं।

श्री जयसिंह राणावत : क्या अब भी आपके पास कोई मांग लाई जावेगी तो क्या आप उनको मदद देंगे ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने निवेदन किया कि फन्ड के मुताबिक दे दिया जाता है। आपने पूछा कि क्राइटेरिया क्या है तो मैंने कहा कि आवश्यकता और मांग।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री नारायणसिंह मसूदा।

(अनुपस्थित)

एक माननीय सदस्य : इसका जवाब दे दिया जावे।

श्री अध्यक्ष : अभी समय है उसका उपयोग किया जावे।

भूतपूर्व अजमेर राज्य के काश्तकारों द्वारा कम्प्रेशर मशीन के लिये ३००) रु० जमा कराने के सम्बन्ध में

१३१४. **श्री नारायणसिंह** (मसूदा की अनुपस्थिति में एक माननीय सदस्य द्वारा पूछा गया) : क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) भूतपूर्व अजमेर राज्य के समय में ऐसे कितने काश्तकार थे जिन्होंने कम्प्रेशर मशीन के लिये ३००) रु० पेशगी ज़मा करवाया ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त काश्तकारों से यह पेशगी रकम तकावी के साथ वसूल की जा रही है जब कि आज तक उन्हें कुए खुदवाने के लिये कम्प्रेशर मशीन नहीं मिली है ?

(३) क्या सरकार इन लोगों को शीघ्र ही कम्प्रेशर मशीन दिलाने अथवा यह रकम तकावी के साथ वसूल न की जाकर वापिस लौटा दी जाने का विचार रखती है ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : इस प्रश्न का अभी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, इसके लिये हाउस को रिजेन्ट करना होगा कि माननीय सदस्य यह कह देते हैं कि अभी तक प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। उनको रिजन्स देना होगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : इसके रिज़न्स तो वे हमको बता देते हैं और हम उससे सेटिसफाई हो जाते हैं और यहां पर उत्तर दे देते हैं कि उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री श्रीमानसिंह : असंतोषजनक जितना भी उत्तर आपके पास प्राप्त हो उतना ही दे दें, I would like to know why the question has not been replied by the Hon'ble Minister. Please give the reasons.

श्री नाथूराम मिर्धा : जितना भी जवाब....

श्री श्रीमानसिंह : जिसका जवाब नहीं दिया जावे वह प्रश्न हाउस के सामने ही नहीं आना चाहिये। इसके लिये आपको पहले सूचित कर दिया जावे। आपके जवाब आ गया है और आप उस उत्तर को देना नहीं चाहते। इसलिये अध्यक्ष महोदय, जब हाउस एड्जोर्न हो तो इससे पहले उनको बाध्य किया जावे कि वे इन प्रश्नों के उत्तर दें।

श्री अध्यक्ष : जिन क्वेश्चनों को एड्जोर्न किया जाता है उसके करीब करीब एक या दो सप्ताह के बाद उत्तर ले लिये जाते हैं। अगर किसी के दो तीन सप्ताह में भी उत्तर नहीं आते हैं तो सरकार को हम प्रेस करते रहते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : सरकार का यह विरोध तो है नहीं कि उत्तर नहीं दिया जाय। जैसे माननीय सदस्य जोरदार नाराज़ होकर कहते है कि जानबूझ कर जवाब नहीं देते।

श्री श्रीमानसिंह : Mr. Speaker,

(श्री श्रीभानसिंह)

Sir, I am appealing to you and not to the Hon'ble Minister. I am appealing to you Sir that every day in 3 4 questions the Hon'ble. Ministers get up and say that they cannot reply.

(श्री नाथूराम के जवाब देने के लिये खड़े होने पर)

श्री श्रीभानसिंह : On a point of order Sir, the Hon'ble Minister is insulting to the House. He will have to give reasons.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : He should be more respectful to the House.

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके नाराज़ होने से कोई अन्तर नहीं पड़ने वाला है । जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ उस पर कोई अन्तर नही पड़ने वाला है । मैं यह कह रहा हूँ कि जिसके सवालों के जवाब हमको मिल जाते हैं और हम उनके उत्तर से सेटिसफाई हो जाते हैं उनको हम यहां दे देते हैं और जिसमें हमको कुछ क्वेरीज़ करनी पड़ती है उन उत्तरों को हम सेटिसफाई उत्तर नहीं मानते हैं और जब तक उन क्वेरीज़ का उत्तर न आ जावे और हमें संतोष नहीं हो जावे उसका जवाब नहीं देते हैं और कह देते है कि इसका जवाब नहीं आया । ऐसा क्या यह प्रश्न है जिसका उत्तर नहीं दे ा चा ते ।

श्री अध्यक्ष : आपको ५, १० दिन का समय चाहिये ।

श्री नाथूराम मिर्धा : ७ दिन में या ५ दिन में जितने दिन में सवाल का जवाब आवेगा हम उसका जवाब दे देंगे । अगर अगली टर्न पर जवाब नहीं आवेगा तो कह देंगे कि इसका उत्तर नही आया है ।

श्री श्रीभानसिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं समझता हूं इसके लिये ऐसा होना चाहिये कि पहले अध्यक्ष महोदय को सूचित करना चाहिये कि इन्फार्मेशन अभी प्राप्त नहीं हुई है ताकि प्रोसीडिंग में यह न आवे । मगर इस आज्ञा का गवर्नमेंट बराबर वेंडोट करती है और कहती है कि उत्तर प्राप्त नही हुआ । इसके अलावा मैं यह निवेदन करूंगा कि मुझे इस पर ऐतराज़ है जो अभी माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि यह जरूरी नहीं है कि हम उस प्रश्न का उत्तर ही दें । मैं यह कहूँगा कि हमारा, यह इन्फोर्मेशन सीक करने का राइट है और हाउस को यह देखना होगा कि हमारे राइट्स की किस तरह से रक्षा होती है ।

श्री अध्यक्ष : जो प्रश्न एडमिट होते हैं उसका गवर्नमेंट को जवाब देना होता है । The Government has got to reply to them unless they show some definite reason either not being in public interest or being a very lengthy question or otherwise, but normally they must answer all questions which are admitted. अब प्रश्न यह रहता है कि कई प्रश्नों के लिये समय चाहते हैं उसके लिये यहां पर इत्तला कर देते हैं । समय बहुत कम रहता है और पहले समय पर इत्तला हमको मिलती है इसलिये हम उन्हें कह देते हैं कि सदन में खड़े होकर कह दें कि इसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है । आप

Page No.32

(श्री अध्यक्ष)

टाइम मांग लें ताकि नेक्स्ट टाइम पर उसका उत्तर दे दें। That is the practice which is being followed here.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : इस प्रश्न के बारे में माननीय अध्यक्ष को इत्तला दी है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह छोटी छोटी दफ्तर की बातें हैं। दफ्तर के काम के लिये आप क्यों चिन्ता करते हैं।

श्री अध्यक्ष : It was received and they have asked for one week's time.

प्रश्न संख्या १३१५

श्री श्रीराम बासोतिया।

(अनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त हुए।

६.८ म० पू

विधायी कार्य

राजस्थान हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास विधेयक, १९५८

(विधेयक को विचारार्थ लिये जाने के प्रस्ताव पर वाद-विवाद)

अब इस बिल पर काफी बहस हो चुकी है।

श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : अध्यक्ष महोदय, इस पर अभी काफी लोगों को बोलना है।

श्री अध्यक्ष : हमने इसके लिये तीन दिन दे दिये। एक घंटा और रख लीजिये। १० बजे सरकार की तरफ से इसका उत्तर होगा और उसके बाद इस बिल को क्लॉज़ बाई क्लॉज़ ले लिया जावेगा।

राजाराव श्री सरदारसिंह (उनियारा): अभी बहुत से सदस्यों को बोलना है। उनको बोलने का मौका दीजिये।

श्री अध्यक्ष : तीन दिन दे दिये हैं जनरल डिस्कशन पर। क्लॉज़ बाई क्लॉज़ पर बोल लें।

श्री अनोपसिंह : हम तो इसको क्लॉज़ बाई क्लॉज़ लेना ही नहीं चाहते।

श्री अध्यक्ष : इसके लिये वोट ले लें। तीन दिन इसीलिये दिये कि सब बोल सकें।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : जब इस बिल को माननीय सदस्य चाहते हैं तभी असेम्बली पास करेगी। हमारे रीज़न्स से और कल जो विचार श्री महेन्द्र सिंह जी ने रखे, उसके बाद मैं समझता हूं कि सदन की ओपीनियन यह हो गई है कि इस बिल को लेने की आवश्यकता ही नहीं रहती है। सदन इससे काफी प्रभावित हुआ है।

श्री अध्यक्ष : इसके लिये तो वोट ले लेंगे और वोट लेने से मालूम होगा कि कितने माननीय सदस्य इससे प्रभावित हुए हैं।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : I think Sir, that after this debate, there will be a debate on the consideration of the Bill because this is debate on the motion to refer to

Page No.33

(श्री पी० के० चौधरी)

select committee or circulating it for public opinion.

श्री अध्यक्ष : No, it is a general discussion. You cannot divide it like this. The motion is for consideration of amendments and the discussion is on both the motions.

श्री अनोपसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि आज का दिन तो इसके लिये रखना चाहिये, पब्लिक भी....

श्री अध्यक्ष : यह बिल पिछले सदन में पास हो चुका था। उस समय इसके लिये दो दिन दिये गये थे और अब तीन दिन से ज्यादा समय मिला है। इससे माननीय सदस्यों को संतोष होना चाहिये।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : संतोष जरूर होता लेकिन धार्मिक मामला है।

श्री अध्यक्ष : धार्मिकता के मामले में दो दिन और दें तो भी क्या असर हो सकता है।

श्री मदनसिंह : यह संविधान के खिलाफ है। इस पर काफी बोलना है।

श्री अध्यक्ष : आप क्लॉज़ बाई क्लॉज़ बोल सकते हैं।

अच्छी बात है इसके लिये ११ बजे तक का समय रखते हैं। १० बजे के बजाय ११ बजे तक का समय और रख देते हैं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, इस बिल पर तीन दिन से वाद विवाद चल रहा है। इस सम्बन्ध में दो प्रस्ताव हैं। एक है इसको प्रवर समिति में सौंपा जाय और दूसरा है इसको जनमत को सौंपा जाय। मैं दोनों का ही विरोध करता हूँ। जहां तक माननीय सदस्यों का....

रावराजा श्री सरदारसिंह : जनमत के प्रस्ताव का विरोध कैसे करते हैं ?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मैं दोनों का ही विरोध करता हूं और मांग करता हूँ कि इसको विचारार्थ न लिया जाय और....

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री (आसेर-सु०) : मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था।

श्री अध्यक्ष : उसकी बाद में सूचना दी जावेगी।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : यह बहुत महत्व पूर्ण है क्योंकि यह दुखद घटना घटी है।

श्री अध्यक्ष : जानकारी देने के बाद यह निर्णय लिया जावेगा कि पुलिस उसमें कोई कार्यवाही कर रही है या नहीं।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : बेचारे हरिजनों के साथ जुल्म हो रहा है, स्वीकर हो जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव से ही स्वीकार और अस्वीकार नहीं कर सकते।

एक माननीय सदस्य : इसको पढ़कर तो सुना दीजिये।

श्री अध्यक्ष : मुझे यह भी देखना है कि यह पढ़ने काबिल भी है या नहीं।

श्री पी० के० चौधरी : On a point of information Sir. The Hon'ble member has circulated a resolution for circulating this Bill for public

(श्री पी० के० चौधरी)

opinion and now he is objecting...

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : I have not moved that motion.

जो दो प्रस्ताव हैं उनका मैं विरोध करता हूं और मांग करता हूँ कि विधेयक को विचारार्थ न लिया जाय और इसको यहीं समाप्त कर दें। जैसा माननीय मंत्री महोदय ने कहा और जो इसका उद्देश्य रखा है, यह बात नहीं कही गई है कि आघात मन्दिरों पर पहुंचेंगे। लेकिन जो विचार सदन में प्रस्तुत हुए हैं और मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने तो यहां कहा तक कहा कि मन्दिरों में कीचड़ है, विश्वास नहीं है! कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि भगवान् रोते हैं और इस प्रकार उनकी आस्था है। उनको सुनने से आभास होता है कि माननीय सदस्यों की इच्छा है कि मन्दिर नाम की संस्था न रहे, उन पर उनका विश्वास नहीं है। यदि विश्वास नहीं है तो संविधान की जो २६ वीं धारा है, उसमें मौलिक अधिकार दिये गये हैं, यदि उन पर कुठाराघात करते हैं।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : अध्यक्ष महोदय, धार्मिक संस्था में यह अधिकार है कि एक नास्तिक भी रहे।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : On a point of order, Sir. इस तरह खड़े होंगे और डिस्टर्ब करेंगे तो कैसे काम चलेगा।

श्री जनार्दनराय नागर : किसी प्रकार आघात लगा हो और इसलिए बिल को रिजेक्ट कर देना चाहिये, यह कोई दलील नहीं है। हिन्दू धर्म का रूप यह है कि एक नास्तिक को भी हिन्दू माना गया है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : नास्तिकों को नास्तिक मानने का पूरा अधिकार है, चौपड़ पर।

श्री जनार्दनराय नागर : मेरे मित्र इस बात को भूलते हैं कि आज जो धर्म को मानते हैं वे कितने भगवान से दूर हैं और जो नास्तिक हैं वे कितने भगवान के निकट हैं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : यदि नास्तिकों को अधिकार दिलाना चाहते हैं तो उसका प्रचार करें। लेकिन जो आस्तिक हैं यदि उन पर आघात करते हैं, तो यह २६ वीं धारा जिसमें दिया गया है "धार्मिक कार्यों सम्बन्धी विषयों के प्रबन्ध करने का तथा ऐसा सम्पत्ति के विधि अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा।" इसका मतलब यह है कि हमारी जो सम्पत्ति है, उसका विधि अनुसार प्रशासन करने का अधिकार हमें होगा। माननीय मंत्री महोदय कहेंगे कि विधि ले डाउन कर रहे हैं। इसके अन्दर कमिश्नर को, असिस्टेन्ट कमिश्नर को अधिकार दिये गये हैं कि इस प्रकार उनकी राय को कमिश्नर रिजेक्ट कर सकता है। एडवाइज़री कमेटी की राय लिये बिना और रीज़नल कमेटी की राय लिये बिना, कमिश्नर, जो मन्दिरों के ट्रस्टीज़ होंगे, व्यवस्थापक होंगे, उनके लिए नियम बना लेंगे और उनको इसका अधिकार है। २६ (४) के अनुसार हमें अधिकार दिये गये हैं कि हम उनकी स्वयं व्यवस्था करें और करते हैं और

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

तय करते हैं। कोई बात तो कमिश्नर उसको रिजेक्ट कर दे। जैसा यहां कहा गया है कि किसी स्थान को तीन वर्ष से अधिक लीज़ दिया जावेगा, छः हजार से अधिक सम्पत्ति को बेचा जावेगा तो उसके लिए कमिश्नर की राय जावेगी और कमिश्नर राय नहीं देता है और उसको डिसअलाऊ कर देता है तो मन्दिर की प्रबन्धकारिणी समिति कुछ नहीं कर सकती है। फिर कौन सी सम्पत्ति होगी ? भगवान् की मूर्ति यहीं रहेगी। भगवान् की मूर्ति कोई सम्पत्ति नहीं है। पूजा कैसे होगी यह ले डाउन नहीं करता है। ये नियम तो सदन से ले डाउन हो चुके हैं। उनका नियमन नहीं करना है। बल्कि जो सम्पत्ति भगवान को अर्पण की हुई है और की जाती है उसका नियमन करना है। सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने बम्बई हाईकोर्ट के जजमेंट को रेफर किया था। उसमें संविधान की २६ (४)धारा का उल्लेख था,माननीय न्यायाधीश ने उसमें कहा था कि कोई लेजिस्लेचर ऐसा नियम नहीं बना सकता है कि संविधान के इस अधिकार का उल्लंघन हो। हमारे जो अधिकार हैं उनका यह बिल उल्लंघन करता है।

जहां तक मन्दिर की व्यवस्था का संबंध है माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रस्तुत किये हैं। मैं मानता हूं कि मन्दिरों में अव्यवस्था है। जैसी व्यवस्था होनी चाहिये नहीं है। लेकिन क्या उसको सुधारने के लिए जो विधेयक ला रहे हैं उससे यह सुधर जावेंगी? यदि ऐसा होता तो हम भी इसमें सहयोग देने के लिए तैयार होते। जिस व्यवस्था के लिए, जिस सम्प्रदाय के विचारों को प्रसारित करने के लिए, समाज में आध्यात्मिक नैतिकता का प्रचार हो इस उद्देश्य से मन्दिरों के अन्दर सम्पत्ति देकर जो व्यवस्था की थी उसको सुधारने के लिए मन्त्री महोदय कुछ नहीं करने वाले हैं जिससे कि उससम्प्रदाय का प्रसार हो और प्रचार हो। कहा जा रहा है कि मन्दिरों में भ्रष्टाचार है,अनैतिकता हैं,पापाचार होता है। ये बातें तो कही जाती हैं लेकिन इन बातों को रोकने के लिए कुछ नहीं किया जाता है। मन्दिरों में कैसी अनैतिकता है, लोगों में अश्रद्धा जागृत हो रही है उनको रोकने के लिए कोई नियम नहीं बनाया जाता। आज नियम बनाया जाता है कि जो मन्दिरों की सम्पत्ति है, उसका जो धन है उसको किस प्रकार से उपभोग किया जाय। हम लोग जो सम्पत्ति को अर्पण करते हैं इस कारण से नहीं करते हैं कि वह सम्पत्ति भगवान के चरणों पर पड़ी रहे। किन्तु वह धर्मार्थ के लिए करते हैं और उसका उपयोग गरीबों के लिए हो, अपाहिजों के लिए हो या समाज के जो लोग हैं, जिनके जीवन की व्यवस्था नहीं हो सकती है, उन पर खर्चा करने के लिए करते हैं, मन्दिरों के अन्दर पहले यह व्यवस्था थी कि जो गरीब विद्यार्थी हैं उनका वे भार उठाते थे। होस्टल्स चलते थे। होस्टल्स की व्यवस्था आज मंहगी पड़ती है। जितने मन्दिर, मठ थे वे विद्यार्थियों के पालन के लिए खर्च करते थे। मंत्री महोदय इसका उपयोग कहां कहां करेंगे। इसका उपयोग होगा उदयपुर में स्वदेशी कोटन मिल चल रही है, उसमें। अभी अभी उसको देवस्थान से ३० लाख रुपया दिया गया। इस तरह बची हुई सम्पत्ति होगी, जो इन्वेस्टमेंट होगा उसका उपभोग कौन करेंगे। देवस्थान विभाग कहेगा कि संपत्ति पड़ी है, ब्याज मिलेगा। इन्डस्ट्रीज़ खुलेंगी। मन्दिर को दिया गया, क्या इस प्रकार की व्यवस्था के लिए यह संपत्ति दी

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

गई है लेकिन जो मन्दिर की व्यवस्था को मानने वाले थे उन्होंने गरीबों और समाज में सम्प्रदाय के प्रचार के लिए दिया था । बिल में कोई प्रोविज़न नहीं रखा है कि जो सम्पत्ति होगी उसको रिजर्व बैंक या सेन्ट्रल गवर्नमेंट डाइरेक्ट सिक्योरिटीज़ में, बोन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हों, यदि इस प्रकार इन्वेस्ट हो जावेगी तो फिर उपभोग कैसे होगा ? रुपया बचे उसके होस्टल्स खोलें । वहां विद्यार्थियों के रहने की व्यवस्था होती थी वे धार्मिक भावना का प्रसार करते थे । इस प्रकार से जो सामाजिक और धार्मिक प्रसार की संस्थाएं हैं जितने भी मठ और मन्दिर हैं उसके धन को उस सम्प्रदाय के प्रचार के लिए काम में आयेंगे । उसके लिए क्या आप योजना बनायेंग । आप योजना बना नहीं सकते । आप धर्म का प्रसार नहीं कर सकते । आज जो संस्थायें धर्म का प्रसार करती हैं उन पर आप चाहते हैं कि रोक लगे । मुसलमानों के लिए आप कह सकते हैं कि उनके लिए वक्फ एक्ट है वे उसके अनुसार गाइड होते हैं । ईसाइयों के लिए भी आप यही कहेंगे कि उनके लिए भी नियम हैं, उनसे वे गाइड होते हैं । उन नियमों के होते हुए भी उनके धन का किस प्रकार दुरुपयोग होता है, एक सम्प्रदाय से दूसरे सम्प्रदाय में लोगों को बदलने के लिए वे उस रुपये का कैसे प्रयोग करते हैं;इस पर आपका अंकुश नहीं। इसाई मिशनरीज़ जिस ढंग से अपने मन्दिरों और मठों में लगे हुए रुपए का उपयोग करते हैं उसी का कारण है एक तरफ नागा राज्य की मांग हो रही है दूसरी तरफ इसाईस्तान की मांग हो रही है । इसाई धर्म के प्रचार के नाम से जो रुपया उनको विदेशों से मिलता है वह इसी काम आता है । माननीय मन्त्री महोदय यही कहेंगे कि हम धर्मादे का हिसाब रखेंगे, कौन कितना देता है और किस काम आता है, किस आधार पर खर्च होता है इसको भी देखेंगे । मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसाई गिरजाघरों में करोड़ों रुपया आता है वह किस ढंग से खर्च होता हैं उसके ऊपर किसी प्रकार का नियन्त्रण रखने की हमारी सरकार की हिम्मत नहीं है कि उसका हिसाब ले सको । इसके लिये हमारी सरकार हिम्मत नहीं कर रही है, सरकार का केवल मात्र एक ही उद्देश्य है और वह यह कि समाज का ढांचा बदलना है समाज की व्यवस्था को बदलना है । उस समाज की व्यवस्था को बदलने के लिए ही इन डायरेक्ट रूप से इस कानून को यहां लाया गया है जिस प्रकार केन्द्रीय सरकार ने हिन्दू कोड बिल...

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, सदन में कोरम पूरा नहीं हैं । उधर मैं देखता हूं न तो मिनिस्टर साहब ही मौजूद रहते हैं और न उनके साथी ही ।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : धर्म का काम आपकी तरफ ही ज्यादा है ।

(गण पूरक घंटी के पश्चात् पुन:)

श्रीअध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद जारी रक्खें ।

श्री जगदीशप्रसाद : हमारी सरकार की जो सामाजिक नीति है उसके आधार पर सरकार की मन्शा है कि समाज में जितनी भी सालों से चली आई हुई परम्परायें हैं उन परम्पराओं को, रूढ़ियों को, समाप्त करके

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

समाजवाद के ढंग पर समाज की रचना की जावे। हमारी सरकार की मान्यता है कि धर्म के आधार को ही समाप्त कर दिया जाय। आज हमारी सरकार कार्ल मार्क्स के सिद्धान्त के अनुसार धर्म और समाज के अन्दर एक प्रकार से विभेद पैदा करना चाहती है। आज उन्हीं धारणाओं को हमारी कांग्रेस सरकार ने स्वीकार कर लिया है। उनके स्वीकार करने के बाद ही उनके द्वारा इस प्रकार के बिल को लाया गया। ट्रस्ट्स का नियमन करना है तो ट्रस्ट्स के लिए अलग कानून है। समाज के जितने भी ट्रस्ट हैं, चाहे वे धार्मिक हों या अन्य किसी प्रकार के हों, उनमें यदि भ्रष्टाचार होता है तो उसके लिए हमारे यहां पहले से कानून मौजूद हैं। फौज़दारी कानून है, ट्रस्ट एक्ट है। केवल ट्रस्ट का ही मामला हो तो सरकार को उसके लिए कानून बनाने की जरूरत नहीं थी। सरकार तो उससे भी एक कदम आगे बढ़ना चाहती है। यह जो बिल बनाया गया है इसका नाम हिन्दू ट्रस्ट बिल रखा है। इसके मायने यह हैं कि मन्दिरों और मठों की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को समाप्त कर अपने कन्ट्रोल में उनको लेने का है। उनकी व्यवस्था में आस्था नहीं हैं, इस संबंध में श्रद्धा नहीं है। जिन लोगों की मन्दिर और मठों में श्रद्धा नहीं है उन लोगों के हाथ में आप अधिकार देना चाहते हैं इसके मायने एक ही हुए कि आप चाहते हैं कि समाज में अभी तक धर्म के प्रति श्रद्धा रही है और जिसके नाम पर, भगवान के नाम पर, अपना धन अर्पण करते थे, उनके नाम पर जो पूजा या चढ़ावा देते थे उनका उपभोग करने का अधिकार अब सरकार को होगा, सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों को होगा। भगवान के नाम पर या उस समाज के हित के नाम पर जो लोग धन अर्पण करते थे, आज इस विधेयक द्वारा हम उस भावना को समाप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। जिस भावना के आधार पर मन्दिर और मठों की स्थापना हुई, श्री शंकराचार्य ने जो मठ स्थापित किया वह हिन्दू धर्म के प्रचार के लिए किया था। क्या हमारी सरकार कमिश्नर या कलेक्टर द्वारा इस प्रकार की कोई योजना बनायेगी? जितना भी रुपया पैसा बचत में होगा उसका क्या उपयोग होगा? क्या उस पैसे का उपयोग उस धर्म या सम्प्रदाय के सिद्धान्तों के प्रसार और प्रचार के लिये खर्च होगा, जिस सम्प्रदाय का वह ट्रस्ट है। जैसे नाथद्वारा का मन्दिर है इसका यदि आप ट्रस्ट बनाते हैं तो उस ट्रस्ट के धन का उपयोग क्या वैष्णव सम्प्रदाय, पुष्टिमार्गीय सम्प्रदाय के विचार धाराओं के प्रसार के लिये खर्च किया जायगा? उसके जो पुजारी हैं उनको इसलिए पैसा दिया जाता है कि इस सम्प्रदाय की बढ़ोतरी हो। जितना भी पैसा मिलता है उस सम्प्रदाय से, उस पैसे से आप यदि उनके प्रचार के लिए संस्थायें खोलते हैं तो उनमें अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा मिल सकती है और उस धर्म का प्रसार हो सकता है। सनातन धर्म वालों का या आर्य समाज के मन्दिर हैं या भिन्न भिन्न सम्प्रदाय के मठ या मन्दिर हैं उन सब के ट्रस्ट का केवल एक ही मतलब है, वह यह कि उस मठ या उस सम्प्रदाय के विचारों का प्रसार हो लेकिन आप इसके द्वारा यह कहने वाले नहीं। इस व्यवस्था को करने के लिए आपका यह कानून नहीं है। जिस चीज के लिये सरकार कहती है कि हम,

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

मन्दिरों में जो अव्यवस्था है उसको समाप्त करना चाहते हैं, वह अव्यवस्था समाप्त इसलिए नहीं होगी कि वहां महन्तों और मन्दिर के पूजारियों में अनैतिकता आगयी है। वैसी हालत में तो यह कानून भी क्या करेगा ? उसके लिये आप कह सकते हैं कि किसी पुजारी या महन्त में व्यक्तिगत दोष है तो उसका सरकार क्या करेगी। वह नित्य दो समय आता है, पूजा सविधि करता है, गद्दी पर बैठता है, इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं ? उसके व्यक्तिगत गुण अवगुण में सरकार पड़ने वाली नहीं, न इस बारे में ट्रस्टीज़ को और न कमिश्नर को ही इस बारे में बोलने का अधिकार होगा। जिस बात को हम और आप समाप्त करना चाहते हैं वह इस तरह से समाप्त नहीं हो पायगी। इससे साफ जाहिर कि सरकार चाहती क्या है ? वह चाहती है कि इस प्रकार की बातें बढ़े ताकि समाज में इस प्रकार की संस्थाओं के प्रति, मन्दिरों के प्रति आस्था घटे। ताकि उसमें जो धन लगा हुआ है उसका प्रयोग सरकार कर सके। वैसी हालत में जब जनता देखेगी कि हमारे दिये हुए धन का उपयोग सरकार द्वारा होता है तो वह इस प्रकार से धर्मादे आदि में पैसा नहीं देंगे। सरकारी अधिकारी जो धर्म कर्म नहीं मानते उन लोगों को पैसा क्यों दें, यह भावना लोगों में घर करने लग जायगी तो आगे होकर कोई पैसा नहीं देगा। इसमें इस प्रकार के नियम नहीं है कि महन्त या पुजारी किसी प्रकार का भ्रष्टाचार करते है तो उस पर रोक लगा दें। सरकार तो चाहती है कि भ्रष्टाचार बढ़ेगा तो समाज की उन मन्दिरों और महन्तों के प्रति आस्था घटेगी। सरकार का केवल मात्र उद्देश्य ही यह है कि इस प्रकार इन संस्थाओं से लोगों की आस्था समाप्त हो। इसलिए आवश्यक है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, हो सकता है, वहां पर कुछ इस प्रकार सुधार हो जाय या जनमत के लिये भेजा जाय ताकि जो जनता पहले से इसको नहीं चाहती उनका विरोध होगा। ऐसी हालत में तो मेरा यह निवेदन है कि सरकार इस व्यवस्था को अपने हाथ में न लें।

हमको जो संविधान के द्वारा मूलभूत अधिकार मिले हैं हमको हमारी इस प्रकार की संस्थाओं का नियमन करने का अधिकार है। इस पर सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय किया है इस प्रकार का। तो फिर सरकार को ऐसा अधिकार नहीं है और इस सूरत में इस बिल की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इस बिल को बिलकुल भी विचारार्थ न लेकर बिल्कुल रद्द कर दिया जाना चाहिये।

श्री किशनसिंह बाट्टड़ (लछमनगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं इसका समर्थन करता हूं और इस के साथ साथ जो सिलेक्ट कमेटी में भेजने का या जनमत के लिये प्रसारित करने का प्रस्ताव आया है, उसका विरोध करता हूं।

मैं यह महसूस करता हूं कि यह जमाने की मांग है और इस मांग को जितना जल्दी हो सके, मन्जूर कर लेना चाहिये था। सरकार जनता की है और सरकार को अपने चहुँमुखी प्रगति की तरफ देखकर चलना पड़ेगा। यदि हम अपने शरीर को हर तरफ से नहीं सम्भालेंगे तो बड़े कैसे होंगे। इसी तरह से सरकार चारों तरफ से अपने शासन

Page No.39

(श्री किशनसिंह बट्टड)

को नहीं सम्भालेगी तो शासन की व्यवस्था ठीक नहीं चलेगी। हमारी सरकार ने यह ठीक ही सोचा है कि मन्दिरों की जो गड़बड़ व्यवस्था आज है उसे ठीक करना चाहिये। मन्दिरों का जिर्णोद्धार होना चाहिये। आज सारे हिन्दुस्तान में जहां जहां भी मैंने देखा, मंदिर टूटी फूटी हालत में पड़े हैं। मैं गयाजी में एक जगह गया था वहां का बौद्ध मंदिर मैंने देखा और गयाजी के दूसरे मन्दिर भी देखे। हम लोग कई साथी थे। हमारी अगुआई एक पुजारी कर रहा था। पुजारी से हमारी बातें हुईं। उनसे पूछा कि इस मन्दिर से तुम्हें कितनी आमदनी है। कितने परिवार इस मन्दिर की आमदनी से पल रहे हैं। उसने सारी बातें बताईं। इसके साथ साथ एक साथी ने पूछा कि ये मन्दिर टूटे फूटे क्यों पड़े हैं, इनकी मरम्मत क्यों नहीं कराते ? उसने जवाब दिया कि इससे जो आमदनी होती है वह तो हम अपने परिवार के पालन पोषण में ही काम में ले लेते हैं, उसके लिए भी कम पड़ती है, बचता कुछ नहीं फिर मरम्मत कहां से करवाएं। अब ऐसा होता है कि आने वाला यात्री अगर चाहे तो उसकी मरम्मत करा दें। हम तो इसकी मरम्मत के लिए यात्रियों पर भरोसा रख कर चलते हैं। उनकी दलील ठीक थी। तो अब अगर यात्री पर यह मामला न जाकर सरकार पर पड़े और अगर ये सरकार के नियन्त्रण में हों तो यह जीर्णोद्धार का काम ठीक तरह से हो सकता है और सरकार हर मामले में ध्यान देती।

कल एक माननीय सदस्य ने कहा कि यह मन्दिरों में धन जो इकट्ठा होता है वह उनके संस्थापकों, संचालकों आदि की विद्वत्ता, त्याग और तप से और चमत्कार से होता है। पर मैं कहता हूँ इसके साथ साथ भावना के कारण जनता की भावना के कारण भी यह धन आया है। आस्था से यह धन आया है लेकिन वे तपस्वी और त्यागी अगर न रहें और उनकी जगह दूसरे बैठ जावें तो मन्दिर को सम्भालना सरकार का फर्ज हो जाता है ताकि लोगों की भावना और आस्था का हनन न हो। अब अगर ऐसी जगहों की व्यवस्था सरकार नहीं करेगी तो दूसरा कौन करेगा ? हमें इस बात पर विचार करना पड़ेगा। इन सारी बातों पर विचार करने के साथ साथ मैं यह मानता हूं कि कुछ दलीलें तो भावना के साथ चली हैं। पर कुछ लोगों को इस तरह का वहम हो सकता है कि मन्दिरों की व्यवस्था का काम सरकार द्वारा ठीक नहीं चलेगा। आज तक मन्दिर जैसे स्वतन्त्र और स्वच्छन्द रहे हैं वैसे ही रहने चाहिये। पर यह नहीं अब हो सकेगा। आज तो जमाने की मांग है कि इनकी व्यवस्था अब ठीक होनी चाहिए।

एक माननीय सदस्य ने तो यहां तक कहा कि यह सरकार विधर्मी है। मैं कहता हूं नहीं, ऐसा नहीं है। यह सरकार बिल्कुल धर्मी है। इसमें लोग धर्म को मानने वाले हैं। धर्म का विकास करना चाहते हैं। तो फिर कैसे कहा गया कि सरकार अधर्मी है। यह बात इस तरह की नहीं कहनी चाहिये थी।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : किसी भी धर्म को वे नहीं मानते, इसीलिए विधर्मी हैं।

श्री किशनसिंह बाटटड़ : आप अगर किसी का आदर नहीं करेंगे तो आपका भी कोई दूसरा आदर नहीं करेगा। आप सबको

Page No.40

(श्री किशनसिंह बाट्टड)

पापी बतावेंगे तो दूसरा क्या कहेगा आपको। आज सरकार सब धर्मों का आदर करती है। जब सरकार कहती है कि सब धर्म अच्छे हैं तो फिर विधर्मी होने का क्या सवाल है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : यह धर्म निर्पेक्ष शासन है।

श्री किशनसिंह बाटड़ : हां है। आप एक एक बात का उत्तर सुन लीजिये।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : क्या जानते हैं, बालाजी के रोट चढ़ाये हुए हैं केवल।

श्री किशनसिंह बटड़ : मैं आपको बताऊं कि कुछ माननीय सदस्यों को यह भय है कि इससे हमारे स्वार्थ की जो कहीं से न कहीं से पूर्ति होती है उस स्वार्थ को ठोकर न लग जावे।

अब उसके उदाहरण दे सकता हूँ। कलकत्ते का अवध मन्दिर के बारे में आप जानते होंगे। यहां भी दस वर्ष पहले क्या क्या हुआ था? एक मन्दिर है और उसको बने हुए आठ साल हुए हैं। ज्यादा वर्ष भी नहीं हुए हैं। उसमें कोई तीन लाख की प्रोपर्टी आ जाती है नैट इन्कम से। यह बताया जाता है। उस मन्दिर का नाम है, नाम बता रहा हूँ इस वक्त, आप बता दें तो अच्छा रहेगा।

श्री शिवचरण दास (मांडल) : बाला जी का मन्दिर।

श्री किशनसिंह बाटड़ : करणीपुर का मन्दिर हैं। उसमें पूजा होती है।

श्री शिवचरणदास : इस तरफ आवेंगे तो पूजा हो ही जावेगी।

श्री किशनसिंह बाटड़ : उस करणीपुर के मन्दिर में से दांता से आये हुए माननीय सदस्य ने कितने रुपये ले रक्खे हैं। आप ही बता दें तो अच्छा है।

श्री मदनसिंह : ऐसी बातों में बहस न करें तो अच्छा है। मेरे लिया कहा है, इसकी मुझे चिन्ता नहीं। मैं उस बारे में बता दूँ कि कि मैंने एक कौड़ी भी नहीं ली। वहां तो मैं पैसा देता हूं। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि करणीपुर से पैसा लेता नहीं हूं, उल्टे खर्च ही करता हूं। वैसे भी राजपूत ने कभी भी आज तक चारण से पैसा लिया हो ऐसा नहीं है, उससे पैसा लेना वह बहुत ही बुरी चीज गिनता है। करणीपुर अलग स्थान है। वह प्राइवेट है, वह भेंट किया हुआ है। और भी पूछना चाहते हैं तो वह आकर मुझ से आप पूछ सकते हैं। पर इस तरह से कहना यह गलत प्रचार है।

श्री किशनसिंह बाटड़ : यह गलत है तो आज ही किसी को भेज दीजिये। मैं व्यक्तिगत बात में नहीं जाता। आप चाहते हैं तो जाता हूं। तो मैं यह चाहूंगा कि इस विधेयक को पुनर्विचार के लिये सिलेक्ट कमेटी में या जनमत के लिये प्रसारित करने के लिये भेजने की आवश्यकता नहीं है। यह जमाने की मांग है। इस जनता की मांग की पूर्ति होनी चाहिये। सूर्य के प्रकाश के आगे इसी प्रकार से पर्दा डाला गया तो वह प्रकाश रूकने वाला भी नहीं है। सूर्य उदय हुआ है। तो

(श्री किशनसिंह बाटड़)

रोशनी आवेगी। उसे कोई भी कैसे रोक सकता है। मान लीजिये इस विधेयक को एक दो महीने आगे खिसकाना चाहते हों पर फिर भी यह आवेगा यहां और पास होवेगा। इसके बारे में....

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): आप इस विधेयक को सूर्य के समान मानते हैं क्या ?

श्री किशनसिंह बाटड़ : सब बात मिलाकर सूर्य से मिलता ही है। दस वर्ष पहले अधिकार आप लोगों को थे। आपको रोशनी लगती थी। आज क्या हो रहा है। आप देख लीजिये। तो मैं यह कहना चाहता था कि इस विधेयक में यह भी होना चाहिये कि जितने पुजारी हैं वे छोटे हों या युवा हों तो सारे विवाहित होने चाहिये। अविवाहित नहीं होने चाहिये। हम मन्दिर में जाते हैं, चरणामृत लेते हैं और संस्कृति की भावना लेकर आते हैं। वहां हमारी भावना शुद्ध होती है। हम कुछ उनसे सीखना चाहते हैं। लेकिन उन पुजारियों से क्या सीखें जो लड़के बैठे हैं। कुछ जानते नहीं। तो इस बारे में भी सोचना होगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह : इसके लिये तो नियम बन चुके हैं। पुजारियों को सर्टि-फिकेट लेना पड़ेगा।

श्री किशनसिंह बाटड़ : तो अच्छा है तो हमें देखना चाहिये कि कितनी अवस्था का पुजारी हो। इस तरह से गड़बड़ी अधिक नहीं चल सकती। एक तरफ तो शासन की व्यवस्था ठीक करते हैं दूसरी तरफ मन्दिरों को अव्यवस्थित ही रहने दें, यह कैसे हो सकता है। इस अव्यवस्था को ठीक करने के लिये कहा भी गया है–भगवान आते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। इसको मैं मानता हूँ। भगवान इस रूप में आये हैं। कांग्रेस के राज्य के रूप में आये हैं। धर्म की स्थापना इन्होंने की है।

यदा यदाहि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत:
उस श्लोक की पूर्ति हो रही है।

श्री मदनसिंह : इसके आगे क्या है ?

श्री किशनसिंह बाटड़ : पर मैं बता रहा हूं। तो मैं यह मानता हूं कि इस रूप में भगवान ने अवतार लिया था। वह जो पाप छाया हुआ था तो उस पाप को दूर किया है और दूर करके धर्म की स्थापना हो रही है और कुव्यवस्था होने को जा रही है। आप कई बातें कहते कहते जल बोर्ड में चले गये, समाज कल्याण पर चले गये। इस बात का जवाब मुझे नहीं देना है। यह काम मंत्री महोदय का है...

श्री मदनसिंह : आप जवाब कैसे दे सकते हैं क्योंकि आपने इन मंदिरों से खूब लिया है।

श्री किशनसिंह बाटड़ : वह किस ने लिया और क्या लिया है वह आप और मैं समेट लेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमको ऐसे कामों में दिलचस्पी के साथ सरकार को सहयोग देना चाहिए, सरकार के हाथ मज़बूत करना चाहिए ताकि देश में सुव्यवस्था हो। आप कहते हैं बार बार कि देश में सुव्यवस्था नहीं है, गड़बड़ होती है तो कहां होती है गड़बड़, हमारे समाज में गड़बड़ है या हमारे दिल में गड़बड़ है। हम

(श्री किशनसिंह बाटड़)

कहना चाहते हैं कुछ और, और दिल में हमारे कुछ और है और भावना से कुछ और कहते हैं। सरकार कोई अच्छा काम भी करती है तब भी हम कहेंगे उसके विपरीत ही कहेंगे। हम किसी चीज़ को अच्छा नहीं कहेंगे। दिल में इस तरह की बात को मानते हैं कि सरकार ठीक करती है, और इसका सुबूत आपके सामने है। १० साल से आपने देखा कि सरकार ने जब से अवतार लिया था तब से नदियों से नहरें बनाई गई, सड़कें बन रही हैं, स्कूलें खुल रही हैं। अस्पताल खुल रहे हैं,....

श्री मदनसिंह : और भारत माँ के टुकड़े भी हुए हैं और दिन पर दिन जमीन देते जा रहे हैं पाकिस्तान को।

श्री किशनसिंह बाटड़ : एक एक पर विचार करेंगे तो विचार करने के बाद सब तरह से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। सरकार जिन कामों को अपने हाथ में लेती है उनको पूरा करती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा समय न लेकर क्योंकि कई माननीय सदस्य बैठे हुए हैं और समय थोड़ा दिया गया है और अगर एक एक मन्दिर की बात लूं तो बहुत समय लग सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ कहूँगा कि इस विधेयक को पास कर देना चाहिए।

श्री मदनसिंह : On a point of clarification, Sir. परन्तु एक भी बात आप इस बिल में बता दें जिसमें यह कहा गया हो कि मन्दिरों में ये, ये खराबियां हैं उनको मिटाना है। अगर यह बतादें तो हम इसको स्वीकार कर लेंगे। उन्होंने कहा है कि यह अच्छा है लेकिन एक भी धारा ऐसी नहीं बतलाई जिसमें वह चीज़ हो।

श्री किशनसिंह बाटड़ : वे सारी बातें आपके सामने आजायगीं।

श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : अध्यक्ष महोदय, आज हमारे सामने जो तीन दिन से बहस चलती आ रही है वह बड़ी महत्व और अहमियत की चीज़ है पर डिबेट चल रही है। वह हिन्दू ट्रस्ट बिल हमारे सामने पेश होने वाला है। कई माननीय सदस्यों ने यह मांग की है कि इसको पब्लिक ओपीनियन इलिसिट करने के लिए भेजना चाहिए। किसी ने यह कहा है कि इसको प्रवर समिति के समक्ष भेजना चाहिए। मैं तो यह समझता हूं कि इसको न तो प्रवर समिति के समक्ष भेजना चाहिए और न पब्लिक ओपीनियन के सामने भेजने की जरूरत है। यह ऐसी चीज़ है, ऐसी फण्डामेंटल चीज़ है जिसको हमने यहां कानून के रूप में रखने की कोशिश की है वह कानून के रूप में रखे जाने के लायक नहीं है, और अगर रखी है जिस रूप में तो वह कानून का कोई रूप ही नहीं है।

सबसे पहले जो बात मेरी समझ में नहीं आती है वह यह है कि आज़ादी के बाद, हिन्दुस्तान ने आजादी जीती तो हमको यह दिन देखने को मिल रहा है कि आज हम मन्दिरों के ऊपर और उनकी व्यवस्था के ऊपर इस तरह का आक्षेप कर रहे हैं जो कि हमारे धर्म के साथ किसी तरह से चल नहीं सकता है। हम यह मानते हैं कि हम सेक्युलर स्टेट के सिटीज़न्स हैं। हम यह मानते हैं कि हमें अपना अलग अलग धर्म निभाने का हक है। हमको विधान ने वह हक दिया है।

(श्री अनोपसिंह)

इस सब के बावजूद हम देखते हैं कि यह इस तरह का बिल लाया गया है जिससे हमारी इस धारणा के ऊपर कि हम धर्म, अपने मन और अपनी आत्मा की मंशा से रख सकें, इस बात में बड़ी शंका पैदा हो जाती है। हमारे विधान ने हम को, जो हमारा धर्म है, उसको वैसे का वैसा निभाने का हक दिया है। लेकिन इससे ऐसा मालूम हो रहा है कि हमें हक नहीं है। आप कहेंगे कि गवर्नमेंट किसी को बाध्य नहीं करती है कि वह हिन्दू से क्रिश्चियन हो जाय, क्रिश्चियन से पारसी हो जाय और पारसी से जैन हो जाय। सिर्फ इतनी सी बात रह गई है। लेकिन धर्म की जो संस्थाएं हैं उनके ऊपर हमारा कन्ट्रोल रहेगा। एक बड़ी अजीब बात है कि हमारी सरकार एक प्रजातान्त्रिक सरकार है। वोटों से चुनी जाने वाली सरकार यह कहती है कि हम कान्शस के कन्ट्रोलर्स भी हैं। आत्मा का कन्ट्रोल उनके हाथ में दिया जाना चाहिये। जब कोई स्टेट वहां की जनता की आत्मा की कान्शस कन्ट्रोलर बनने का दावा करने लगती है तो मैं समझता हूं कि वहां पर फिर गवर्नमेंट इस बात का दावा नहीं कर सकती है कि हम निरपेक्ष हैं। किसी के धर्म के साथ किसी प्रकार का कोई इन्टरफियरेंस नहीं करना चाहते हैं। वह बात गलत साबित हो जाती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात इस बिल के अन्दर जो मैंने देखी है वह यह है कि इसका नाम रखा गया है हिन्दू पब्लिक ट्रस्ट बिल। अगर ध्यान से देखें और जो कोई भी समझने वाले माननीय सदस्य, कानून के समझने वाले माननीय सदस्य यहां पर बैठे हुए हैं उनके सामने रखें कि ट्रस्ट के जो फण्डामेन्टल्स होते हैं जिनके आधार पर ट्रस्ट बनता है, वे आधारभूत कन्डीशन्स, वे शर्तें इसमें मौजूद हैं या नहीं ? कौन इसका बेनिफिशियरी है ? किस आब्जेक्ट के लिए है ? कौन देने वाला है ? कौन रखने वाला है ? कौन ट्रस्टी है ? कौन टेस्टेटर है ? कौन बेनिफिशियरी है और कौन देने वाला है इसका कोई ध्यान नहीं है। चेप्टर २ को खोलकर देखें तो मालूम होगा कि चेप्टर २ की धाराएं ३, ४, ५, और ६ हैं वे ऐसी हैं कि जिससे कि ट्रस्ट बनता है या नहीं बनता है। बेनिफिशियरी कौन है या नहीं, ट्रस्ट का ऑब्जेक्ट पूरा होता है या नहीं होता है ? किसी वक्त खत्म हो जाता है फिर भी ट्रस्ट कायम रहता है। यह कौन सा ट्रस्ट हुआ ? यह अभी तक मेरी समझ में नहीं आ रहा है। Public trust not to be void on ground of uncertainty...जो ट्रस्ट बनने के आधारभूत फण्डामेन्ट्स हैं कि आपको सरटेन्टी होनी चाहिए कि ट्रस्ट किस के लिए बन रहा है, क्यों बना रहे हैं और उस ट्रस्ट का मतलब क्या है ? Public trust not to be void on ground of uncertainty तो इसके बाद में क्या रह जाता है ? आगे जाकर अंत में objects for which it is created are unascertained or unascertainable... जो अनअसरटेन्ड हैं, जिनको आप असरटेन्ड-नहीं कर सकते वे भी असरटेन्ड माने जा सकते हैं या नहीं, फिर भी आप का ट्रस्ट रहेगा। आगे चौथे में देखिये : "it is void with respect to the non-charitable or non-religious purpose." यदि नॉन रिलीजियस पर्पज़ के लिए आप ट्रस्ट ला रहे हैं तो फिर हिन्दू ट्रस्ट किस लिये है, रिलीजियस ट्रस्ट किस आधार पर होगा। यदि पब्लिक

(श्री अनोपसिंह)

ट्रस्ट कोई होगा तो उसकी सरटेन्टीज़ होंगी। उसमें बेनिफिशियरीज़ और ट्रस्टीज़ का पता होगा, ट्रस्टीज़ और ट्रेसट्रेटर का पता होगा। इसमें बेनिफिशियर कौन बनता है, ट्रस्टीज़ कौन बनता है और ट्रस्टेटर कौन बनता है, जनता ही देने वाली है, जनता ही उसका उपयोग करने वाली है। उपयोग किस तरह से किया जायगा, मन्दिरों में पूजा करने के लिए भी जनता ही जायगी और जो सुधार किया जाने वाला है वह भी जनता का ही। धन देने वाली भी जनता है और उसका फायदा उठाने वाली भी जनता ही है। बेनिफिशियरी, ट्रस्टी और ट्रस्टेर एक ही हो गये तो फिर समझ में नहीं आया कि ट्रस्ट नाम की बला है क्या? किस फंडामेन्टल आधार पर ट्रस्ट बनता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसका जस्टिफिकेशन क्या है। कानून के सिद्धान्त को देखलें तो ट्रस्ट ही नहीं बनता। अध्यक्ष महोदय, फिर आगे लिखा है: "Public trust not void on ground of absence of obligation." ट्रस्ट में ऑब्लीगेशन होना जरूरी है। इसमें ऑब्लीगेशन है या नहीं फिर भी वोइड नहीं होगा। फिर क्या मजाक है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या लेजिस्लेशन बना रहे हैं। जिस जनता का प्रतिनिधित्व करने हम आये हैं क्या वह इतनी बुद्धू है, मूर्ख है कि हम उसको धोखा देने आये हैं कि हम उनके लिए ट्रस्ट बना रहे हैं। यह हमारे लिए शर्म की बात होगी। जनता इतनी पढ़ी लिखी नहीं है। उसका मोरेल और मेन्टल डवेलपमेन्ट नहीं हुआ है इसलिये आप उसको बता रहे हैं कि हमने तुम्हारे फायदा की चीज़ की है। फायदे की चीज़ किस आधार पर की है? प्रगति के नाम पर। मन्दिरों में धर्म खत्म हो गया है, मन्दिर ऐसे हैं वैसे है, पंडे ऐसे हैं, पुजारी किसी काम के नहीं हैं, भगवान रोता है, भगवान बेचारा पड़ा रहता है, उसको कौन पूछता है। अध्यक्ष महोदय, हमको ऐसी बातें धर्म के लिये सुनने को मिली हैं। प्रजातांत्रिक कहलाने वाली सरकार और उसके नुमायन्दे जो उस तरफ बैठने वाले हैं वे इस बात को कहने के लिये तैयार हैं कि हमारा भगवान रोता है। यदि भगवान रोता है तो वह आपकी वज़ह से रोता है

(करतल ध्वनि)

मंदिरों की व्यवस्था बिगड़ती है तो आपके कारण बिगड़ती है क्योंकि आपके हाथ में है। उसको आप सुधार सकते हैं लेकिन कानून लाकर नहीं सुधार सकते। आपके हाथ में जादू का डंडा नही है जिसकी वज़ह से आप सुधार सकें।

चेप्टर २ में हमने लिखा है: Public trust not void on failure of specific object or society etc. ceasing to exist. यदि कोई संस्था सीज़ टू एग्ज़िस्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है तो उसके बाद भी ट्रस्ट चलता रहता है, यह कौनसा ट्रस्ट हुआ आपका? आगे और देखिये :

"that the performance of the specific object for which the trust was created has become impossible or impracticable, or..."

जिस चीज़ के लिये ट्रस्ट क्रीएट किया गया है यदि वह ऑब्जेक्ट नहीं रहा है तो फिर ट्रस्ट किस के लिये है? कौनसा ऑब्जेक्ट रहा इसका मुझे पता नहीं चलता

(श्री अनोपसिंह)

कि कानून के कौन से सिद्धान्त पर आपका ट्रस्ट खड़ा रहेगा यह तो हमारे लेजिस्लेशन की मज़ाक होगी। जिसके ऑब्जेक्ट का पता नहीं, जिस ट्रस्ट की सरटेन्टी नहीं, किसी को पता नहीं कि हम ट्रस्ट बना रहे हैं तो हम खूब ट्रस्ट बना रहे हैं।

आगे अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करूंगा कि हम कहते हैं कि हम धर्म निरपेक्ष हैं, सेक्यूलर हैं, किसी के धर्म के बीच में बाधा नहीं डालते, किसी को फोर्स नहीं करते, हमने किसी को यह नहीं कहा कि अमुक धर्म रखो। कोई धर्म माने या न माने, मैं अर्ज करूंगा कि धर्म मानना या न मानना एक व्यक्ति की आत्मनिहित चीज़ है। किसी व्यक्ति पर कोई धर्म थोपा नहीं जा सकता धर्म एक ऐसी चीज़ है जो आत्मा के अंदर से निकलती है। कोई राम और सीता को मानता है, कोई महादेव को मानते हैं, कोई ईसा को मानते है, श्वेताम्बर महावीर को मानते हैं, दिगम्बर और किसी को मानते हैं। जो आत्म निहित चीज़ है वह इन्नेट चीज़ है, उसमें नेचुरल इन्सटिन्क्ट है। मर्ज़ी आवे उसको माने आप उसमें बाधा नहीं देते। लेकिन आप यह कहते हैं कि हम तुम्हारे मंदिरों को रोक कर रखेंगे, मंदिरों की व्यवस्था अपने हाथ में रखेंगे। लेकिन आप हैं कौन मंदिरों की व्यवस्था अपने हाथ में रखने वाले ? आये कहां से और कहां से आपको इसके लिये हक मिला ? कॉन्स्टिट्यूशन की किस धारा की तहत हक मिला...

श्री किशनसिंह बाटड़ (लक्ष्मणगढ़) : ज़माने ने दिला दिया, समय ने बदल दिया।

श्री अनोपसिंह : ज़माना आप के ही हाथ में है, और कोई है नहीं ?

एक माननीय सदस्य : यह ज़माना ही है जिसने आपको यहां लाकर बैठाया है।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : आपके ज़माने के दिन तो अब घट रहे हैं।

श्री अनोपसिंह : ज़माने की आवाज़ आप कहां से लाये ? नहीं समझने वाले कहते हैं कि ज़माने की आवाज़ है। ज़माने की आवाज़ रूस और अमेरिका में भी है लेकिन वह यहां आकर नहीं चल सकती। हमें अपने देश में ज़माने की हवा को देखना होगा। रूस और अमेरिका की दुहाई देकर हम जिन्दा नहीं रह सकते। आपकी अपनी परम्पराओं और संस्कृति के साथ बैठने वाला है वही ज़माना है, उसके सिवाय कोई ज़माना नहीं है। ज़माने की दुहाई देकर जो प्रगति की बात करते हैं उसके दिमाग का दिवालियापन है। मैं अर्ज करूंगा कि मुगलों के समय में एक चाइनीज़ ट्रेवलर यहां पर आये और उन्होंने जो कुछ यहां पर देखा और जो कुछ उनका अनुभव था उसके आधार पर उन्होंने एक किताब लिखी उसमें यह बयान दिया कि मैं हिन्दुस्तान के अलग अलग हिस्सों में घूमा बहुत से राज्यों में गया, देशी राज्यों में गया, जहां पर मुसलमानों का राज्य चल रहा था वहां पर भी गया। जहां पर मुगलों का बोल बाला था दिल्ली और आगरा में वहां पर भी गया, बहुत सी हिन्दू स्टेट्स में जाकर देखा। उन्होंने यह लिखा है कि जैसा राजा होता है उसी तरह की प्रजा मैंने देखी। जिस तरह की प्रजा है वैसे ही राजा को भी देखा। यदि राजा में अमुक गुण है तो वही गुण जनता में भी देखा। राजा प्रजा का रिफ्ले-

(श्री अनोपसिंह)

क्शन है और प्रजा राजा की रिफ्लेक्शन है। प्रजा और राजा अलग अलग नहीं हैं। यदि राजा ईमानदार, उच्च आदर्श वाले, इन्टिग्रेटी और करेक्टर वाले होंगे तो प्रजा भी उसी तरह की होगी। और यदि जनता इतनी मज़बूत हो जाय कि वह इन्टिग्रेटी, मोरेल और करेक्टर रखने वाली है तो वह राजा को भी उसी तरह का बना सकती है। लेकिन जहां राजा और प्रजा दोनों एक ही तरह के हो जावें तो उनको निकालने का रास्ता नहीं मिलता।

·१० म० पू०

राजाओं में छोटी छोटी चीजें देखते थे, उनका असर जनता पर पड़ता था। जिस तरह के कपड़े पहनते थे, जनता वैसे पहनती, जिस तरह का खाना खाते थे. वैसा जनता खाना खाती थी, जैसी विचार धारा होती थी, वैसी जनता की विचार धारा होती थी। यह मत कहिये कि ज़माने के अनुसार है। ज़माना कहीं ऊपर से आया नहीं है, यह ज़माना आपका लाया हुआ है। जैसे पहले राजाओं का रिफ्लेक्शन होता था, आज जो पार्टी इन पॉवर है, वह जिस तरह करती है, जिस तरह का खाना खाती है, जिस तरह के कपड़े पहनती है, जिस तरह की विचारधारा रखती है, उस तरह से जनता में होता है। मैं समझता हूं कि मोरल स्टेन्डर्ड एक दिन में घटाया नहीं जा सकता, बढ़ाया नहीं जा सकता, ऊंचा नहीं किया जा सकता। मैं इस देश में रहते हुए भी इस बात को मानता हूं कि हममें सेल्फ रेस्पेक्ट जैसी चीज़ नहीं है, करेक्टर, इन्टिग्रेटी, ऑनेस्टी नहीं है। मैं आपकी जेब काट लेता हूं, तो समझता हूं कि बड़ा होशियार हूं, बड़ा लायक हूं। मैं आपकी टोपी उतार लेता हूं, मैं समझता हूं, मैंने आपकी टोपी उतार ली, बहुत अच्छा काम किया। मेरे दोस्त कहते हैं, मैंने बहुत अच्छा किया। अध्यक्ष महोदय, यहां एक घंटे बैठ कर विचार करके हम किसी को सुधार या बिगाड़ नहीं सकते। मैं निवेदन करूं कि मुगलों के बाद यहां जिस वक्त अंग्रेज आये, उस वक्त जो कुछ कमियां थी, करेक्टर की कमज़ोरी के नाम जैसी चीज़ थी, ये अधिक नहीं थीं। ईमानदारी से बोलना, करेक्टर को अच्छा रखना, किसी को दुख न देना, यह आज हममें वाकई हर जगह नहीं है। इसलिए सिर्फ मंदिरों को देख कर कहें कि मंदिरों में खराबी है, व्यवस्था खराब है, बेईमानी है, व्यभिचार है, नैतिकता से गिरे हुए हैं, तो आप जैसे हैं, आपके मंदिरों में आपका खुद का रिफ्लेक्शन है। आपके मंदिर ऐसे नहीं हैं कि जो आपसे बाहर हों। यदि मंदिरों में खराबी है, धन का दुरुपयोग होता है, उसको रोका जाय, व्यवस्था की खराबी को रोका जाय। यह नहीं कह सकते हैं कि हमारी रेस्पोन्सिबिलिटी नहीं है। सोसाइटीज़ की वज़ह से मंदिर बने हैं, उनकी वज़ह से मंदिर बने हैं, अगर सोसाइटीज़ खराबी कर दें तो मंदिरों में खराबी हो जायगी और अगर सोसाइटीज़ अच्छाई करना चाहें तो मंदिर ठीक हो सकते हैं। लेकिन आप कानून को हाथ में लेकर के कहते हैं कि मंदिरों की व्यवस्था को ठीक कर देंगे। मंदिर आपके कानून की वज़ह से ठीक होने वाले हैं, ऐसा आप समझते हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आज जो कुछ भी है, वह इसलिए है कि आज जैसी भी पार्टी इन पॉवर है, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, उसमें जो गुण और अवगुण हैं, उसकी वजह से ही आज कमजोरियां हैं, खामियां हैं। यह सत्तारूढ़ दल की वज़ह

Page No.47

(श्री अनोपसिंह)

से है । पहले राजा महाराजाओं की वज़ह से थी । आज राजा का जो पद है, जो कुर्सी है, उस पर दूसरे हैं, उनकी वज़ह से है । आप ख्याल रखें कि जो मोरलिटी है, वह नीचे इनफ्लिट होती है । आज राजा पर रिफ्लेक्शन जनता का नहीं है, राजा का रिफ्लेक्शन जनता पर है । इसलिए अर्ज करूंगा कि आप किसी कानून को बना कर यह समझ लें कि मंदिर की व्यवस्था टीक कर लेंगे, मैं अर्ज करूंगा कि आपने शारदा कानून बनाया लेकिन क्या बाल विवाह रुक गये, आज दिन तक, जब कि पीढ़ियां निकल गई हैं, हम देख रहे हैं कि बाल विवाह रोज़ हो रहे हैं और आप उनको नहीं रोक सके हैं । आप में हिम्मत नहीं है कि आप में से कोई जाकर गवर्नमेंट को शिकायत करे कि अमुक व्यक्ति ने छोटी उम्र के लड़के या लड़की की शादी कर दी है । ऐसे कितने हैं जिन्होंने शिकायत की होगी और किसी शादी को रुकवाया होगा, रोज़ विवाह अपने सामने होते हैं । इसी तरह आपने मृत्यु भोज का कानून बनाया...

श्री दलपतसिंह (आबू) : I hope 'Montri Mahoday' will not sleep and hear him.

श्री नाथूराम मिर्धा : I am hearing patiently.

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : उनकी चर्चा हो रही है इसलिए नींद आ रही है ।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : समाधि में हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : धर्म का मामला है इसलिए जरा ध्यान से सुनना चाहिए ।

श्री अनोपसिंह : बड़ी मेहरबानी है । तो शारदा बिल आपने बनाया लेकिन बाल विवाह नहीं रुके । आपने मृत्यु भोज कानून बनाया लेकिन मृत्यु भोज बन्द नहीं कर सके । आपने एन्टी प्रोस्टीट्यूशन बिल बनाया लेकिन वेश्यावृत्ति बन्द नहीं हुई....

श्री गोकुलचन्द जाटव (लक्ष्मणगढ़) : मृत्यु भोज बिल आ रहा है ।

श्री अनोपसिंह : मृत्यु भोज बिल आया था, वह फेल हो गया । वह फिर फेल होगा । क्योंकि जिस तरह का राजा होता है, वैसी प्रजा होती है । "यथा राजा तथा प्रजा" जिस तरह का राजा होता है, उसी तरह की प्रजा होती है । इसलिए अर्ज करूंगा कि आपका जो मोरल स्टेन्डर्ड है, वैसा आप जनता में पाते हैं, वही मोरल स्टेन्डर्ड देखते हैं, तो राजा जिस तरह का होगा, उसी तरह की प्रजा होगी, यथा राजा तथा प्रजा ...

श्री किशनसिंह बाटड़ : वैसी प्रजा नहीं होती है । पहले राजा के १०० रानियां होती थी लेकिन प्रजा को एक नहीं मिलती थी ।

श्री अनोपसिंह : Right Sir. धर्म ऐसी चीज़ है, जो आदमी के अन्दर की चीज़ है, एक आत्मा के नियंत्रण की चीज़ है, उस पर किसी तरह का कंट्रोलर बने तो मेरे ख्याल में, फेल होना पड़ेगा । आज जो आप मंदिर की व्यवस्था देख रहे हैं, उसको सुधारना है तो जनता के अन्दर एक परिवर्तन लाना पड़ेगा, एक क्रान्ति लानी पड़ेगी कि जनता उन मन्दिरों में न जाये, जनता उन मन्दिरों को न पूछे, जनता उन मंदिरों में भेंट

(श्री अनोपसिंह)

न चढ़ाये, जनता उन मन्दिरों में बैठे, प्रतिष्ठित मूर्ति में श्रद्धा न रखे। आप कानून को लेकर क्या कर सकते हैं, जिनमें श्रद्धा है, भावना है, वे मन्दिरों में जायेंगे और वहां जाकर पूजा और भेंट चढ़ायेंगे। आप कहेंगे कि पूजा का जो धन मिलेगा, उसे किसी बैंक में रखना है। इस कानून के हिसाब से वह रुपया बैंक में रखा जायगा और उस बैंक के रुपये को डवेलपमेंट में लगाया जायगा। मैं समझता हूं कि जो भेंट मूर्ति और भगवान के लिए दी गई है, वह बैंक में जमा होगी, उसको खर्च करने का पुजारियों का अधिकार नहीं होगा, आप का उस पर क्या अधिकार है, वह आपके हाथ की चीज़ नहीं है, आप की वजह से वह नहीं मिली है, भगवान में श्रद्धा होने के कारण मिला था, भगवान में भक्ति थी, इसलिए दिया गया। मैं अर्ज करूंगा कि यह ऐसी चीज़ है जिसे आप कानून से नहीं बदल सकते। आप कहते हैं हम व्यवस्था को बदलने वाले हैं, इसलिए व्यवस्था को बदल कर रखेंगे। मैं कहता हूं कि अव्यवस्था जैसी कौनसी चीज़ है, ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट हैं, आपने किस की अव्यवस्था को बदल दिया, आपने किस जगह में से अव्यवस्था को निकाल दिया। आपका पुलिस डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, किस डिपार्टमेंट में अव्यवस्था नहीं है, किसमें आपने सुधार करके बताया। क्या फॉरेस्ट में अव्यवस्था नहीं है। किसी की हालत को देख लीजिये, जांच कर लीजिये। फिर आप कहें कि हमारे रहते हुए अव्यवस्था रहती नहीं, मैं कहता हूं जिस तरह की गवर्नमेंट की मशीनरी है, जिस तरह के गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, उनके रहते हुए, जो ढांचा बना हुआ है, सारी बातों का दबा देने का, गलत बातों को दबा देने का, जो सच बात है, उसको बाहर न आने देने का, एक तरीका हो गया है, जो व्यक्ति अच्छा काम करता है, उसकी अच्छाई को न मानना, यह एक तरीका हो गया है। मैं अर्ज करूंगा कि किस तरह से रोकेंगे जो मन्दिरों में अव्यवस्था है, यह आपके बस की बात नहीं है। जो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, उनको किस तरह से आज पढ़ाया जाता है।

१०–६ म० पू०

श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन।

आज कल जनता इतनी होशियार है कि थोड़ी देर में पटा लिया जाता है। किसी केस को दबाने के लिए कहा जाता है और गवर्नमेंट कर्मचारी चन्द चांदी के टुकड़ों में बिक जाते हैं। आप कहते हैं कि मंदिरों में अव्यवस्था का ढेर लगा हुआ है, वे कीचड़ के घरोंदे हैं। वे कीचड़ के घरोंदे आपकी वजह से हैं सरकार, आपकी वजह से हैं। आपका जिस तरह का मोरल स्टेन्डर्ड है आपने वैसा ही उनका बना दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, समझ में नहीं आता कि हम जनतंत्र को कहने वाले हैं, हम यह कहने वाले हैं कि हम सेक्यूलर हैं, फिर भी हम जनता की सारी चीजों के अन्दर इन्टरफियर करना चाहते हैं। रिलिज़ियस इन्सटिंक्ट है, जो धर्म की भावना है, वह अपने खुद की चीज़ है, वहां तक तो आप पहुंच गये हैं, वहां तक आपका कानून और हाथ, जो गड़बड़ करने वाले हैं, पहुँचने वाले हैं, फिर आप क्यों कहते हैं कि हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। मेरे ख्याल से इस बात को मानना

(श्री अनोपसिंह)

चाहिए कि आपमें और किसी फासिस्ट गवर्नमेंट में किसी तरह का फर्क नहीं रहा है। बहुतों ने कहा कि राजाओं ने, जागीरदारों ने अपने स्वार्थ के लिए ऐसा किया, वैसा किया और उन्होंने इस तरह की अव्यवस्था की। मैं अर्ज करूंगा कि जागीरदारों और राजाओं ने मंदिर बना दिये हैं, वे इतने लम्बे चौड़े और इतनी जगह में बना दिये हैं, जिनसे हज़ारों लाखों रुपये की आमदनी आ रही है और उनकी सेवा पूजा के बजट के लिए जागीरें की जागीरें मंदिरों को दी हैं। आप में से कितने हैं, जिन्होंने जागीरें दी हैं। यह सरकार है, यह एक मंदिर भी चला कर नहीं बता सकती। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितने मंदिर पहले बने हैं, उनके अलावा एक भी नया मंदिर नहीं बनवा सकी है। मैं कहूंगा कि उन्होंने सिर्फ पैसा ही नहीं दिया, बल्कि खून बहा कर भी मंदिरों की प्रतिष्ठा को रखा है, मंदिरों की मूर्तियों को कायम रखा है, धर्म को कायम रखा है

एक माननीय सदस्य : सामन्तों को मन्दिरों का भोग होना पड़ा।

श्री अनोपसिंह : वह भी आपकी वज़ह से।

श्री उपाध्यक्ष : Order, Order

श्री अनोपसिंह : इन सब को बातों देखते हुए जिस तरह हिन्दू पब्लिक ट्रस्ट बिल की कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सामने है उसको देखते हुए हमें मालूम होता है कि आप इससे पब्लिक को गुमराह करना चाहते हैं और यह कहना चाहते हैं कि मन्दिरों की सुव्यवस्था के लिये हमने ट्रस्ट बनाया है। मगर हमें यह मालूम नहीं कि इसकी आधार शिला किस पर रखी जावेगी। इसकी फाउन्डेशन कहां है। हमने ट्रस्ट बना दिया मगर फिर भी मैं यह कहूंगा कि आज जो व्यवस्था है उससे ज्यादा मन्दिरों की व्यवस्था आपकी आँखों के सामने गिरती जावेगी और आपके इस प्रगतिशीलता के नारे के पीछे गिरती जावेगी। यह कहना कि हम सेक्युलर हैं और किसी धर्म पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं मगर मैं यह कहूंगा कि आप हमारी संस्कृति की जो आधार भूत शिलाएं हैं और केन्द्र हैं उनको आप खत्म करना चाहते हैं जिसको ट्रस्ट बनाने का कोई आधार नहीं कोई शिला ही नहीं है और जब किसी चीज़ का कोई आधार ही नहीं, आधार हीन चीज़ हैं तो उसकी इमारत कैसे बनेगी। बिना नींव के इमारत आप कैसे शुरू करेंगे। अगर आप इमारत को बनावेंगे तो उसमें वे लोग देवेंगे जिन्होंने मन्दिरों की व्यवस्था को बिगाड़ने में अपना हाथ दिया है।

उपाध्यक्ष, हालांकि वक्त कम है लेकिन मैं इस पर कुछ कहना चाहता हूं। इसके क्लॉज़ बाई क्लॉज़ पर तो नहीं कह सकता क्योंकि समय कम है और मैं यह समझता हूं कि यह कानून क्लॉज़ बाई क्लॉज़ पास नहीं होगा और अगर होगा तो हट धर्मी से होगा। हम सही रास्ता बताते हैं फिर भी गलत काम करते हैं तो पास हो जावेगा तो यह दूसरी बात है।

इसके बाद एस्टेबलिशमेंट ऑफ दी बोर्ड और उसके फंक्शन्स और मेरिस्ट्स के लिन्क हैं उनको देखने से मालूम होता है कि हमने अनाधिकार चेष्टा की है और उसके

Page No.50

(श्री अनोपसिंह)

कारण से मैं समझता हूं कि हमारे धर्म की आधारभूत शिलाएं डिग जाने वाली हैं जिनको हमारे बाप दादों और पूर्वजों ने और दूसरों ने मिलकर अपने खून से सींचा था। वे चीजें आज नीचे पड़ने को तैयार होंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं किसी धर्म को यह न मानते हुए कि अमुक धर्म अच्छा है या बुरा, मैं यह भी नहीं कहता कि इस धर्म को माना जावे या नहीं। कौनसा धर्म बड़ा है और अच्छा है। मैं इस बात को मानता हूं कि हर एक आदमी अपने अपने धर्म में बड़ा है और तभी तक बड़ा है जब तक वह अपने धर्म को मानता है। मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें मुसलमानों की मस्जिदें हैं जिसमें इस तरह के मुस्लिम कल्चर के हिसाब से रहते हैं, क्या उनमें अव्यवस्था का नाम नहीं है, क्या पारसियों के जो राष्ट्रीयन मन्दिरों में, क्या क्रिश्चिनों के चर्चों में, अव्यवस्था का नाम नहीं है। जब सब में अव्यवस्था है तो मेरी समझ में नहीं आता कि सिर्फ हिन्दूओं का आपने ठेका लिया है। आप हिन्दूओं के मन्दिरों को उल्टे और सीधे करेंगे। आप यह कहते हैं कि हम सेक्युलर हैं और बिना किसी कास्ट के सब का बराबर आदर करते हैं। अगर आपको ऐसा करना है तो आपको मुसलमान, क्रिश्चियन और पारसियों के धर्म को भी इसके साथ लेना चाहिये। अगर आप नहीं लेतें हैं तो आप हिन्दू सांस्कृति की परम्पराएं हैं और जो उसको आधार शिलाएं हैं उनको आप किसी तरह से सीधा उल्टा करके ऐसा करना चाहते हैं जहां व्यवस्था है वहां अव्यवस्था पैदा करेंगे क्योंकि आपने इसमें से मुसलमानों को, पारसियों को और दूसरे धर्म वालों को निकाल दिया है। अगर आपकी किसी से दुश्मनी है या रंज है तो हिन्दू धर्म से है। इसलिए आपने हिन्दू धर्म पर आघात करने का विचार किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिल है और मेरे बाद भी बहुत से माननीय सदस्य इस पर बोलेंगे मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा...

श्री उपाध्यक्ष : Moreover we are closing the debate at 11 a. m.

श्री अनोपसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, आपने जो व्यवस्था दी है उसको न मानना मेरे लिए ठीक नहीं। लेकिन यह धर्म का विषय है, इस पर कम से कम टाइम पर सीलिंग नहीं लगाना चाहिये था।

श्री उपाध्यक्ष : यह व्यवस्था अध्यक्ष ने पहले ही दे दी थी।

श्री अनोपसिंह : इसलिए माननीय उपाध्यक्ष मैं आपके द्वारा सदन को पुरजोर शब्दों में अर्ज करूंगा कि सरकार इसके क्या कोन्सीक्वेन्सेज़ होंगे उसको पहले सोचे। आपके धर्म पर कुठाराघात होने वाला है। इसको सोचिये और इसके आधार भूत क्या सिद्धान्त हैं उसको भी सोचिये। और मैं यह कहूंगा कि इससे आप मन्दिर की जो व्यवस्था है उसको ठीक नहीं कर सकेंगे वह तो इससे उल्टी खराब होगी। बस मैं तो यही कहूंगा कि इस पर आप सोच कर विचार करेंगे तो उचित होगा।

श्री गोकुलचन्द जाटव : उपाध्यक्ष महोदय,

Page No.51

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : On a point of order Sir. We are discussing the motion for reference to Select Committee and for circulating this Bill to public opinion. These two motions are being objected to by this House, so whether when this Bill will be taken into consideration, will I be permitted to speak on that motion then ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप तो बोल चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष : The position is like this. Before the House all the three motions are for consideration of (i) The motion for reference to Select Committee (2) for circulation to public opinion (3) and then motion for consideration of the Bill, and they are all simultaneously being discussed. Therefore there will be no option for the Hon'ble members left to speak seperately at a later stage.

श्री गोकुलचन्द जाटव (लक्ष्मनगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आज इस विधेयक पर बहस का शायद चौथा दिन है। कल विधान सभा के माननीय सदस्य जो आखिर में बोले उनके भाषण को सुन कर, मैं तो क्या पूरा सदन ही प्रभावित हुआ। उन्होंने बातें जो भी कही वे वास्तव में अच्छी थी और उनके सुझाव अच्छे थे और उन्होंने कानूनी ढंग से बताया। लेकिन वास्तव में उन्होंने जो बातें कही उनको व्यवहारिकता में लाने के लिये कितना असर होता है और उसके लिये कितनी कठिनाइयें उत्पन्न होती हैं यह बात समझ में नहीं आती है। मैं इस संबन्ध में मन्दिरों या मठों की जो अव्यवस्था है उसके संबन्ध में कुछ कहना चाहूँगा और इससे पहले यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि कुछ माननीय सदस्यों ने ऐसी बातें कह दी जिनको उन्हें नहीं कहनी चाहिये। किसी को नास्तिक कहा गया तो किसी ने मूर्तियों को गिराने की बात कह डाली। मैं यह कहूंगा कि किसी न किसी रूप में सभी लोग धर्म को मानते हैं। दुनियां में सभी लोग किसी न किसी धर्म को मानते हैं। किसी के कहने से कोई नास्तिक नहीं होता। यह तो अपना अपना दृष्टिकोण है। मैं तो सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि अलवर में कुछ ऐसे मंदिर हैं जैसे सीलीसेढ़। यह अलवर से ६ मील दूर है। यहां जो मठ था उसमें पुजापा लेने का नियम है। थोड़े दिन पहले इस सम्बन्ध में यह शिकायत आई थी कि जब सन् ४७ में झगड़े हुए तो उस समय से पहले से ही मेव लोग ही वहां का पुजापा लेते थे, लेकिन जब पाकिस्तान बना तो मेव लोग वहां से भाग गये और उसके बाद वहां का पुजापा और लोग लेने लग गये और उन लोगों को भी हटा कर कोई तीसरा ही लेने लग गया। मेरे पास कुछ लोग आकर कहने लगे कि जो पुजापा लेने का हकदार है उसको अधिकार मिल जाय। उनमें असली कौन है उसको अधिकार देने का सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble Member please. I never wanted to check you so far as progress of the debate is concerned, but we are deviating from the original Bill as proposed and the instances being quoted by you with reference to your talks with other Members, they will not help the cause of the Bill.

कई माननीय सदस्य : हिन्दी में बोलिये साहब ! खूब ही समझ जाय।

Page No.52

श्री उपाध्यक्ष : जो माननीय सदस्य उदाहरण दे रहे हैं वे अप्रसांगिक हैं । यदि बिल के विषय पर ही बोलें तो अत्युत्तम होगा । इस सम्बन्ध में मैंने सदन के माननीय सदस्यों का कई बार ध्यान आकर्षित किया है ।

श्री गोकुलचंद जाटव : उपाध्यक्ष महोदय, जो ट्रस्ट बनाया जा रहा है उसका मकसद यह होगा कि ऐसे मंदिरों की अव्यवस्था में सुधार करें । कहीं पुजारी होना चाहिये वह नहीं है, कहीं कई प्रकार की अव्यवस्था है, उन अव्यवस्थाओं को दूर किया जाय । यही इसका मकसद है । धर्म की व्यवस्था में ऐसी गुन्जाइश नहीं रखी गई है कि किसी मंदिर में अमुक आदमी आने दिया जावेगा और अमुक नहीं आने दिया जावेगा । जब भगवान् की दुहाई दी जाती है तो मैं समझ नहीं पाया कि कहां भगवान् ने ऐसा कहा कि कौन तो भगवान् का आदमी है और कौन भगवान् का आदमी नहीं है । चोर, लुटेरों, डाकू, भ्रष्टाचारी, और रिश्वतखोरों को मंदिर में जाने की इजाजत है लेकिन एक साधु आदमी है, भोला और स्पष्ट सच्चा आदमी है, यह कौनसा धर्म है कि उनको मंदिर में जाने से रोका जाय । जो लोग इस प्रकार के आदमियों को भी मंदिर में जाने से रोकते हैं उन धर्म धोरियों ने आगे आकर कभी नहीं कहा कि धर्म में कमजोरी है और उसके लिए कानून आना चाहिये । आज तक यह बात हमारे सामने देखने को नहीं आयी कि किसीने इस प्रकार कहा हो । कुछ माननीय सदस्यों ने जोर जोर से कहा कि कानून से नहीं किन्तु व्यक्तित्व के बल पर, जनता की राय से चलेगा । मैं मानता हूं कि बात बहुत बढ़िया है, विचार ऊंचे हैं लेकिन वास्तव में उन्होंने अब तक क्या कदम उठाये हैं मंदिरों की अव्यवस्था है, पर उनके लिए कौन दिलचस्पी लेता है ? जो माननीय सदस्य अन्तिम भाषण कर रहे थे उन्होंने बातें तो बहुत कहीं पर वास्तव में अपनी जिन्दगी में उन्होंने और क्या २ कदम उठाये मन्दिरों की व्यवस्था को सुधारने में, अपने जीवन का कितना टाइम इस ओर लगाया । पाकिस्तान और देश के बंटवारे की बात कहना····

श्री मदनसिंह : इसमें कौनसी धारा है जो धर्म के अन्दर सुधार की बात कहती है ।

श्री उपाध्यक्ष : आप आपने भाषण को धारा प्रवाह जारी रखें ।

श्री गोकुलचन्द जाटव : इसमें एक ठेकेदार के हाथ में व्यवस्था नहीं रहेगी, एक मालिक नहीं रहेगा । सरकार कहीं अव्यवस्था देखेगी तो उसको सुधार सकेगी । इससे सब ही धर्मों में एक समानता आवेगी । जैन और अन्य धर्मों वालों को भी सब को ही इसमें मौका मिलेगा, देखरेख करने का मौका मिलेगा । वहां सुधार की बात होगी और बिगाड़ की बात नहीं होगी । यह धर्म की व्यवस्था की बात है...

श्री मदनसिंह : सरकार तीन जातियों के धर्म की बात को क्यों छोड़ देती है ।

श्री उपाध्यक्ष : Order, Order please. I would request the Hon'ble Member not to disturb the debate.

श्री गोकुलचन्द जाटव : तो मैं यह कह रहा था कि पाकिस्तान के बंटवारे की बात माननीय सदस्यों ने बीच में कही । मैं यह निवेदन करूंगा कि देश में पाकिस्तान बना,

Page No.53

(श्री गोकुलचन्द जाटव)

तो माननीय सदस्य इस बात को समझ लें कि पाकिस्तान बनाने की जिम्मेदारी इधर के सदस्यों की नहीं है, किन्तु उधर के सदस्यों की है ।

श्री मदनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना कि इधर के सदस्यों की पाकिस्तान बनाने की जिम्मेदारी है, यह माननीय सदस्यों के ऊपर एक इल्जाम है और बहुत ही सीरियस बात है । इसलिए ऐसे शब्दों को कार्यवाही से हटा देना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : There is no seriousness in the thing, nor in the expression. You will please resume your seat.

श्री मदनसिंह : यह सबसे बुरा इल्ज़ाम है हमारे ऊपर कि पाकिस्तान बनाने में इधर के माननीय सदस्यों का हाथ था । इन शब्दों को हटा देना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने अपनी व्यवस्था दे दी है कि कोई दुर्भावना भाषण और भावना में नहीं थी ।

श्री शिवचरणदास (मान्डल) :- भाषण में तो दुर्भावना नहीं है, लेकिन यह कहना कि पाकिस्तान बनाने में इधर के सदस्यों की जिम्मेदारी है, यह बिलकुल ऑब्जेक्शनेबल और अपमानित करने वाले शब्द हैं जिनको कि इसमें से हटा देना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : Order please.

श्री शिवचरणदास : कांग्रेस ने ही बंटवारा कराया और पाकिस्तान बनाया, इधर के सदस्यों ने नहीं ।

श्री मदनसिंह : पं० जवाहरलाल नेहरू की वजह से ही पाकिस्तान बना ।

श्री उपाध्यक्ष : Order please.

श्री शिवचरणदास : जब माननीय सदस्य बार बार इस प्रकार कहते हैं ..

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ । मैंने बार बार निवेदन किया है और इस प्रश्न की ओर बार बार संकेत किया है कि जहां तक वाद विवाद का प्रश्न है मैं माननीय सदस्यों से उम्मीद करता हूं कि इस सदन की प्रतिष्ठा रखी जाय और ऐसा नहीं हुआ तो आरोप और प्रत्यारोप होते रहेंगे । ऐसी स्थिति में मेरा अनुरोध है कि माननीय सदस्य संयम रखेंगे ।

श्री गोकुलचन्द जाटव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही विनम्र शब्दों में निवेदन करूंगा कि मेरा यह उद्देश्य नहीं था और न मेरे यह स्वभाव में ही है कि किसी दूसरे के दिल को चोट पहुँचाऊं । मैं भी धर्म को मानता हूँ और हर पार्टी के माननीय सदस्य मेरे स्वभाव से परिचित हैं कि मैं किसी प्रकार से उनके हृदय को कोई चोट नहीं पहुँचाना चाहता हूं । लेकिन मेरे दिल में दुःख था और होता है कि जहां आज धर्म की बातें तो कही जाती हैं और होता क्या है कि चोरों को प्रोत्साहन देते हैं । यह भगवान की उपासना के प्रतिकूल है ।

श्री मदनसिंह : आप नाम लेकर बतावें कि कौन चोरी को प्रोत्साहन देते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ । मैं

(श्री उपाध्यक्ष)

आपके संकेत को समझ गया हूं । माननीय सदस्य का आशय माननीय सदस्यों से नहीं है । किसी से नहीं है । सदन के सदस्यों से नहीं है ।

श्री शिवचरणदास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ । मैं माननीय सदस्यों से चाहूँगा कि वे संयम रखें ।

श्री गोकुलचन्द जाटव : देखिये, मेरी बात तो सुन लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि इस वाद विवाद को ११ बजे समाप्त कर रहे हैं ऐसी स्थिति में कोई कन्ट्रोवर्शियल पोजिशन में इसको ले जाना उचित नहीं है । पर्याप्त वाद विवाद हो चुका है इस पर ।

श्री गोकुलचन्द जाटव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि जो घटनायें अपने जीवन में देखी हैं, जो परिवर्तन समाज का देखा है उनके अनुसार यहां कानून भी आवश्यक है । मैं कोई वेद का ज्ञाता नहीं हूं न ही कानून का विशेषज्ञ हूँ लेकिन विद्वानों के सम्पर्क में आने से थोड़ा बहुत ज्ञान इस सम्बन्ध में हुआ है उसके आधार पर कह सकता हूं कि जो धर्म की बातें कहने वाले हैं, वे उस प्रकार आचरण नहीं करते मैं यह नहीं कहता कि कोई धर्मात्मा नहीं है, बहुत से धर्मात्मा धर्म के रक्षक हैं, यदि वे जनता में नहीं आते तो आज धर्म का नाम ही नहीं रहता, वास्तव में ऐसे लोग हैं पर उनकी आड़ में कुछ लोग ऐसी बातें कह देते हैं जिससे कि जनता में उल्टा प्रभाव पड़ता है । एक मिसाल, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से ऐसे कानून बने हैं जो पहले नहीं थे ! जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं उनको देखते हुए ऐसे कानून बनाने भी पड़े हैं । अभी देखा है कि महिलाओं के बारे में कई शिकायतें आयी हैं कि उन पर बलात्कार हुआ है और उनको उड़ाया गया है । इसीलिए सरकार को महिला सदन खोलने पड़े हैं । महिलाओं के लिये जो सेवा सदन खोले गये हैं, वे उन महिलाओं के लिये हैं जो गुन्डों द्वारा सताई जाती हो, ऐसी महिलाओं के लिये जो अपनी इज्ज़त से जिन्दगी चला सके, सरकार ने महिला सदनों की स्थापना की है इसके अलावा ऐसे लोगों को जिनको हमेशा थानों में हाज़िर होना पड़ता था उनको छुटकारा दिलाने के लिये भी कानून बनाने पड़े हैं । हमारे देश में और प्रान्त में भी धर्मात्मा लोग हैं मन्दिरों के भक्त हैं लेकिन जो धन जनता द्वारा उसमें दिया जाता है उसकी अव्यवस्था है उसको ठीक ढंग से व्यवस्थित करने के लिये यह कानून बनाया गया है । इसलिये मेरा निवेदन है कि इसको न तो जनमत के लिये भेजा जाय और न प्रवर समिति के ही सुपुर्द किया जाय इसको तुरन्त विचारार्थ ले लिया जाय यही मेरा निवेदन है ।

श्री रामधन (दौसा) : उपाध्यक्ष महोदय हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास विधेयक का मैं विरोध करता हूं । मैं चाहता हूं कि न तो इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय और न जनमत जानने के लिए ही भेजा जाय इसको बिल्कुल

(श्री रामधन)

रिजेक्ट कर दिया जाय । क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने बड़ी बुद्धिमानी से मन्दिर कायम किये थे जिससे हमारा धर्म वैष्णव धर्म कायम रह सके । इन मन्दिरों में पहले के समय में यह होता था कि गांव वालों को शिक्षा मिलती थी बुद्धिमान लोग पुजारी हुआ करते थे जो विद्यार्थियों को मन्दिरों में पढ़ाते थे । वे पुजारी लोग शिक्षा के प्रसार का काम करते थे । गांव वाले लोग उनसे पढ़ते थे । स्कूलों का सारा काम मन्दिरों में किया जाता था इसी तरह से मन्दिरों में लोग आने वाले रह भी सकते थे । इस तरह से मंदिरों के ज़रिये काफी जनता का भला होता था । इनमें साधु सन्त निवास करते थे धर्मशालाओं का काम मंदिर में किया करते थे । आज स्कूलें जब अलग खुल गई, धर्मशालायें अलग बन गई है वैसी हालत में मन्दिरों का सार्वजनिक उपयोग कम होगया है । आज मन्दिर सार्वजनिक स्थान है इसकी व्यवस्था सार्वजनिक व्यक्तियों के हाथ में रहती है तो अच्छी तरह से व्यवस्था हो सकती है । लेकिन आप यह बिल लाकर के उन मन्दिरों पर आप कुठाराघात कर रहे हैं । इससे मैं समझता हूं गवर्नमेंट को क्या आमदनी होगी । इस प्रकार के कुठाराघात से मन्दिरों पर बुरा असर पड़ेगा । यह मैं मानता हूँ कि कहीं कहीं खराबियां भी आ गई है लेकिन उसको सुधार करने का और भी ढंग है जैसे स्टेट के समय मौज मन्दिर कायम किये थे । उसी प्रकार मन्दिरों के लिये आज भी कर सकते हैं ताकि सब मन्दिरों की जांच कर सकें कहीं अव्यवस्था या खराबी हो तो उसको अपनी देख रेख में ले सकते हैं । आप कमिश्नर की कमेटी कायम करते हैं वह कमेटी क्या काम करेगी । घोटाले की जांच नहीं करेगी तो जैसा नाथद्वारा में कांड हुआ वैसे होते रहेंगे इस तरह से बड़े बड़े मन्दिरों के लिये कमेटी से काम नहीं चल सकता उसके लिये सार्वजनिक जनता की कमेटी होनी चाहिये ताकि सार्वजनिक जनता के हित में वह चल सके । बहुत से मन्दिर ऐसे भी हैं जिनके नीचे जागीरें दे रखी हैं उनमें से काफी जागीरें तो खालसा हो चुकी हैं वैसी हालत में आप जो व्यवस्था करने जा रहे हैं वह व्यवस्था चलने वाली नहीं इसलिये इस विधेयक को रिजेक्ट कर दिया जाय यह कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : Yes, the Hon'ble Minister.

श्री सम्पतराम : He is just coming.

(विराम)

श्री उपध्यक्ष : Just after the heated dabate there is occasion for two minutes' relaxation also.

(राजस्व मंत्री के सदन में प्रवेश के पश्चात् पुनः)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान हिन्दू पब्लिक ट्रस्ट बिल...

श्री उपाध्यक्ष : I am sorry Mr. Satish, that despite our mute silence for a minute or two, there was no member from the opposition to stand and assert the right, but anyhow I relax the rules and allow the Hon'ble Member Shri Satish Chandra for 25 minutes duly which is left to us after

(श्री उपाध्यक्ष)

which no member will speak and the Hon'ble. Minister will reply.

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : Thank you very much Sir.

श्री उपाध्यक्ष : And the speed must exceed more than 300 words per minute.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा तेज नहीं बोलूंगा धीरे धीरे बोलूंगा आशा करूंगा धीरे धीरे और थोड़ा बोलते हुए भी राजस्व मंत्री उन सारी बातों को एप्रीशियेट करने की कोशिश करेंगे ।

राजस्थान हिन्दू पब्लिक ट्रस्ट बिल के संबन्ध में चार दिन से सदन में वाद विवाद चल रहा है । जयपुर से आने वाली माननीय सदस्या ने, इस बारे में एक प्रस्ताव रखा है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय और उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य ने, इसको जनमत के लिये प्रसारित किया जाय, इस आशय का प्रस्ताव रखा है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं दोनों ही बातों के विरोध में हूँ और मैं इस विधेयक को इस सदन में विचारार्थ लिए जाने के सिद्धान्तः विरोध करता हूं । यह बात सही है कि आज के इस युग में, आज की इन सारी परिस्थितियों में, जिस तेजी के साथ जिस गति के साथ हम कानून बनाते जा रहे हैं, मैं यह समझता हूँ कि मेरी शंका बिल्कुल ठीक है और राजस्व मंत्री महोदय और इस विधेयक का समर्थन करने वाले माननीय सदस्य भी शायद इस नारे के आधार पर कि दुनियां में कुछ परिवर्तन होना चाहिये, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिये । सैकड़ों वर्षों से चली आ रही रूढ़ियों में, रिवाजों में परिवर्तन आना चाहिये । मैं यह मानता हूं आज के इस युग में हमारे देवालय, देवस्थान, सार्व. जनिक संस्थायें, चैरिटेबिल और रिलीजियस इन्स्टिटयूशन्स जिनके अन्दर कुछ बिगाड़ आ गया है, ये सारी दुरव्यवस्था की ओर जा रहे हैं इसको सुव्यवस्थित बनाया जाय । इसमें से दो राय नहीं रखता । जैसा कि कल अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने संकेत किया था कि आखिर आप अपने सम्पूर्ण सामाजिक जीवन के बारे में विचार करें मैं यह कह सकता हूँ कि दलबन्दी से ऊपर उठकर विचार करें गंभीरता से विचार करें तो आप इस निष्कर्ष पर पहुचेंगे जहां एक ओर आप प्रगति करते जा रहे हैं प्रगति शीलता के नाम पर नये नये कानून बनाते जा रहे हैं वहां इस बात की उपेक्षा नहीं कर सकते कि आज सम्पूर्ण समाज का जो साधारण नैतिक धरातल है वह दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है । यह बात मैं नहीं कहता समाज के अग्रणी नेता कहते हैं समाज के सारे अगुआ कहते हैं आप भी इसे स्वीकार किये बिना नहीं रहेंगे कि आज जीवन के हर क्षेत्र में चाहे राजनैतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे धार्मिक हो । सब क्षेत्र में नैतिकता गिरती हुई दिखाई देती है । जब हम इन बातों को देखते हैं धार्मिक स्थानों पर होने वाले भ्रष्टाचार, व्यभिचार, अत्याचार और अनाचार को हम देखते हैं तो उससे तो वह बात ज्यादा परिमाण में आज हमारा राजनैतिक जीवन ज्यादा भ्रष्ट दिखाई देता है । राजनैतिक जीवन में हमें जो भ्रष्टाचार दिखाई देता है उस भ्रष्टाचार की ओर केवल संकेत मात्र करना पर्याप्त होगा । आज हमें एक दूसरे

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

का गठबन्धन इनटेलेक्चुअल्स में प्रोस्टीट्यूशन की व्यवस्था देश के अन्दर चलती हुई दिखाई देती है। सम्पूर्ण देश के अन्दर आज एक ऐसी विचार धारा आतुरता से काम करती हुई दिखाई देती है जिसके कारण हमें यह स्पष्ट आभास मिलता है कि इसमें जनतन्त्र और लोकतन्त्र सफल नहीं हो सकता यहां हमें डिक्टेटरशिप लानी होगी और वर्तमान में जो चली आ रही व्यवस्था है उसे समाप्त करना होगा। क्योंकि आज हम देखते हैं कि देश के राजनैतिक जीवन के अन्दर जिस प्रकार भ्रष्टाचार छाया हुआ है उससे यह बात बिल्कुल साफ ज़ाहिर होती है और अगर हम इसके मूल में जांय तो हमें पता चलेगा कि प्राचीन काल में ये बातें थीं राजा के साथ धर्म चलता था। धर्म का प्रचार राज्य के आधार पर होता था। धर्म का प्रचार राजाओं ने तलवार लेकर किया था! एक हाथ में तलवार और दूसरे में धर्म की पुस्तक। जो उनके फॉलोअर नहीं होते, वे या तो उसको मान लेते थे या जिन्दगी से हाथ धो बैठते थे, ये सारी परिस्थितियां जो समाज में थीं इसलिए समाज के नेताओं ने, राजनीति दृष्टाओं ने फिलॉसफी यह रक्खी कि राज्य को धर्म से अलग रखना चाहिये। इसलिए जब हमारा यह संविधान बना तो उनके सामने यह परिस्थिति थी और यह फिलॉसफी थी कि धर्म के साथ राज्य को नहीं जोड़ना चाहिये। धर्म की मर्यादाओं को अलग रखना चाहिये। मैं समझता हूं कि उन्होंने इस प्रकार की बातों को ध्यान में रख कर ही सेक्युलर स्टेट का नारा दिया। राज्य को धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में यहां पर संविधान की धारा २५, २६ की काफी विवेचना की गई।

ये सारी परिस्थितियां संविधान लागू होने के बाद नहीं, पहले भी हमारे यहां लागू थीं। जब कि हिन्दुस्तान में अंग्रेजी शासन था। सन् १८५८ की बात बताता हूं जब विक्टोरिया का यहां राज्य था। वहां पर भी उन्होंने धार्मिक परम्पराओं के बारे में, धर्म के मामलों में हस्तक्षेप करना उचित नहीं माना। क्वीन विक्टोरिया ने १८५८ में एक प्रोक्लेमेशन जारी किया था। आज से सौ साल पहले किया था, अंग्रेजी हुकूमत के ठेकेदारों ने किया था, क्वीन विक्टोरिया ने किया था। और वह इस तरह था:

"Firmly relying ourselves on the truth of Christianity and acknowledging with gratitude the solace of religion, we disclaim alike the right and the desire to impose our convictions on any of our subjects. We declare it to be our Royal will and pleasure that none be in any wise favoured, none molested or disquieted by reason of their religious faith or observance but that all shall alike enjoy the equal and impartial protection of the law and we do strictly charge and enjoin all those who may be in authority under us, that they abstain from all interference with the religious belief or worship of any of our subjects, on pain of our highest displeasure. And it is our further will that so far as may be, our subjects, of whatever race or creed, be freely and impartially admitted to offices in Our service the duties of which they may quail-

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

ified by their education ability and integrity duly to discharge."

आज क्या मैं यह मान कर चलूं कि जो सौ साल पहले प्रोक्लेमेशन किया गया, आज राजस्व मन्त्री महोदय उससे भी नीचे के ग्राउन्ड में हैं। वे क्या उस अंग्रेज शासन से भी नीचे हैं जो वे इस तरह का प्रोक्लेमेशन जारी नहीं कर सकते। कल भी संकेत किया था माननीय उपाध्यक्ष महोदय कि हमारे संविधान की धारा २५ और २६ के अन्तर्गत धार्मिक स्वाधीनता के बारे में जो प्रोविज़न है यह सही है। मैं कानून की बात मानता हूं और कानून का आदमी होने के कारण मानने को तैयार हूं। कुछ ऐसा हो सकता है कि रेगुलेट करने के बारे में इकोनोमिक कन्डीशन को देखते हुए पब्लिक ट्रस्ट बना सकते हैं। इकोनोमिक अन्डरटेकिंग के बारे में आप कुछ कर सकते हैं। इस पर संविधान की धारायें स्पष्ट हैं। मुझे उन्हें समझाने में ज्यादा समय लेने की आवश्यकता नहीं। धारा २५ के बारे में जो लिखा है :

"25 (1) Subject to public order, morality and health and to the other provisions of this Part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practise and propagate religion.

(2) Nothing in this article shall affect the operation of any existing law or prevent the State from making any law–

(a) regulating or restricting any economic, financial political or other secular activity which may be associated with religious pratice;

(b) providing for social welfare and reform or the throwing open of Hindu religious institutions of a public character to all clases and sections of Hindus."

इस प्रकार की व्यवस्था इकोनोमिकल अन्डरटेकिंग के बारे में है। राज्य को अधिकार दिया है कानून बना सकता है। पर एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रोपर्टी का एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा, मैनेजमेंट कौन करेगा, ट्रेजरार कौन होगा इन सबों का एपोइन्टमेंट किस तरह होगा इन सारी बातों के बारे में सम्पूर्ण अधिकार अपने हाथ में लेने की जो हिमाकत की है वह स्पष्ट रूप से उल्लंघन है इस धारा का। मैं राजस्व मन्त्री जी से इस बारे में, वैसे तो वे स्वयं कानून के जानकार हैं, वकील भी रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी वे जानते होंगे कि उसने इस बारे में कैसा क्या फैसला दिया है उसके जवाब में भी वे आगे आकर कुछ बतायेंगे और यह भी कहेंगे कि और स्टेटों में भी ऐसा है, पर उन की वेलिडिटी के बारे में, उनकी वैधानिकता के बारे में जब सवाल खड़ा हुआ तो मैं उन का ध्यान सुप्रीम कोर्ट के ज़जमेंट की ओर दिलाना चाहूंगा जो उन्होंने बम्बई सरकार के कानून के बारे में बम्बई हाईकोर्ट के निर्णय के सिलसिले में दिया है उसमें ऑथोरिटी के साथ ले डाउन किया है कि पब्लिक ट्रस्ट के मामलों में राज्य का हस्तक्षेप कहां तक उचित है।

मैं इस ज़जमेंट का केवल रिलेवेन्ट पोर्शन सदन की जानकारी के लिए सदन में रखना

Page No.59

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

चाहूंगा और आशा करूंगा कि मेरे इस कथन पर वे गौर करेंगे :

Ratilal Panachand Vs. State of Bombay and others. and Sir Shapoorjee Bomonjee Billimoria and others Vs. State af Bombay and others.

बम्बई पब्लिक ट्रस्ट के कुछ प्रावधानों को लेकर बम्बई हाईकोर्ट में रिटपिटीशन हुई। उसने खिलाफ फैसला दिया। उसके खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपना निर्णय देते हुए संविधान की धारा २५ और २६ पर विशद् रूप से विवेचन किया है और अपने सारे निर्णय में इस बात को रखने की कोशिश की है कि रिलीजन का क्या मतलब होता है। ये धारायें कहां तक रेस्ट्रिक्ट की जा सकती हैं ! इण्डियन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन आस्टियन केसेज़, अमेरिकन केसेज़ आदि का जिक्र और उल्लेख करते हुए अन्ततोगत्वा इस प्रकार की ऑब्जर्वेशन्स और फाइन्डिंग्स दी हैं, आपकी इज़ाज़त हो तो वे रेलेवेन्ट पोर्शन्स रख दूं।

श्री उपाध्यक्ष: So they were declared ultravires ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Some of the provisions of the Bombay Bill were declared ultravires.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : यह बात सही है कि उसे संशोधन कर दिया गया है इस जजमेंट की लाइट में is the Hon'ble Member aware that subsequently the Bombay Legislature amended that Bill and further Sir our Bill is based on that amended Bombay Bill.

श्री उपाध्यक्ष : Was the Bombay Bill amended in the light of the observations made by their lordships of the Supreme Court ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं यह समझता हूं कि वह अमेंडेड बिल जो है उसके बारे में तो चैलेन्ज नहीं किया गया है किसी हद तक। अब किस हद तक संशोधन किया, कैसा कानून फिर से बनाया यह तो मैं नहीं कह सकता। अगर बम्बई ट्रस्ट बिल को देख कर ही आपने भी यह कानून बनाया है तो जैसा कि उन्होंने स्वीकार किया कि उसी के बेसिस पर बनाया है तो वही तो मैं भी कहना चाहता हूं कि आप अपनी स्वतन्त्र बुद्धि से कानून बना नहीं सकते। और इसी लिए तो कहता हूं कि कानून में गड़बड़ी रहती है। वह कानून बनाते हैं, दूसरों द्वारा चैलेन्ज किया जाता है। अब कहते हैं हमने तो संशोधित कानून की नकल कर ली है।

श्री उपाध्यक्ष : So you were citing the relevant portion of the judgement, Yes.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : "Article 25 of the Constitution guarantees to every person and not merely to the citizens of India the freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate religion. This is subject, in every case, to public order, health and morality. Furthor exceptions are engrafted upon this right by clause (2) of the Article

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

Sub-clause(a) of clause (2) saves the power of the State to make laws regulating or restricting an economic, financial, political or other secular activity which may be associated with religious practice, and sub-clause (b) reserves the State's power to make laws providing for social reform and social welfare even though they might interfere with religious practices. Thus subject to the restrictions which this Article imposes, every person has a fundamental right under our constitution not merely to entertain such religious belief as may be approved of by his judgement or conscience but to exhibit his belief and ideas in such overt acts as are enjoined or sanctioned by his religion and further acts in pursuance of religious belief is, as stated above, subject to State regulation imposed to secure order, public health and morals of the people. What sub-clause (a) of clause (2) of Article 25 contemplates is not State regulation of the religious practices as such which are protected unless they run counter to public health or moality but of activities which are really of an economic, commercial or political character though they are associated with religious practices."

जो मैंने संविधान की धारा २५ के बारे में इस सदन के सामने निवेदन किया है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्ज़र्वेशन दिये हैं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय उन्होंने आर्टिकिल २६ को कन्सीडर किया है। उन्होंने लिखा है ।

"So far as Article 26 is concerned, it deals with a particular aspect of the subject of religious freedom. Under this Article, any religious denomination or a section of it has the guaranteed right to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes and to manage in its own way all affairs in matters of religion. Rights are also given to such denomination or a section of it to acquire and own moveable and immoveable property and to administer such property in accordance with law. The language of the two clauses (b) and (d) of Article 26 would at once bring out the difference between the two. In regard to affairs in matters of religion, the right of management given to a religious body is a guaranteed fundamental right which no legislation can take away. On the other hand, as regards administration of property which a religious denomination is entitled to own and acquire, it has undoubteldly the right to administer such property but only in accordance with law. This means that the State can regulate the administration of trust properties by means of laws validly enacted, but here again it should be remembered...

Now this is most important—

"remembered that under Article 26 (d) it is the religious denomination itself which has been given the right to administer its property in accordance with any law which the State may validly impose. A law which takes

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

away the right of administering altogether from the religious denomination and vests it in any other or secular authority would amount to violation of the right which is guaranteed by Article 26 (d) of Constitution."

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी सिलसिले में उन्होंने आस्ट्रेलिया के एक केस को कन्सीडर किया है। अमेरिकन केसेज़ को कन्सीडर किया है। आस्ट्रेलिया के केस के बारे में उन्होंने यह लिखा है।

"The section refers in express terms to the EXERCISE of religion, and therefore it is intended to protect from the operation of any Commonwealth laws acts which are done in the exercise of religion. Thus the section goes far beyond protecting liberty or opinion. It protects also acts done in pursuance of religious belief as part of religion."

माननीय उपाध्यक्ष, उन्होंने एक दूसरे केस को कन्सीडर किया था और वह केस था अमेरिका के बारे में उसके लिये उन्होंने लिखा है बहुत साफ शब्दों में लिखा है।

" If this is the belief of the community, and it is proved undoubtedly to be the belief of the zorastrian community, a secular judge is bound to accept that belief, it is not for him to sit in judgement on that belief, he has no right to interfere with the conscience of a donor who makes a gift in favour of what he believes to be the advancement of his religion and the welfare of his community of mankind."

And their lordships of the Supreme Court observe :—

"These observations do in our opinion afford an indication of the measure of protection that is given by Article 26 (b) of our Constitution".

मैं समझता हूँ कि जो एक डोनर है जो एक दानदाता है, तो दानदाता की भावना क्या है? धर्म के लिए वह क्या करना चाहता है उसमें हस्तक्षेप करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। उसमें लर्नेड जजेज़ जजमेंट बिठाने का कोई अधिकार नहीं है। यह अमेरिका का एक जजमेंट है। जस्टिस डावर का जजमेंट है। मैं नहीं कहता कि राजस्थान सरकार उनके बारे में क्या करना चाहती है? राजस्थान सरकार को तो जुडिशियल डिसीजन पर बैठने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जुडिशियल डिसीज़न पर बैठने की बात करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं कि दानदाता की भावना को सम्मान देना होगा, उसका आदर करना होगा। मैंने दान दिया है, मैंने मंदिर बनाया है। आप केवल यह देख सकते हैं कि कहीं मिसएप्रोप्रियेशन नहीं हो। आप यह देख सकते हैं कि किसी प्रकार का महन्त के द्वारा गबन और घोटाला नहीं हो। लेकिन आपने बना दिया कि कोई भी ट्रस्ट किसी भी प्रकार से वॉयड नहीं होगा, इनवेलिड नहीं होगा, तो अगर इस प्रकार की कोई चीज़ होती है और वह प्रोविज़न रख दिया जाता है तो मैं समझता हूं कि उन

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

प्रोविज़न के बारे में आप अगर यही चाहते हैं कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशनेलिटी को चैलेन्ज किया जाय और यदि फिर हमारे सामने सवाल खड़ा होगा तो विचार करेंगे तो इस प्रकार की बात का विचार रखें कि दानदाता ने केवल इस आधार पर पैसा दिया है। यह कहा गया है कि मंदिरों के अन्दर भ्रष्टाचार फैल गया है, व्यभिचार फैल गया है। मैं सदन से निवेदन करूंगा कि अगर सारे इतिहास में भृष्टाचार और व्यभिचार के बारे में जाना शुरू कर देंगे तो राजस्थान सरकार का एक एक विभाग मैं समझता हूँ और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, किसी भी विभाग के बारे में कह सकता हूं Transport Authority, thy name is corruption. रेवेन्यू डिपार्टमेंट, देवस्थान विभाग जिसके अन्तर्गत में यह सारा विधान होगा, यह सारा कानून होगा, जिसके बारे में देवस्थान कमिश्नर को सारे अधिकार होंगे तो वह देवस्थान विभाग में ही सबसे ज्यादा गड़बड़ है। वहां पर हिसाब किताब के ज़बरदस्त घोटाले दिखाई देते हैं। सदन में कई बार इस सम्बन्ध में कई माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट कर चुके हैं लक्ष्मीनाथ जी का मन्दिर हो, या केसरियानाथजी का मन्दिर हो या बीकानेर का कोई मन्दिर हो या नाथद्वारे का मन्दिर हो या वे कांकरोली के किसी मंदिर के हो, मैं समझता हूं कि उन सारी घटनाओं के बारे में जितने भी देवस्थान विभाग के अन्तर्गत मंदिर चलते हैं, जिन पर देवस्थान विभाग का कन्ट्रोल है तो क्या देवस्थान विभाग दावे के साथ कह सकता है कि देवस्थान विभाग में किसी प्रकार का कोई मिसएप्रोप्रियेशन नहीं है, उस देवस्थान विभाग में एम्बेज़लमेंट नहीं हुआ है। देवस्थान विभाग में कोई घोटाला नहीं हो। जिस जगह इस प्रकार के घोटाले हो, स्वयं जिस जगह पर भृष्टाचार हो तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो एकादशी का पेट शिवरात्री कैसे भर सकती है। दोनों के दोनों को भूखा रहना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जहां ऑलरेडी भ्रष्टाचार हैं जिस विभाग पर खुले आम सदन के माननीय सदस्य जो कि उधर बैठने वाले हैं उन्होंने आरोप लगाये हैं। फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कई बार सदन में स्वदेशी कॉटन मिल को लेकर प्रश्न पूछे हैं, वाद विवाद किया है और सरकार पर आरोप लगाया है कि एक व्यक्ति विशेष को फायदा पहुँचाने के लिए देवस्थान विभाग से ३० लाख रुपया स्वदेशी कॉटन मिल को दे दिया। आप कहते हैं कि मंदिरों में गड़बड़ हुई है। मंदिरों में गड़बड़ इसलिए नहीं हुई है कि वहां किसी पुजारी ने गड़बड़ की हो। मंदिरों में गड़बड़ इसलिए नहीं होती है कि महत ने गड़बड़ की हो। मंदिरों में गड़बड़ पुजारी के करने से नहीं होती है. महन्त के करने से नहीं होती है, मंठाधीशों के करने से नहीं होती है लेकिन उन लोगों की सांठगांठ से होती है, उनके गठबन्धन से होती है जो कि एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, जिनके हाथ में सत्ता होती है, जिनके हाथ में....

श्री उपाध्यक्ष : You are referring to Nathdwara temple ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I am not referring to the Nathdwara Enquiry Committee.

श्री उपाध्यक्ष : I will request the

Page No.63

(श्री उपाध्यक्ष)

Hon'ble Member that because this is under enquiry, a reference, even of facts should not be made.

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): क्या नहीं कह सकते हैं ? नाथद्वारे के मंदिर में घोटाले हुए हैं तो क्यों नहीं कह सकते हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं नाथद्वारे के एन्क्वायरी कमीशन के बारे में या एन्क्वायरी के बारे में नहीं कह रहा हूँ। जो तथ्य जनता के सामने आ चुके हैं। जांच के दौरान में जो स्टेटमेंट विटनेसेज़ के दौरान में दिये गये हैं और जो अखबारों में छप चुके हैं, मैं समझता हूं कि उनका रेफ़रेन्स दे सकता हूं। नाथद्वारे के मंदिर के बारे में जो कमीशन एन्क्वायरी के लिए...

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : On a point of order Sir, the whole matter is in the enquiry and I don't think that a statement or anything that appears in the papers can have no conclusive information at this stage and I will submit, Sir, that the Hon'ble Member should not refer to any statement even.

श्री उपाध्यक्ष : I also request the Hon'ble Member that as an august body, we represent, I think it will be our duty not to refer to anything about the enquiry.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I am not at all referring to the enquiry Sir मैंने तो रेफर नहीं किया है।

श्री उपाध्यक्ष : No, it will not be desirable even to comment over anything that appears in the papers. After all, we have our own responsibility.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सारी स्थिति तो यह है कि गड़बड़ तो घर में है। जैसे कि पहले कोर्ट ऑफ वार्ड्स एक्ट था तो उसकी भावना थी कि जागीरदार जो, अपना इन्तज़ाम नहीं कर सकता, नाबालिग होता है तो उसे कोर्ट ऑफ वार्ड में भेज देते हैं....

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

अभी समाप्त करता हूं। अगर कोई आदमी इन्तज़ाम नहीं कर सकता है, अपनी जागीर का इन्तज़ाम नहीं कर सकता था तो उसको कोर्ट ऑफ वार्ड्स में भेज देते थे लेकिन आप इन्तज़ाम नहीं कर सकते हैं तो भी आपके लिए नहीं भेजा जाय इस तरह का हम डिस्क्रीमिनेशन नहीं कर सकते थे इसलिए हमने कोर्ट ऑफ वार्ड्स की वह व्यवस्था ख़त्म करदी है। कोई घर या परिवार में गड़बड़ हो सकती है तो मैं समझता हूं कि उनके प्रति कानून नहीं बनाना चाहते हैं। सदन की बातों से ऐसा मालूम पड़ता है कि सदन के माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि कहीं गड़बड़ नहीं हो, अगर सरकार यह चाहती है कि कहीं दूसरी जगह गड़बड़ नहीं हो तो पहले अपने विभागों को सुधारें, जिनके घोटाले राजस्थान के वायुमंडल में गुन्ज़ायमान हो रहे हैं और वह इतनी घटनाएं हो चुकी हैं कि अगर इस बात को जानने के लिए उस वायुमंडल में कोई रेडियो लग सके

Page No.64

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

तो वह रेडियो परसों तक बोलता रहेगा कि राजस्थान सरकार के चारों तरफ घोटाले ही घोटाले हैं और घोटालों के अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं है।

(करतल ध्वनि)

आखिर मैं समझता हूं कि यह बात रखी जाती है, उन बातों में मैं जाना नहीं चाहता लेकिन इतना कहूँगा कि अपने घर को पहले सुधारना चाहिए फिर बाद में मंदिरों की बातें करना चाहिए। यह एक मूलभूत बात है।

११ म० पू०

मैं समझता हूं इन सारी बातों को सुधारने को तरक्की का रास्ता मानें तो हमें समाज को ठीक करना होगा, उसको ठीक करने के लिये बिल लाना होगा समाज में चेतना शक्ति का निर्माण करना होगा, समाज में पोलीटिकल कॉन्शनेस लानी होगी और जनता में राष्ट्रीय भावना का निर्माण करना होगा। यदि हम यह कर सकते हैं तो सारी चीजें ठीक होंगी। समाज का बैटरमेन्ट होगा और उसमें अच्छी चेतना जागृत होगी तो सारी चीजें ठीक हों। जब तक पेड़ की जड़ में कीड़े हैं और नीचे से उसको रस नहीं मिलता है तब तक आप चाहे पत्तों को ठीक करें उसकी मरहम पट्टी करें, सूतली और रस्सी से बांधे लेकिन हरे पत्ते नहीं आ सकते। वह पेड़ फल और हरे पत्ते तभी देगा जब कि उसकी जड़ में खाद्य पदार्थ देंगे और वह उन के द्वारा रस लेने लगेगा। तभी जाकर पेड़ हरा भरा और फूल व फल देने वाला होगा। इसी तरह का हाल सारे समाज का है। मैं चाहता हूं कि इसी दृष्टि से राजस्व मंत्रीजी इस पर पुनर्विचार करें। केवल इसलिए इसे पास नहीं करें कि अन्य राज्यों में ऐसा कानून है इसलिए यहां पर भी होना चाहिये। हमें किसी की नकल करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे प्रान्त की आवश्यकता को ध्यान में रख कर कानून बनाना है। मैं सदन के माननीय सदस्यों से फिर निवेदन करूंगा कि वे गंभीरता के साथ इस पर विचार करें। जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठावें। हमें नया कानून बनाना है या नये समाज की रचना करनी है तो सारे मकान को तोड़ने और ढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, उसी कमरे को गिराना चाहिए जिस पर नया मकान बनाना है। मैं निवेदन करूंगा कि राजस्व मंत्रीजी इस पर पुनर्विचार करें और विधेयक को विचारार्थ रखने का जो प्रस्ताव रखा है उसको वापिस लें और यदि वे उसको वापिस नहीं लेंगे तो मैं माननीय सदस्यों से कहूँगा कि इसमें पार्टी ह्विप नहीं है, इसके लिए कोई संकेत नहीं है, केवल प्रगतिशीलता के नाम पर ही कोई कदम नहीं उठाना है, इस पर अच्छी तरह से सोच विचार कर आगे बढ़ना है। मैं माननीय सदस्यों को जानकारी के लिए इतना निवेदन करना चाहता हूं कि मैं स्वयं मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता, लेकिन मैं दूसरे लोगों की भावना की कद्र करता हूँ, मैं उनकी पवित्र भावना की कद्र करता हूं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप चाहे मन्दिर में जाने और मूर्ति पूजा के खिलाफ भी हों लेकिन उसके बावजूद भी दूसरे लोगों की धार्मिक भावना का आदर करते हुए मूल प्रस्ताव का विरोध करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble minister incharge of the Bill.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) उपाध्यक्ष महोदय, पिछले चार दिनों से बराबर इस सदन में इस बिल पर वाद विवाद हो रहा है और काफी माननीय सदस्यों ने इस डिबेट में हिस्सा लिया है। जैसा कि मैंने शुरू में कन्सीड्रेशन का मोशन मूव किया उस वख्त साफ अर्ज किया था, इसमें क्या प्रोविजन्स हैं और यह भी कहा था कि माननीय सदस्य इसमें जो प्रोविजन्स हैं उनको उसी भावना से देखकर वाद विवाद करेंगे तो अच्छा रहेगा जिस भावना से वे रखे गये हैं। कोई धार्मिक भावना में बहने की आवश्यकता नहीं है और न इस पर राजनैतिक भावना से विचार किया जाय। मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहता हूं कि यह बिल विधान सभा में पहली बार ही नहीं आया है। एक बार पहले भी यह बिल पास हो चुका है और पास होने वाले से पहले सिलेक्ट कमेटी को भी दिया गया था। सिलेक्ट कमेटी ने उस पर काफी समय तक विचार किया और उसके बाद इस सदन में सन् ५६ में पेश किया। लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज किया इस पर राष्ट्रपति की स्वीकृत नहीं हो सकी थी क्योंकि अजमेर स्टेट का मर्जर राजस्थान में हुआ और असेम्बली भी दूसरी बनी इसलिये पुराने बिल को राष्ट्रपति ने लॉ मिनिस्ट्री को वापिस भेज दिया। हम विधान सभा में इस पर विचार कर चुके हैं और हर पहलू पर विचार किया जा चुका है। सिलेक्ट कमेटी में जब यह बिल गया था उस समय देश भर के कई डेपुटेशन सिलेक्ट कमेटी के मेम्बरों से मिले और कई रिप्रेजेन्टेशन भी आये। उन सब को सुन कर और विचार करके इसमें अमेन्डमेंट किये गये थे। आप देखेंगे कि जो बिल शुरू में विधान सभा में पेश किया गया था उसमें और सिलेक्ट कमेटी में जाकर दुबारा जो बिल सदन के सामने आया उसमें काफी अमेन्डमेंट किये गये थे। इसलिए यह कहना कि यह बिल इस तरह का है जिससे किसी की धार्मिक भावना में ठेस पहुँचाने के लिये है या धर्म में दखल देने के लिये पेश किया गया है, यह गलत बात है। यह इसलिये गलत है कि अव्वल तो बिल के प्रोविजन्स देखेंगे तो धर्म, मन्दिर, पूजा के स्थान, पूजा की विधि या वरशिप से तालुक रखने वाली कोई चीज़ इस बिल में नहीं है। इनके बारे में कोई शब्द नहीं रखा गया है। इस बिल से पूजा, मन्दिर में मूर्ति किस प्रकार की होगी या पूजा कैसे होगी इस बारे में कुछ भी नहीं है। इसका संबंध केवल एक बात से है, अपने यहां पर हिन्दू ट्रस्ट हैं चाहे वे धार्मिक हैं या चेरिटेबल हैं उनका हिसाब किताब बाकायदा रहे और हिन्दुस्तान में रहने वाले को यह मालूम हो जाय कि अमुक आदमी ने ट्रस्ट क्रिएट कर दिया है। इसका काम यह है कि जो रुपये ट्रस्ट में हैं वे सुरक्षित रहें और जो ट्रस्टीज हैं वे उसका दुरुपयोग नहीं कर सकें और जो भावना धनदाता की थी उसकी कद्र करते हुए उस धन का सदुपयोग करें। इसके ऑडिट करने का भी प्रोविज़न रखा है इसलिए कि हिसाब का ऑडिट कर सकें। माननीय सदस्य यह महसूस करेंगे कि यह बहुत जरूरी है। जिस भावना से या जिस उद्देश्य से धन दाता ने ट्रस्ट क्रिएट किया था उसी में खर्च किया है या नहीं।

इसमें रजिस्ट्रेशन का भी प्रोविजन है उसका मकसद यह है कि ऐसे कई ट्रस्ट हैं जो आदमी मरने के पहले या मरते वक्त वसीयत

(श्री दामोदरलाल व्यास)

के ज़रिये से ट्रस्टीज़ मुकर्रर कर जाता है और दुनिया को पता नहीं चलता कि आया ऐस-कोई ट्रस्ट है या नहीं। रजिस्ट्रेशन का प्रोविज़न इसलिये रखा गया है कि पब्लिक एट लार्ज को मालूम हो जाय कि इस पर्पज़ के लिए इतने रुपयों का ट्रस्ट है और सरकार को भी पता लग जाय कि ट्रस्ट क्रिएट किया गया है और उसके ट्रस्टीज़ ये ये हैं और नियंत्रण केवल इस बात का है कि हिसाब किताब बाकायदा रहे और जिस पर्पज के लिए बना है उसके लिये ही रुपये खर्च किये गये हैं। डिफॉल्टेशन या मिसएप्रोप्रियेशन न हो इस भावना से रजिस्ट्रेशन रखा है....

श्री **मूलचन्द डागा** (पाली) : बिल करायेंगे कितनी अमाउन्ट तक ?

श्री **दामोदरलाल व्यास** : There should not be any inference, because the Bill is already there. I cannot anticipate what amount the House will pass. I have fixed the limit of 12000/- It may go upto 2000/- or may be 500/- as the House maypass-मैं यह अर्ज़ कर रहा था कि रजिस्ट्रेशन के बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने आपत्ति की और कहा कि रजिस्ट्रेशन होगा, फीस लगेगी, यह होगा वह होगा केवल बात इतनी ही है कि एक आदमी कोई पब्लिक ट्रस्ट क्रिएट करता है, ट्रस्टीज़ मुकर्रर करता है और वे प्रोपर्टी पर कब्जा करते हैं और ट्रस्ट क्रिएट करने वाले की इच्छा को पूरा नहीं करते, मनि को मिस एप्रोप्रियेट करते हैं तो उनके लिये रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। आपने कहा कि इसके लिए क्रिमिनल लॉ में प्रोविजन मौजूद है, उन पर मुकद्दमा चल सकता है, उनके लिए स्पेशल लॉ की क्या जरूरत है लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूँ कि इसकी जरूरत इसलिये है कि इसके बिना पता कैसे चले सरकार को कि फलां ट्रस्ट के रुपयों का हिसाब बाकायदा रखा या नहीं, खर्च अच्छी तरह से किया या नहीं। हजारों लाखों ट्रस्ट इस प्रदेश में क्रिएट किये हुए हैं पहले के। अब रोजमर्रा इस तरह ट्रस्ट क्रिएट होते हैं, बहुत से धानी मानी लोग अपनी प्रोपर्टी का पब्लिक ट्रस्ट क्रिएट कर देते हैं, स्कूल के लिए, धर्मशाला के लिए, या मन्दिर के लिए और इस प्रकार के जो ट्रस्ट होते हैं, उन ट्रस्ट्स के बारे में जानने के लिए क्या मशीनरी है सरकार के पास कि आया वे ट्रस्ट्स बाकायदा फंक्शन कर रही हैं या नहीं और कोई मिसएप्रोप्रियेशन हुआ या नहीं। मैं मानता हूँ कि किसी ने मिसएप्रोप्रियेशन किया है तो फौजदारी मुकद्दमा चल सकता है। इसमें कहां लिखा है कि अगर मिस-एप्रोप्रियेशन करेगा तो फौजदारी का मुकद्दमा नहीं चलेगा, जरूर चलेगा। इस काम के लिए यह सिर्फ रखा गया है कि ट्रस्ट पर इतना नियंत्रण रहे, जनता को जानकारी रहे, सरकार को जानकारी रहे। ऐसा न हो कि कोई व्यक्ति ट्रस्ट क्रियेट करने के बाद में चला जाता है और बाद में मालूम नहीं हो कि ट्रस्ट का क्या हुआ। मैंने अर्ज़ किया कि इस बिल की एक एक धारा को माननीय सदस्य देखेंगे तो कहीं इसमें नहीं है जिनका पूजा से, धर्म से, भोग राज से, जो कोई सेरेमनीज़ कनेक्टेड हैं, उनसे कोई सम्बन्ध हो....

श्री **मदनसिंह** (दांता रामगढ़) क्या आपका मतलब यह है कि जो खराबी पड़ी हुई है, वह वैसी की वैसी रहेगी, जो कमी है

(श्री मदनसिंह)

वह वैसी की वैसी रहेगी और ट्रस्ट उसको प्रोत्साहन देगी।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं जानता हूँ कि मैं कह दूंगा तब भी इन्टरप्रिटेशन वही होगा। मैंने पहले अर्ज़ किया था कि थोड़ा राजनैतिक भावना से इस पर विचार न किया जाय। मैं जानता हूं, माननीय अध्यक्ष, इस बिल में एक भी प्रोविज़न नहीं, जिसके लिए...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): मैं समझता हूं कि जो आप यह आरोप लगाते हैं कि राजनैतिक विचार से विचार करते हैं I very seriously object to it. हम राजनैतिक दृष्टि से विचार नहीं करते हैं। सदन के सामने बोलना कोई राजनैतिक बात नहीं है। अगर आप ऐसा समझते हैं तो हम भी कह सकते हैं...

श्री उपाध्यक्ष : Order, Order please.

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अर्ज कर रहा हूं इस बिल में एक भी ऐसा प्रोविजन नहीं, जिसके द्वारा धर्म, चैरिटेबल इन्स्टिट्यूशन या धर्म में दखल किया जाता हो। मैंने कहा है कि एक एक सेक्शन को लेकर कई माननीय सदस्यों ने लम्बे चौड़े विचार पेश किये, बहुत जोशीले भाषण भी दिये गये . .

श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : मैं अर्ज़ करूंगा कि वहां की व्यवस्था सुधारने के लिए, वहां के करप्शन, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए क्या प्रोविजन है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं भ्रष्टाचार और करप्शन की बात नहीं कहता हूँ, आप स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स पढ़ लीजिये, भ्रष्टाचार, दुराचार, अत्याचार, कितने ही चार माननीय सदस्यों ने बताये। मैंने कहा है, उसे आप सुन लीजिये कि हर एक ट्रस्ट की प्रोपर्टी की सेफगार्ड करने के लिए उसके मिसएप्रोप्रियेशन को रोकने के लिए प्रोपर्टी को एडमिनिस्टर करने के लिए यह कानून बनाने जा रहे हैं। इसका उससे कोई सम्बन्ध नहीं है कि महन्त मंदिर में बैठ कर क्या करते हैं, अगर गड़बड़ी करते हैं तो उसके लिए इस बिल में कोई प्रोविजन नहीं है। वह और किसी कानून में होगा, औरों में आ सकता है। इस बिल में कोई प्रोविज़न नहीं है . .

श्री मदनसिंह : मगर ट्रस्ट में किस तरह से...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज़, मैं माननीय सदस्यों से. . ऑनरबेल मिनिस्टर प्लीज . . . मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि अगर कोई पॉइन्ट क्लेरीफिकेशन के लिए है, तो वह दरमियान में न पूछ कर. They may please note down and they may be put at the end of the debate rather then interrupting like this.

श्री दामोदर लाल व्यास : अब उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक आपत्ति इस बात पर उठाई, जो माननीय सदस्य अजमेर से आने वाले हैं, उन्होंने, वे आज यहां नहीं है। कल बहुत ही कॉन्फीडेन्स के साथ यह बात कही थी कि टेम्पल को इस ट्रस्ट में शामिल नहीं किया जा सकता, उन्होंने इस बात की दलील दी थी कि टेम्पल को ट्रस्ट में शामिल नहीं किया जा सकता। वे कहते हैं कि टेम्पल बनाया जाता है और आइडोल

(श्री दामोदरलाल व्यास)

को डेडीकेट कर दिया जाता है, इसमें ट्रस्ट का सवाल है ! मैं कहता हूं कि टेम्पल और आइडोल का सवाल नहीं है। मैं मानता हूं कि टेम्पल बना कर आइडोल को डेडीकेट किया जाता है। हिन्दू लॉ के अनुसार आइडोल जो है Idol is a juridical person and it can own property. मंदिर की प्रोपर्टी का एडमिनिस्टर करने वाला जो आदमी होगा he would be a trustee for the property. प्रोपर्टी आइडोल की होगी या प्रोपर्टी मंदिर की होगी। उस प्रोपर्टी को आइडोल तो एडमिनिस्टर करेगी नहीं, कोई न कोई व्यक्ति होगा, चाहे महन्त हो, चाहे ट्रस्ट हो but anybody who administers that property will be trustee for that and therefore I say that temple is nothing but a trust. इसलिए यह कहना कि टेम्पल ट्रस्ट नहीं है यह बिल्कुल गलत है और ट्रस्ट टेम्पल का किस प्रकार का होता है, पब्लिक टेम्पल है, वह ट्रस्ट है, उसका इन्तजाम करने वाले जो लोग हैं, वे ट्रस्टी होंगे . .

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) उस ट्रस्ट का बेनिफिशरी कौन है ? मंदिर के ट्रस्ट का बेनिफिसरी किसको मानते हैं . .

श्री दामोदरलाल व्यास : आप किसको समझते हैं ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : आप बतायें ।

श्री दामोदर लाल व्यास : आप बतायें। मैं इम्तहान नहीं दे रहा हूँ आपके सामने। आप सब जानते हैं ट्रस्टी कौन होंगे। महन्त और संत नहीं होंगे। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि जो मंदिर की प्रोपर्टी होगी, उसके लिए लाज़िमी है, कि उसका इन्तजाम करने वाला होगा, वे ट्रस्टी होंगे। जो वहां का इन्तजाम करने वाले होंगे, वे बेनिफिसरी होंगे। इस बात का सवाल नहीं है। कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात के लिए कहा है . .

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Does the Hon'ble Minister mean to suggest that the idol is the beneficiary of trust ?

श्री दामोदरलाल व्यास : It is for you to make an inference.

श्री सतीशन्द्र अग्रवाल : Then you have no reply to give.

श्री दामोदरलाल व्यास : I said it is for you to make any inference. दूसरा चेप्टर, सेकिंग इसमें रखा हुआ है, उसके लिए माननीय सदस्यों ने कहा कि इसमें प्रोविज़न रखा गया हैं कि ट्रस्ट की अन्सर्टेनटीज़ की वज़ह से ट्रस्ट इनवेलिड नहीं होगा। एक माननीय सदस्य जो सांचोर या बाड़मेर ज़िले से आये हुए हैं, उन्होंने बहुत ही कानूनी तरीके से कहा था कि बहुत ही अजीब कानून बना रहे हैं, दुनियां में कहीं किसी स्टेट में ऐसा कानून बना नहीं है, इस तरह का कानून बन नहीं सकता। वे यह बात भूल गये कि यह कानून पब्लिक ट्रस्ट के लिए बना रहे हैं, प्राइवेट ट्रस्ट के लिए नहीं बना रहे हैं। पब्लिक ट्रस्ट कोई ऐसी चीज नही है जो इक्वीटेबल लॉ के अनुसार पब्लिक ट्रस्ट की अनसर्टेनटी की वजह से वोइड

(श्री दामोदरलाल व्यास)

नहीं हो सकता। डॉक्टर ऑफ साइन्स भी इस बात में एतराज नहीं करता है। जो प्रावीजन रखा है वह डॉक्टर ऑफ साइन्स है, पब्लिक ट्रस्ट अनसर्टेनटी की वज़ह से वाइड नहीं हो सकता। कोर्ट को पॉवर्स दी गई है कि हर एक कोर्ट, पब्लिक ट्रस्ट में अनसर्टेनटी आ जायगी then the court will give its findings. वह डाइरेक्शन देगी कि इस ट्रस्ट को किस तरह से एडमिनिस्टर किया जाय . .

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : देवस्थान कमिश्नर सर्टिफाई कर दे The court's juridiction has been barred until and unless a certificate is given by the Assistant Commissioner.

श्री दामोदरलाल व्यास : That is a different matter. I am coming to that later on. So far as jurisdiction is brred it is a different matter. Don't be in a hurry. I am coming to that.

माननीय उपाध्यक्ष, मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि वे ज्यादा जोश में जल्दी नहीं करें, मैं उस विषय की ओर . . .

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जोश इसलिए है कि आपका तो बुढ़ापा आ गया है, मैं जवान हूं।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : But that deserves to be controlled anyway.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Otherwise I don't get any benefit from an attack upon you.

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने माननीय सदस्यों से अर्ज़ किया कि चेप्टर सेकिंग में इस प्रकार के प्रोविज़न हैं कि अनसर्टेनटी की वज़ह से इनवेलिड नहीं होगा। यह यहीं नहीं किया है लेकिन बम्बई, मद्रास में जहां इस प्रकार का कानून है, सब जगह, सेन्ट्रल एक्ट में भी है, यह प्रावीजन है। जहां अनसर्टेनटी की वजह से ट्रस्ट पड़ा हुआ है, वहां कोर्ट को पॉवर्स दी गई हैं कि ट्रस्ट फेल न हो, इसलिए कोर्ट उसको एडमिनिस्टर करने के लिए डाइरेक्शन देगी। इसलिए यह कहना कि यह अजीब कानून है, यह कानून में क्यों रखना चाहिए, मैं समझता हूँ इसके बगैर मकसद खत्म हो जाता है, सैकड़ों हजारों ट्रस्ट का रुपया बरबाद होगा, मिस–एप्रोप्रियेशन कर लेंगे, उससे खर्चा ज्यादा हो जायेगा क्योंकि आखिर दान दाता एक डीड लिखता है। उसका इन्टरप्रिटेशन गलत हो गया तो ट्रस्ट अनसर्टेनटी में आ सकता है और जिस काम के लिए ट्रस्ट क्रियेट किया है, वह खत्म हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि दान दाता ने ट्रस्ट क्रियेट कर दिया, वह खत्म हो जायगा। इसका मतलब यह हुआ कि वह इनवेलिड हो जायगा, वोइड हो जायगा। इसलिए अनसर्टेनटी की वजह से ट्रस्ट फेल न हो जाय, इसका प्रोवीजन रखना आवश्यक है।

तीसरी बात यह है कि बहुत सारे माननीय सदस्यों ने आर्टिकल २६, २५, पर बहुत कुछ बहस की है, खास तौर से जो माननीय सदस्य जयपुर से आने वाले हैं, उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ कर

Page No.70

(श्री दामोदरलाल व्यास)

सुनाया। मैंने बहुत मोटी बात पूछी थी जिस वक्त उन्होंने फैसला पढ़ कर सुनाया, कि इस फैसले के होने पर बम्बई लेजिस्लेचर ने जो अमेंडमेंट किया है, वह मालूम है या नहीं।

श्री रामधन (दौसा) : भूदान के लिए इसमें प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज़। दान का प्रश्न नहीं आ रहा है!

श्री दामोदरलाल व्यास (जारी) : मैं आपका और सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं यह कहूंगा कि जिस फैसले का जिक्र पाली से आने वाले माननीय सदस्य कर रहे थे उसके लिये यह कहूंगा कि उस फैसले को बोम्बे लेजिस्लेशन में एमेन्ड कर दिया। मैंने आपको जैसा अर्ज किया हमने बंबई और बिहार से भी लिया है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : फैक्टस बता दिये जावें तो मालूम हो जावेगा कि आपके यहां और उसमें क्या फर्क है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन किया है कि जहां पर सेक्शन ६२ में प्रोविज़न है ६३ का एप्लाई करेगा। इसकी वेलिडिटी इसलिये बेकार है। ६२ की।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने एक एमेडमेंट दे दिया है जो आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि क्या बात है। जो सर्क्यूलेट हो रहा है। सी. पी. सी. के ६२ के रेलेवन्ट प्रोविजन्स में डिफरेन्स नहीं होगा। मैंने इस संबन्ध में लीगल पोज़ीशन को एग्ज़ामिन करा लिया है। मैंने एमेन्डमेंट मूव कर दिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ६२ को अलग कर दें।

श्री दामोदरलाल व्यास : जिस समय हम इस बिल को क्लॉज़ बाई क्लॉज़ लेंगे उस समय देख लेंगे It has been held by the Supreme Court that the State can regulate the administration of trust properties by means of laws validly imposed. Again it should be remembered that article 26 (d) gives the right to administer its property to a religious denomination in accordance with any law which the State Government may validly impose. जो फैसला पढ़ रहे थे माननीय सदस्य so the State Government can frame laws to regulate the administration of trust properties. तो यह प्रश्न...

श्री मदनसिंह : यह ट्रस्ट के लिये है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप समझिये। इसमें उपाध्यक्ष महोदय, साफ़ इन्टरप्रेशन है वह यह है कि State Government can frame laws to regulate the administration of trust properties. सिर्फ प्रश्न यह है जो according to laws made by the Government. That is the only thing. इसलिये कानून बनाने का अधिकार विधान सरकार का है लेकिन यह अधिकार नहीं है कि इन्तज़ाम नोमीनेशन ट्रस्ट को चुन लें। इसलिये हम इन्तज़ाम करते रहे होंगे। इसलिये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है। जैसा मैंने आपको अर्ज किया एमेन्डमेंट हो गया है एमेन्डेड प्रोविज़न हमने इन्सर्ट किया है। अभी कुछ माननीय सदस्यों की इस बात के लिये आपत्ति है कि

(श्री दामोदरलाल व्यास)

देवस्थान कमिश्नर एसिस्टेन्ट कमिश्नर को बहुत ज्यादा अधिकार दे दिये गये हैं। वे वक्त पर दखल दे सकते हैं अगर इसको पास कर दिया जावे। मैं आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करूंगा जहां यह, जहां तक देवस्थान कमिश्नर और एसिस्टेन्ट कमिश्नर का ताल्लुक है उनको बहुत अधिकार है। उन पर रेस्ट्रेन करना जरूरी है। अगर कोई ट्रस्टी पूरा ब्योरा न दे, बाद में नोटिस में बात लाते हैं तो भी देवस्थान कमिश्नर फिर भी गौर कर सकता है। हमने उसको जितने अधिकार दिये हैं उसके साथ साथ ट्रस्टी को भी अधिकार दिये हैं कि सिविल कोर्ट में जाकर एसिस्टेन्ट कमिश्नर के ऑर्डर को वह सेट एसाइड करा सकता है। ऐसा नहीं है कि एसिस्टेन्ट कमिश्नर ने जो ऑर्डर दिया है वह खुदा का ऑर्डर हो गया है they can go to the civil court. Chapter VII Sir इसको आप देखेंगे जहां रजिस्ट्रेशन का सवाल है उसमें भी लास्ट में जहां १८ सेक्शन में रखा है कि वह इन्क्वायरी करेगा। अपील का प्रोविजन है। आप क्लॉज़ २२ में देखेंगे, उनको सिविल कोर्ट में जाने का अधिकार दिया गया है। आगे आप और देखेंगे। सेक्शन ३८ जहां पर है वहां आप देखेंगे कि सेक्शन ४० और ३६ में अपील करने का जो अधिकार है उसके लिये कोर्ट को मूव कर सकते हैं और देवस्थान कमिश्नर ने जो ऑर्डर दिये हैं उसको सेट एसाइड करा सकता है। मन्दिरों का जो ट्रस्ट है उसका कोई इससे संबन्ध नहीं है सेवा पूजा से "If the Assistant Commissioner, on the application of any person having interest in Hindu public trust or otherwise, is satisfied after making such enquiry as he thinks necessary that :—

(a) the original object of the public trust has failed..." यह आपको खास देखने की बात है (b) the trust property is not being properly managed or administered, or (c) the direction of the court is necessary for the administration of the public trust; he may, after giving the working trustee an opportunity of being heard, direct such working trustee or person having interest in the trust to apply to the court for directoins within such time not exceeding thirty days as may be specified by the Assistant Commissioner."

इन मामलातों में एसिस्टेन्ट कमिश्नर या कमिश्नर को पॉवर नहीं दिए गये हैं। हमने सिविल कोर्ट में जाकर ऑब्टेन करने के लिए पॉवर दिये हैं। अगर वह वहां ऑब्टेन नहीं करते हैं he can go and obtain a direction from the civil court. 'Court' means a civil court in this BIll. and then :—

"(2) If the working trustee or any other trustee or person having interest in the trust so directed fails to make an application as required, or if there is no trustee of the public trust, or if, for any other reason, the Assistant Commissioner considers it expedient to do so, he shall himself make an application to the court."

तो उसको खुद को भी पॉवर्स हैं कि वह

(श्री दामोदरलाल व्यास)

सिविल कोर्ट में जाकर अपील करेगा। मैं खुद समझ नहीं पाया कि कमिश्नर को क्या पॉवर है। यह जानकारी में रहेगा कि प्रोपर्टी ठीक तरह से रहती है या नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक तरह से होता है या नहीं, अगर ठीक तरह से नहीं होता है तो वह सिविल कोर्ट से डाइरेक्शन लेगा। वह खुद कुछ नहीं कर सकता है। जैसा कि माननीय सदस्यों के ध्यान में था कि देवस्थान व कमिश्नर को बहुत ज्यादा पॉवर्स होंगे और उसका बहुत ज्यादा हाथ होगा, मैं समझता हूं कि इसका तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

दूसरी बात सेक्शन ६२ और ६३ के बारे में कहा। इसके लिये मैंने अलग से एमेन्डमेंट पेश किया है जब वह अभी तक सक्युलेट नहीं हुआ है वह सर्क्युलेट होगा उस समय उस पर सुझाव दे सकते हैं। अगर उसमें कोई उचित बात होगी तो मैं उसको मंजूर करूंगा, हर रीज़नेबल बात को मानने के लिये तैयार हूं। अब यह कहा जाता है कि इससे मन्दिरों के पूजापाठ में ठेस पहुँचती है इस बात को मानने के लिये मैं तैयार नहीं हूं। यह केवल भ्रम है। मैं जानता हूँ कि जान बूझ कर ऐसा कहा जाता है। मैंने सारी बातें शुरू में अर्ज करदी हैं और यह बिल भी आपके सामने मौजूद है। किसी प्रोविज़न को लेकर यह नहीं बताया गया है कि इससे यह हो जायगा केवल यही बताया गया है कि सरकार जब धर्म में दखल देने लगी है। मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि राजस्थान राज्य के अलावा सभी जगह इस प्रकार के कानून हैं कि ट्रस्टीज़ पर इस बात का नियंत्रण रखा जावे कि वहां पर ठीक तरह से प्रबन्ध होता है या नहीं। पुरानी रियासतों में भी इस प्रकार के कानून थे और मैं तो यह कहूंगा कि अगर उन रियासतों के कानून को देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि उनका डाइरेक्ट इन्टरफियरेन्स वहां पर था। उनको दूसरी कमेटी मुकर्रर करने का अधिकार था। उसमें सिविल कोर्ट को दखल देने का कोई कानूनन अधिकार नहीं था। वह सब पुराने जमाने में था। कई रियासतें थी जिनमें कानून नहीं थे वहां वे नोटिफिकेशन, सर्क्युलर, प्रेरोगेटिव यूज़ करके इन्तज़ाम करते थे जिससे कि ट्रस्ट की प्रोपर्टी पर इन्तज़ाम रहे। हम यह नया इन्तजाम कर रहे हैं। हम महसूस करते हैं कि इसमें काफी देर हो गई है और काफी पहले से यह हो जाना चाहिए था जैसे कि अन्य स्टेटस में हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : (छबड़ा) कौन सी स्टेट्स में है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : बोम्बे में है, मद्रास में है। There are so many states. सेन्ट्रल का एक्ट है और कौन सी ऐसी स्टेट नहीं है सिवाय राजस्थान के कि इस प्रकार का कानून वहां नहीं है।

दूसरी बात मैं अर्ज करना चाहता हूं कि धर्मादे के ऊपर कुछ माननीय सदस्यों ने एतराज किये हैं। इसका दसवां चेप्टर है। उन्होंने इस बात की संभावना बतायी है कि जो धर्मादा आज होता है वह इस कानून से बन्द हो जावेगा और जो बड़ी बड़ी इन्स्टिटयु

(श्री दामोदरलाल व्यास)

शन्स धर्मादे से बनी हैं आगे उनका काम बन्द हो जावेगा और जो चैरिटेबल पर्पज़ है वह खत्म हो जावेगा। मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ क्योंकि धर्मादा क्या है इसको समझने की बात है। मंडियों में जो आढ़तिये लोग हैं वे काश्तकारों से धर्मादे के नाम पर पैसा वसूल करते हैं। यह सदस्यों को ध्यान रखना चाहिये कि व्यापारी लोग अपनी जेब से पैसा नहीं डालते हैं किन्तु किसानों से जो आढ़त में आता है माल उस पर धर्मादा वसूल करते ....

श्री दयाकृष्ण विजय : व्यापारियों से धर्मादे के नाम पर लेना क्या अगेन्स्ट कॉन्स्टिट्युशन नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : कॉन्स्टिट्युशन की बहुत बहस हो चुकी है। कोई अनकॉन्स्टिट्युशनल बात नहीं है। मैं अर्ज करूंगा कि व्योपारियों का खुद का पैसा नहीं होता है और खर्चा करने वाले वे होते है। जयपुर के लिए मैं कह सकता हूँ, अन्य जगहों के लिए भी मुझे अनुभव है कि यहां इतनी बड़ी मन्डी है कि यहां के व्यापारियों ने अलग अलग धर्मादे का इन्तजाम कर रखा है, इनकी कमेटी है, वे लोग धर्मादा वसूल करते हैं, हिसाब रखते हैं।

पंचायती धर्मशाला स्टेशन पर है वह धर्मादे से बनाई गई है इसी प्रकार की कई चैरिटेबल इन्स्टिट्युशन्स हैं जो कि धर्मादे पर चलती है।

अगर उन व्यापारियों में से दस पांच व्यापारी ऐसे हों कि जो काश्तकरों से धर्मादा वसूल कर लेते हैं और अपने काम में वे ले लेते हैं तो उस कमेटी के पास कौन सा कानून है जो उसने वह वसूल कर सके। कौन सा कानून है जिसके ज़रिये से कमेटी मज़बूर कर सके ताकि वे लोग जमा करायें ?

श्री दयाकृष्ण विजय : मेरा प्रश्न यह था....

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं बता रहा हूं। There are so many things. Please don't interrupt me. It is better...... ve understocd his question.

श्री दयाकृष्ण विजय : फार्मर्स से वसूल क्यों किया जाता है ? वे देने के लिए तैयार नहीं होते हैं अपनी ओर से।

श्री उपाध्यक्ष : I have requested the Hon'ble Members that if the Hon'ble Minister does not yield the floor, he may not be disturbed. The points may be clarified afterwards.

श्री दयाकृष्ण विजय : बात तो सुनेंगे। फार्मर्स से क्यों वसूल किया जाता है। वे देने के लिए तैयार नहीं हैं। व्यापारी वसूल करते हैं इसको ही क्यों नहीं बन्द कर देते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : ज़बरदस्ती कभी वसूल नहीं करते हैं। रज़ामन्दी से करते हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : रज़ामन्दी से देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जबरदस्ती उनसे वसूल करते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपका

(श्री दामोदरलाल व्यास)

अनुभव हो सकता है लेकिन यह व्यापारियों के लिए कहा जा सकता है कि उनको क्यों मजबूर करते हैं। मेरे खयाल से...

एक माननीय सदस्य : On a point of information. Sir. काश्तकारों से जबरदस्ती क्यों वसूल किया जाता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : That is not my information. and I think जबरदस्ती वसूल करने का अधिकार नहीं है और नहीं जबरदस्ती कोई देता है। मेरी सूचना तो ऐसी है कि आसानी से देते हैं। जब सरकार के पास इस प्रकार की कई मंडियों से शिकायतें आयी कि व्यापारी लोग धर्मादे का पैसा वसूल करने के बाद धर्मादे के काम में नहीं लाते हैं और अपने काम में ले लेते हैं इसमें प्रोविज़न यह है कि जितने व्यापार करने वाले होंगे वे बड़े २ इलाकों में कमेटी बनायेंगे और धर्मादे की रकम उसमें जमा होगी। and for a specified charitable purpose that amount will be used. मैं समझता हूं कि इसमें कोई और लेना देना नहीं है। कमेटी ने शिकायत की कमिश्नर या असिस्टेन्ट कमिश्नर को कि अमुक आदमी ने धर्मादा वसूल तो कर लिया है किन्तु कमेटी में जमा नहीं कराया है और खुद के काम में ले लिया है तो उसमें कमिश्नर इन्टरफियर करेगा और हिसाब देने की बात आवेगी। other-wise the Commissioner Devasthan does not come in the picture at all. He will come in the picture only when he is moved by the members of the trust which is an elected body. तो उस धर्मादे के प्रोविज़न में ऐसे कौनसा स्ट्रिन्जेन्ट क्लॉज़ है जिससे कि किसी पर मुसीबत आ रही है। माननीय सदस्य बार बार कहते हैं कि कॉन्स्टिट्युशनली कैसे अधिकार है। एक बात कह दी है कि चेरिटेबल पर्पज़ के लिए दी हुई रकम की व्यवस्था का सवाल है विधान सभा को कानून बनाने का पूरा अधिकार है और इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी हेल्ड किया है।

The Trust will decide and the Government will not give any direction and in case of a dispute the court will give a direction and not the Commissioner Devasthan or Assistant Commissioner, Devasthan. वे ही लोग एडमिनिस्टर करेंगे। कोई गड़बड़ी, बेईमानी या मिस एप्रोप्रियेशन करेगा तो देवस्थान कमिश्नर को बैठाया है। यह सोचना उचित नहीं है कि कोई ऐसा कानून बना दिया है जो कि नई चीज़ हो। बोम्बे में ऐसा कानून बना है, मद्रास में है। बोम्बे की और यहां कन्डीशन्स बराबर हैं। इस प्रकार की शिकायतें होती रहती हैं कि रकम धर्मादे के नाम से तो वसूल कर ली जाती है किन्तु वह खुद के काम में खर्च कर दी जाती है। तो यह अधिकार दिया है कि वे अपने खुद के काम में न लें।

श्री दयाकृष्ण विजय : शहर के काम के लिए।

श्री दामोदरलाल व्यास : पर्पज सिर्फ यह है कि धर्मादा जिस काम के लिए लिया जावेगा उसी में खर्च किया जावेगा। the amount realised should be properly utilised. This is only to regulate the expenditure of it. There is no compulsion to collect it.

Page No.75

(श्री दामोदरलाल व्यास)

धर्मादे की वसूल के लिए कानून नहीं है। कानून के ज़रिये से यह बताया है कि जो धर्मादा वसूल किया जाता है उसका ठीक तरह से उपयोग हो यह नहीं है कि जो कोई काश्तकार कोई चीज़ बेचने जावेगा मंडी में तो उससे धर्मादा लिया ही जावेगा। कोई कम्प्लशन नहीं है।

श्री धन्नालाल हरित (छबड़ा–सु०) : कोई व्यापारी वसूल करने के बाद भी इन्कार कर देगा कि उसने वसूल नहीं किया है तो उसका क्या होगा ?

डॉ० चन्द्रकला (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : कोई हिसाब ही नहीं रखेगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : हिसाब ही नहीं रखेगा तो बेईमानी का क्या प्रबन्ध हो सकता है, जब प्रकाश में आवेगी वह तो उसको सज़ा मिलेगी।

जयपुर से अभी माननीय सदस्या ने जब सिलेक्ट कमेटी का प्रस्ताव रखा तो पेनेल्टी पर जोर दिया कि इतनी सज़ा रख दी है ? मैं अर्ज करूंगा कि जिन बातों के लिए पेनेल्टी प्रोवाइड की है वे ऐसी हैं कि जिनको सख्ती के साथ काम में लेना चाहिये। कोई ट्रस्टी ट्रस्ट की प्रोपर्टी को छिपाने का काम करते है तो उसको सज़ा देनी चाहिये। यहां लिनियेन्ट प्रोविज़न रखा है। जब क्लॉज़ बाई क्लॉज़ आवेगा तब उस पर सोचेंगे। मैं माननीय सदस्यों से दरख्वास्त करूंगा कि पेनेल्टी रखी है यह तो मैंने बहुत नरम रखा है। इस वक्त यह विचार होता है कि ज्यो ज्यों केसेज़ सामने आते हैं दिमाग यह बनता है केवल जुर्माने से काम चलने वाला नहीं इसमें सज़ा भी होनी चाहिये।

डॉ० चन्द्रकला : ५६ और ६१ के बारे में भी कह दीजिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : गवर्नमेंट को पॉवर्स मिलते हैं गवर्नमेंट को डिसक्रीशन मिलता है तो इससे आपको चमकने की जरूरत नहीं। इस डिसक्रीशन को जुडिशियसली काम में लाना पडेगा। आरबीट्रेली इसको काम में ला नहीं सकते जुडिशियसली 'Discretion' means a judicial discretion. It is never arbitrary discretion. कभी इस पर आपको विचार नहीं करना चाहिये। गवर्नमेंट ने जो एग्जेम्प्शन्स के पॉवर्स लिये इसलिये इसका मिस–यूज होगा। यह आपको सोचना ही नहीं चाहिये।

श्री दयाकृष्ण विजय : आबू को छोड़ने में आपकी क्या भावना है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आबू के बारे में मैं पहले बता चुका हूं उस वक्त आप सदन में नहीं थे। इसका केवल एक कारण है और वह यह है कि आबू के ऊपर बम्बई का एक्ट एप्लाई होता है। स्टेट रिओरगेनाइजेशन कानून में भी इसी प्रकार के कारपोरेशन बनाने का प्रावधान था। इसलिये हम अब तक उस संबन्ध में लेजिस्लेशन नहीं कर सकते। अब स्टेट गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया को लिखा है। स्टेट कोर्पोरेशन की इजाज़त दी जाय अगर वहां से पर्मिशन मिल जाती है तो इसके अन्दर इन्क्लूड कर लेंगे। अभी हम इसको इन्क्लूड नहीं कर सकते।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, एक

(श्री दामोदरलाल व्यास)

बात और कहना चाहता हूँ। जहां तक इस बिल का सम्बन्ध है, मुक्ति के लिये। यह डिसक्रिशन जो सरकार ने रखा है वह केवल इसलिये ऐसे केसेज़ हो सकते हैं जिसमें हमें कुछ को एग्जेम्प्ट करना पड़े। कुछ ट्रस्टस ऐसे हो सकते हैं वैल मेनेज्ड ट्रस्टस हों, उनमें दखल करने की हमारी कतई मन्शा नहीं है। केवल कानून बनाकर हमें रेग्युलर करना है। इसके रजिस्ट्रेशन होने से पब्लिक को पता चल सकेगा किस ट्रस्ट के पास कितना फाइनेन्स है कितनी प्रोपर्टी है। और ऑडिट कराने से मतलब है हिसाब का ठीक ढंग से रखना। इसमें एक यह भी प्रोविजन है, उस ट्रस्ट के हिसाब किताब की एक कापी देवस्थान विभाग के कमिश्नर के पास जायगी They will be open for inspection o ɔ ıb lc . Any member of the public can inspect them. यह प्रोविज़न इसलिए है कि ट्रस्ट की हर बात का पता पब्लिक को रहे ताकि उसमें गड़बड़ी का मौका न मिले।

एक्जेम्प्शन के बारे में बोलते हुए एक माननीय सदस्य ने यहां तक कहा कि अब तो इन मठों में और मन्दिरों में कांग्रेस के लोग बैठेंगे। वोट प्राप्त करने के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय हमें तो वोट प्राप्त करने की ख्वाहिश नहीं है क्योंकि कांग्रेस को जनता चाहती है और जनता ने कांग्रेस को बहुमत से चुन कर भेजा है उसका सबूत आपके सामने है। वोट केचिंग करने की जरूरत तो आपको है अतः आपका ध्यान इस ओर जा सकता है हमारा तो यह कतई ध्येय नहीं ।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : मुझे इसमें एक शंका यह है कि जब जागीरें जब्त हुई तो कइयों ने भैरूंजी के नाम, माताजी के नाम पर कुछ जागीर निकाल कर ट्रस्ट बना दिया उसका क्या होगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वे सब इसमें आजायेंगे चाहे भैरूंजी के नाम पर चाहे माताजी के नाम पर हो चाहे किसी सेठजी ने किया हो वकील ने किया हो मिनिस्टर ने किया हो चाहे किसी ने किया जो भी ट्रस्ट होंगे वे सब इसके अन्तर्गत आजाएंगे बशर्ते कि वे पब्लिक ट्रस्ट होंगे।

श्री लक्ष्मीचंद (सांचोर) : मद्रास और उड़ीसा के अन्दर जैनियों को एक्जेम्प्ट किया गया है यहां पर क्यों नहीं किया गया।

श्री दामोदरलाल व्यास : जहां तक एडवाइजरी बोर्ड का ताल्लुक है उसमें श्वेताम्बरों और दिगम्बरों के प्रतिनिधि रखे हैं। जब कभी दिगम्बर ट्रस्ट का सवाल आयेगा उसमें केवल Digambar Jains will have l right to take part in the debate. और श्वेताम्बरी जैनों का सवाल आयगा वहां श्वेताम्बर जैन का दखल होगा। जब हिन्दू ट्रस्ट का सवाल होगा उसमें अन्य हिन्दू भाग लेंगे। इसके लिए मैंने अमेंडमेंट दे दिया है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : On a point of information. They will only participate in the debate, but the others will be debarred from voting in that meeting ?

श्र दमोदरलल व्यास मैंने जैसा कि आपको अर्ज किया :

श्री दामोदरलाल व्यास)

My purpose is that Board at the State level and the regional level could be constituted of al l the communities affected by this law, but there is a provision that when the question of Digambar Jains comes up, only members of that comunity will partake in the decision and discussion of that. Similarly for all other communities.

श्री उपाध्यक्ष (डॉ० चन्द्रकला से) : Do you want to withdraw your amendment or not ?

श्री मूलचंद डागा (पाली) : इसमें आपने हिन्दू क्यों रखा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आपको यह शंका है कि इसमें हिन्दू क्यों रखा । जैसा कि मैंने पहले अर्ज कर दिया मुस्लिमों के लिए वफाद एक्ट अलरेडी एप्लाई होता है उसके लिए वफाद कमिश्नर, असिस्टेन्ट कमिश्नर है उन्होंने उसकी सारी सर्वे करली है । केन्द्रीय पार्लियामेंट द्वारा इस प्रकार का एक्ट है उसके तहत उनका मेनेजमेंट होता है । हिन्दुओं के लिए जिसमें जैनीज बुद्धिस्ट आदि हैं उनके लिए यह कानून है ।

श्री उपाध्यक्ष : (डॉ० चन्द्रकला से) Whether withdrawing or pressing ?

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने संशोधन प्रस्ताव को वापिस लेने की अनुमति चाहती हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : हिन्दू सार्वजनिन प्रन्यास विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय इस प्रकार का जो प्रस्ताव डॉ० चन्द्रकला ने रखा है उसको वापिस लेने की इजाजत प्रदान की जाय । क्या सदन की अनुमति है कि इनको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई

डॉ० चंद्रकला : मैं अपने संशोधन प्रस्ताव को वापिस लेती हूं ।

श्री उपाध्यक्ष: (रावराजा सरदारसिंह से) आप विथड्रा करना चाहते हैं या नहीं ।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने निर्णय दे दिया था कि जो प्रस्तावक हैं वे बोल सकते हैं । इसलिए मैं उस समय क्लेरिफाई नहीं कर सका इसलिए दो चार शब्द कहने की इजाजत चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं स्थिति को स्पष्ट कर दूं । क्लेरिफिकेशन करने की जो स्टेज़ थी उस समय तो आप मौन रहे अब वह स्टेज़ चली गई । अतः आपके लिए केवल एक रास्ता है, आप इसको विथड्रा करते हैं या प्रेस करते हैं ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : मुझे राइट है इस पर कुछ कहने का ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह मान लेता हूं कि आप विथड्रा नहीं करना चाहते, प्रेस कर रहे हैं ।

रावराजा श्री सरदार सिंह : जी हां । मैं विथड्रा नहीं करना चाहता ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राव-राजा श्री सरदार सिंह ने जो प्रस्ताव इस विधेयक को जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय, रखा है उसे स्वीकार किया जाय। जो इसके पक्ष में हो 'हां' कहें। जो इसके विपक्ष में हों 'नां' कहें।

'ना' पक्ष जीता।

कुछ माननीय सदस्य : 'हां' पक्ष जीता।

कुछ माननीय सदस्य : 'ना' पक्ष जीता :

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : It is a question of importance and we claim a division. Many of the Congressmen are with us Sir.

(विभाजन घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास विधेयक, १६५८ को जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जावे।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास विधेयक, १६५८ को विचारार्थ लिया जावे।

(हां)

'हां' पक्ष जीता।

श्री **अनोपसिंह** (बालोतरा) : 'ना' पक्ष जीता साहब।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : 'ना' पक्ष जीता।

(मत विभाजन घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान हिन्दू सार्वजनिन प्रन्यास विधेयक. १६५८ को विचारार्थ लिया जाय।

(हां)

'हां' पक्ष जीता।

विरोधी पक्ष सेकुछ माननीय सदस्य: Noes have it sir.

श्री उपाध्यक्ष : Yes claim division?

कुछ माननीय सदस्य : Yes sir.

श्री उपाध्यक्ष : A Yes to Ayes lobby and Noes to Nose Labby.

(मतगणना के पश्चात् पुनः)

श्री उपाध्यक्ष I new call the House to Order. Ayes 52 and Nose 18.

(मतविभाजन-सूची के अनुसार 'हां पक्ष' तथा 'ना पक्ष' के सदस्य)

'हा' पक्ष

श्री आबिदअली
श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता
डॉ० बहादुरसिंह
श्री भैवरलाल 'कालाबादल'
श्री भीखाभाई
श्री भीमसेन
श्री भोगीलाल पंड्या
डॉ० चन्द्रकला
श्री चुन्नीलाल
श्री दामोदरलाल व्यास
श्री दौलतराम सारण
श्री देवीलाल
श्री धन्नालाल हरित

Page No.79

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री धरमपाल पंवार
श्री गणपतिलाल वर्मा
श्रीमति गौरीपूनिया
श्री गिरधारीलाल
श्री गोकुलचन्द जाटव
श्री गोपाललाल पुरोहित
श्री गोपीसहाय
श्री ज्ञानचन्द मोदी
श्री अमृतलाल यादव
श्री हरिदेव जोशी
श्री हरिकिशन
श्री जयसिंह राणावत
श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी
श्री कान्हा रैगर
श्री किशनसिंह बाटड़
श्री लक्ष्मणसिंह हीरात
श्री महादेवप्रसाद त्रंका
श्री मोहरसिंह
श्री मूलचन्द डागा
श्री नरोत्तमलाल जोशी
श्री नाथीसिंह
श्री नाथूराम मिर्धा
श्री फूलाभाई
श्री पी.के. चौधरी
श्रीमति प्रभा मिश्रा
श्री रामचन्द्र
श्री रामदान चौधरी
श्री रामदेवसिंह
श्री रामलाल बंशीवाल
श्री सम्पतराज जैन
श्री सम्पतराम
श्री रामचन्द्र चौधरी
श्री सोहनलाल भटनागर
श्री श्रीभानसिंह
श्री सूबेदारसिंह
श्रीमती सुमित्रा
श्री उमेदीलाल
श्री बेनाराम गहलोत
श्री वली मोहम्मद

'ना' पक्ष

श्री अनोपसिंह
श्री दलपतसिंह
श्री दयाकृष्ण विजय
श्री जगदीशप्रसाद माथुर
श्री लादूराम सुलाणिया
श्री लक्ष्मीचन्द
कुंवर श्री मंगलसिंह
राव बहादुर रावल श्री नरेन्द्रसिंह
श्री प्रभुलाल पुरोहित
श्री पृथ्वीराज
ठाकुर श्री रघुवीरसिंह
श्री रामधन पटेल
श्री रामकरणसिंह
श्री रावराजा श्री सरदारसिंह
श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
श्री शिवचरणदास
श्री भोरा
श्री वीरका

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(सरकारी पक्ष की ओर से करतल ध्वनि)

श्री सतीचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : यह जो अपने ५२ 'हां' पक्ष के कहे तो कांग्रेस के कितने हैं और किसान सभा और प्रगतिशील दल के कितने हैं...

श्री उपाध्यक्ष : It is not expected to analyse it. We now come to the amendments of the Bill.

राजस्थान हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास विधेयक, १९५८

(खंडशः विचार-विमर्श)

क्लॉज़ २, श्री जगदीशप्रसाद माथुर ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : -[संशोधन इस प्रकार है :

Sub-clause (3) be substitutes- by the following:-'It shall come into force on such date as the State Govt. may by notification in the official Gazette, appoint.'

Clause 2. Sub-clause (11)

Delete the words "and includes......or for both."

Sub-clauses (4), (5), (6) & (7) be deleted.

Substitute the following part (a): In the case of a temple a person who is entitled to the performance, of worship or service in the temple or gifts thereto '

Part (ii)

Omit the word 'Dharmda'.]

उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ २ के सम्बन्ध में मेरे दो एमेंडमेंट्स हैं । पहला एमेंडमेंट क्लॉज़ २ के पार्ट (६) के अन्दर जो (ए) है वह (ए) इस प्रकार से है : "in the case of a temple, a person who is entitled to attend or is in the habit of at tending the performance or worship or service in the temple or who is entitled to partaking or in inhabit of partaking the distribution of gifts thereof इसको डिलीट करके इसके स्थान पर यह शब्द सब्स्टीट्यूट कर दिये जायं: Substitute the following part (a): "In the case of a temple a person who is entitled to the performance, of worship or service in the temple or gifts thereto.' इसके बाद दूसरा इसका जो पार्ट (११) है जिसमें पब्लिक ट्रस्ट को डिफाइन किया गया हैं: "Public trust" means an express or constructive trust for either a public religious or charitable purpose or both and includes a temple, a math, dharmada or any other religious or charitable endowment and a society formed either for a religious or charitable purpose or for both;' तो इसके अन्दर से जहां यह शब्द आये हैं "एन्ड इन्क्लूड्स"से लेकर"फोर बोथ"तक को डिलीट कर दिया जाय ।

इसकी परिभाषा में दिया गया है कि

Page No.81

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

कौन एन्टाइटल्ड हो सकते है ट्रस्टी बनने की दृष्टि से कौन भाग ले सकता है ।

१२.४ म० प०

(श्री आबिदअली, सभापति, पदासीन)

तो जिन व्यक्तियों के अन्दर पब्लिक का ट्रस्ट होगा, जिनको इसमें इन्ट्रेस्ट होगा वे ही लोग ट्रस्टी बन सकते हैं। वे इसकी कमेटियों में भाग ले सकते हैं। वे एडवाइज़री बोर्ड के मेम्बर हो सकेंगे । किन व्यक्तियों को अधिकार देना चाहिए ? किन व्यक्तियों को अधिकार होना चाहिए उनको हो सकता है या नहीं । इसकी परिभाषा इस विधेयक के अन्दर दी गई है उसमें यह है कि इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति "Person having interest" or any expression signifyineg a person having interest in a Hindu public trust includes—" कोई भी व्यक्ति जो कि अटेन्ड कर सकता है, किसी मंदिर के अन्दर आकर खड़ा हो सकता है या इन दी है बिट ऑफ 'अटेन्डिंग, मंदिर में जाकर खड़े होने की आदत है वह इस कानून से मंदिर का ट्रस्टी बन सकता है । मंदिर का बोर्ड बनता है तो उसको सदस्य बनने का अधिकार देते हैं। मन्दिरों के अन्दर कोई भी व्यक्ति जाकर खड़ा हो सकता है । कोई हिन्दू मन्दिर है जैन मंदिर है उसमें मेरे को अधिकार है कि मैं जैन मंदिर के अन्दर खड़ा हो सकता हूँ। मेरे को कोई रोक नहीं सकता है । सनातनियों के मंदिर में कोई मुसलमान धर्म को मानने वाला व्यक्ति खड़ा हो सकता है । जैन मंदिरों के अन्दर कोई भी क्रिश्चियन मतावलम्बी है वह जाकर खड़ा हो सकता है Any person who is entitled to attend a or is in the habit of attending. आप किसी व्यक्ति के खड़े होने का अधिकार नहीं दे सकते । केवल अटेन्ड करने मात्र से उस व्यक्ति को मेम्बर बना दें या वह व्यक्ति क्योंकि अटेन्ड कर सकता है उसको इस प्रकार के अधिकार मिल सकते हैं क्योंकि कानूनी बाधा नहीं है । क्रिश्चियन को किसी मन्दिर में खड़ा होने का कानूनन रोक नहीं सकते हैं । रोक नहीं सकते हैं इसलिए उसका राइट एसर्ट करता है । कानूनन किसी मन्दिर में खड़ा होता है तो राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को किसी मंदिर की कमेटीज़ बनेंगी, रीजनल कमेटीज़ बनेंगी उसमें किसी भी ऐसे व्यक्ति को सदस्य बना सकती है इस आधार पर कि उस व्यक्ति को वहां खड़ा होने का अधिकार है, यानी किसी व्यक्ति को स्टेट कमेटीज के अन्दर या स्टेट का जो बोर्ड बनेगा उसके अन्दर किसी भी व्यक्ति को नोमीनेट करेगी और नोमीनेट किसी को भी कर सकेगी who is in habit of attending पर्सन्स हेविंग इन्ट्रेस्ट को राज्य सरकार नोमीनेट करेगी, और हेविंग इन्ट्रेस्ट को परिभाषा दी गई है वह इस प्रकार से है: "who is entitled to attend or is in the habit of attending..." यदि इस परिभाषा को इसी रूप में मान लेते हैं तो आगे जाकर बड़ी गड़बड़ी पैदा होगी ।

कोई भी व्यक्ति, जिसकी मन्दिर में या धर्म में श्रद्धा नहीं है जो कि नास्तिक है, चाहे उसका नाम कोई भी हो सकता है । रामगोपाल उसका नाम हो सकता है । रामनारायण हो सकता है । नाम मात्र का सनातन धर्म का है या आर्य समाज का है क्योंकि उनके घर में पैदा हुआ है इसलिए उसका अधिकार है चूंकि वह उस घर में पैदा हुआ है कि जिस घर में उसके बाप दादा सनातनी

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

थे या आर्य समाजी थे, उस नाते से वह व्यक्ति उस परम्परा में आ गया, और परम्परा में आने से राज्य सरकार कहेगी कि वह उस घर में पैदा हुआ है, और घर में पैदा होने के नाते उस व्यक्ति को बोर्ड का मेम्बर नोमीनेट कर सकती है। लेकिन वह नास्तिक है उसके मन में श्रद्धा नहीं है जिस पर्पज़ या जिस उद्देश्य के लिए वह मन्दिर या मठ या जो ट्रस्ट बना है उसमें उस व्यक्ति की कोई श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा नहीं होने के बाद जब उसको उस मंदिर या मठ के बोर्ड का सदस्य बना देते हैं तो सदस्य बनने के बाद वह व्यक्ति जिन उद्देश्यों से नोमीनेट किया गया है किसी मंदिर के ट्रस्ट का, उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भेजा गया है वह पूरा करने वाला नहीं है। अलबत्ता वह व्यक्ति हिन्दू है लेकिन किसी प्रकार से वह कोशिश करेगा कि किसी न किसी प्रकार से वह समाप्त हो। वह धर्मादा समाप्त हो, वह मन्दिर समाप्त हो या जो अनेकानेक काम हों जो कि धार्मिक भावना को लेकर चलते हैं वे सारे कार्य समाप्त हो जायं क्योंकि उसकी इच्छा है। केवल इस नाते कि वह हिन्दू घर में पैदा हुआ है उस नाते He is entitled to attend. एन्टाइटल्ड टू अटेन्ड की परिभाषा को लेते हैं और उस हिसाब से उसको लेते हैं तो वह व्यक्ति आगे जाकर इस व्यवस्था के खिलाफ काम करेगा। मेरा तो संशोधन है कि "who is entitled to the performance, or worship or service in the temple or gifts..." यदि इन शब्दों को ले लिया गया तो वह एम्बीगुइटी जो है वह क्लिअर हो जायगी।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं माननीय सदस्य का मतलब नहीं समझता हूँ कि एन्टाइटल्ड टू परफरमेन्स यानी जो सेवा पूजा करता है वह एन्टाइटल्ड है और दर्शन करने वाले जो लोग आते हैं वे एन्टाइटल्ड होंगे या नहीं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति जिस संप्रदाय के हैं और जिन व्यक्तियों को लेना है वे वही व्यक्ति होने चाहिए।

श्री दामोदरलाल व्यास : किस को लिया जाय यह तो कोई एनरोलमेंट की तरह इलेक्टोरल रूल्स तो हैं नहीं कि हिन्दू टेम्पल में हर कोई हिन्दू दर्शन करने के लिए जाता है और सेवा पूजा का अधिकार तो केवल पुजारी को ही है। वह निजी मन्दिर में रहता है। आपका मकसद किस से है?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मेरा मतलब उससे है कि जो सेवा पूजा कर सकता है, वरशिप कर सकता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : कौन कर सकता है? जैन्स में?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : जैनियों का मैं समझता हूँ क्योंकि जैनियों में कोई भी पूजा कर सकता है। उन व्यक्तियों को इसके अन्दर ले सकते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सभापति महोदय, मैं यह पूछता हूं कि आपका मतलब यह है कि केवल उन पुजारियों को यानी केवल वे व्यक्ति जो कि उस मन्दिर में पूजा करते हैं उन्हीं को यहां पर रखा जाय। वही रिप्रेजेन्ट करेंगे, क्योंकि दूसरे जो लोग

(श्री दामोदरलाल व्यास)

हैं उनको अन्दर जाने का स्थान नहीं है और जो केवल दर्शन करने वाले हैं उनका कोई अधिकार नहीं होगा, this is what I wanted to know.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : दूसरा सवाल यह है कि पब्लिक ट्रस्ट के अन्दर कौन कौन चीजें आयेंगी।

"Public trust" means an express or constructive trust for either a public religious or charitable purpose or both and includes a temple, math, dharmda or any other religious or charitable endowment and a society formed either for a religious or charitable purpose or for both' अभी माननीय मंत्री जी ने उत्तर देते समय स्पष्ट करने का प्रयत्न किया था। मंदिर, मठ ये सारी चीजें ट्रस्ट में आती हैं उनका ट्रस्ट बनता है लेकिन जिस ढंग से हमारे यहां मंदिर बने हैं और जिस भावना से बने हैं उनको बनाने वालों की न तो इच्छा है और न आज तक की व्यवस्था चली आ रही है उसमें यह व्यवस्था है कि मंदिर और मठ किसी रूप में और कार्यों के लिए बने हैं। उनका स्वरूप हमने अपने सामने नहीं रखा और इनको इस ट्रस्ट की व्यवस्था में ले लिया तो सारी की सारी भावना समाप्त हो जायगी। यदि केवल चेरिटेबल ट्रस्ट है और उसको लेते हैं तो दूसरी बात है लेकिन मंदिर और मठ को लेना उचित नहीं है। जो मठ विशेष संप्रदाय का प्रचार करने के लिये बनाये जाते हैं जैसे शंकराचार्य परम्परा का मठ चल रहा है और यदि उसमें कोई पैसा बचता है तो वह पैसा उसी कार्य की प्रगति के लिए लगना चाहिये। जो डे टु डे वर्क में नहीं लगता है, डे टू डे कार्य का खर्चा करने के अलावा बचेगा तो बैंक में रखा जायगा और उसका उपयोग किस तरह से होगा ? या तो स्वदेशी कॉटन मिल में लगाया जायगा या और जगह लगाया जायगा। तो जिस कार्य का प्रचार करने के लिये या जिस भावना का निर्माण करने के लिये रुपया आया उसमें नहीं लगेगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं यह पूछना चाहता हूँ कि रुपया सरप्लस पड़ा रह जाय तो उसको इन्वेस्ट करना चाहिये या आइडल रखना चाहिये ?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : जिस कार्य के लिए ट्रस्ट बना है उसी संप्रदाय के लोगों को रुपया दीजिये और कहिये कि संप्रदाय के प्रचार प्रसार के लिए अधिक से अधिक किताबें निकालिये या और कुछ करिये....

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं तो सरप्लस फंड के बारे में पूछता हूं। उसको कहीं इन्वेस्ट करना चाहिये या तिजोरी में बंद रखना चाहिये।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मैं कहता हूँ कि इसको तिजोरी में बंद नहीं करके इन्वेस्ट करिये लेकिन इन्डस्ट्रीज में नहीं।

श्री सभापति : सरप्लस फंड की बात है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : सरप्लस की ही बात कह रहा हूँ। डे टु डे वर्क होता रहेगा, भोजन, वस्त्र आदि के अलावा जो पैसा बचेगा उसका क्या होगा, उस संप्रदाय के प्रचार प्रसार के लिये किताबें छपवानी हैं,

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

दूसरे स्थानों पर मठ की स्थापना करनी है तो ये डे टु डे वर्क में नहीं आयेंगे। मान लीजिये एक संप्रदाय ने १ लाख रुपये . .

श्री सभापति (श्री आबिद अली) : खर्चा करने के बाद जो सरप्लस रहता है उसकी बात है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : वे लोग कोई मठ बनाना चाहते हैं और सरकार ने यह प्रोविज़न रखा है कि इतने हजार से ज्यादा रुपये हों तो कमिश्नर की सेंकशन लेनी होगी, मठ बनावें या नहीं और कमिश्नर यदि ऐसा है कि उस मत का प्रचार नहीं चाहता, मान लीजिये कि वह सनातनी है और वह नहीं चाहता कि जैन धर्म का प्रचार हो तो जैन धर्म वालों से कहता है कि हम मेला लगाना चाहते हैं या और कुछ करना चाहते हैं और हमारा इतना रुपया बचा है उससे हम मेला लगाना चाहते हैं या धर्म के प्रचार कार्य में खर्च करना चाहते है और कमिश्नर कहेगा कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते जो रुपया बचा है वह इन्डस्ट्रीज मे इन्वेस्ट किया जायगा और उस धर्मावलम्बी चाहते हैं कि उसका उपयोग धर्म के प्रचार कार्यों में हो तो तो उनको सेंकशन लेनी पड़ेगी और फिर झगड़ा बढेगा। आप कहते है कि हम धार्मिक व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो क्या यह हस्तक्षेप होगा या नहीं जब कि संप्रदाय वाले कहते हैं कि हमारा रुपया बचा हैं हम चाहेंगे जैसे उसे धर्म कार्यों में लगावेंगे तो आप कहोगे कि नहीं इस तरह से रुपयों का दुरुपयोग होगा इन्डस्ट्रीज में इन्वेस्ट करने से सदुपयोग होगा। संप्रदाय वाले उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते है और आप कहते हैं कि किताबें मत छपवाइये, प्रचार मत करिये, उपदेशक मत भेजिये इन सब में फालतू रुपये खर्च होते हैं, इसके बजाय कमिश्नर जिस प्रकार की राय देता है उसी प्रकार से कार्य करना होगा। लेकिन यह धन का दुरुपयोग होगा। आप मंदिर, मठ और धार्मिक स्थानों को इस परिभाषा में से निकाल दीजिये और जो आलरेडी ट्रस्ट बने हुए हैं उनको ले लीजिये। उनको शामिल लेने का मतलब यह है कि केवल रुपया हड़पने के लिये आपकी नीयत है इसके अलावा और कोई नीयत नहीं है। धर्म का प्रचार हो या न हो आपकी बला से धर्म समाप्त हो जाय। यदि आपकी नीयत यह होती कि धर्म का प्रचार हो तो मन्दिर और मठ को इसमें नहीं लाते। किसी मन्दिर या मठ में अव्यवस्था होती है तो देवस्थान विभाग इन्टरफियेरेन्स करता है। यदि कहीं पर शिकायत होती है सेवा पूजा न होने की तो उसकी कोई परवाह नहीं करता है। हमने एक मन्दिर के बारे में कई बार शिकायत की, एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट ने जाकर उसकी जांच की और रिपोर्ट देवस्थान विभाग के पास पड़ी है उसके बारे में मंत्रीजी को परवाह नहीं है, जो इसका दुरुपयोग करते हैं उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते, केवल रुपये हड़पना है इसलिये यह लाया गया है। इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूं कि मंदिरों और मठों को इससे अलग किया जाय।

श्री सभापति : श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : सभापति महोदय, मैंने क्लाज़ २ में दो अमेन्डमेन्ट रखे हैं एक तो है इन पार्ट १० (ब)

यह इस प्रकार है : In Clause 2, part

(श्री पी० के० चौधरी)

(1) sub-part (b) insert the words 'public sector' after the word 'Companies'. दूसरा अमेन्डमेन्ट इसमें इस प्रकार का है कि सब-पार्ट (सी) एंड (डी.) को डिलीट कर दिया जाय। सब-पार्ट (सी) में यह दिया हुआ है : " debentures or other securities for money issued by or on behalf of any local authority in exercise of the powers conferred on it by Act of the Central or a State Legislature ."

" (d) a security expressly authorised by an order which the State Government makes in this behalf. "

सभापति महोदय, यह जो डेफिनेशन है वह पब्लिक सीक्योरिटीज की डेफिनेशन है और पब्लिक सीक्योरिटीज की जो डेफिनेशन है उसका संबंध क्लाज ३० से है।

श्री पी० के० चौधरी : हिन्दू ट्रस्ट का जो फंड है, वह कहां पर इन्वेस्ट किया जायेगा, वह वहां दिया हुआ है क्लॉज़ ३० में लिखा हुआ है।

"All moneys belonging to a Hindu public trust, other than moneys required for the day to day expenditure of the trust, shall be kept in a bank for the time being included in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 (Central Act II of 1934) or in a Post Office Savings Bank or in any bank registered under the Rajasthan Coopratíve Societies Act, 1953 (Rajasthan Act IV of 1953) or shall be invested in public securities or shall, with the approval of the Assistant Commissioner, be kept with any banker or person acting as a banker who has given such security for the safe custody and repayment on demand of the moneys so deposited as the Assistant Commissioner may in each case think sufficient;" बैंक या पोस्ट ऑफिस में रखेंगे और पब्लिक सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेंगे। सभापति महोदय, पब्लिक सिक्योरिटी की जो एक्सेप्टेड डेफीनेशन है, Public securities normally means any shares of any Government undertakings. यह जो गवर्नमेंट है, उसको पब्लिक सिक्योरिटी कहा जाता है लेकिन यहां पब्लिक सिक्योरिटी की डेफीनेशन दी गई है, उसमें पब्लिक सेक्टर के अलावा जो प्राइवेट सेक्टर हैं, कम्पनी है, उसके डिवीडेन्ड को सरकार गारन्टी करती है, उसको पब्लिक सिक्योरिटी में लानी चाहती है। दूसरी बात यह कि बड़ी वाइड पॉवर दी हैं कि किसी भी सिक्योरिटी को चाहे किसी प्रकार की प्राइवेट कम्पनी की क्यों न हो, उसको गवर्नमेंट डिक्लेअर कर दे for the purpose of this Act for the purpose of invest of these funds of the charitable trust the Government declares नेशनल बाल बियरिंग की सिक्योरिटी, स्क्रिप्ट को पब्लिक सिक्योरिटी माना जायगा, इस एक्ट के अन्दर में पब्लिक सिक्योरिटी माना जायगा। सभापति महोदय, यह बिल लाया गया है, इसके ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स में कहा गया है और हम सब मानते हैं कि उनके जो फाइनेन्सियल अफेयर्स चैरिटेबल ट्रस्ट्स के उनका प्रोपर चेक रखने के लिए, क्योंकि जो फंड्स हैं, उसके प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी के लिए जिससे उसका मिसयूज न हो, प्रोटेक्टेड रहें फंड्स और फंड्स का

(श्री पी० के० चौधरी)

दुरुपयोग न हो, इसके लिए लाते हैं। अब हम इस उद्देश्य से इस बिल को लें तो आज मेरी समझ में नहीं आता कि आज पब्लिक सिक्योरिटी का जो एक्सेप्टेड स्कोप है, जो एक्सेप्टेड डेफीनेशन है, उसको मोडीफाई करके रखते। हम एक तरफ ऐसा कहते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, उनमें इनवेस्टमेंट करने की क्या जरूरत महसूस हुई, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से अपील की जायगी पब्लिक सेक्टर में इनवेस्टमेंट करने के लिए अपील की जायगी, स्माल सेविंग सर्टिफिकेट खरीदें, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीदें, पब्लिक सेक्टर में इनवेस्टमेंट करने के लिए अपील की जाती है, ड्राइव चालू किया जाता है। जहां यह मौका मिलता है कि चेरिटेबल ट्रस्ट्स जो हैं, उनके फंड्स हैं, उनका सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ यह मौका मिलता है कि आज तक जिन ट्रस्ट के फंड्स प्राइवेट कम्पनीज़ में इनवेस्टेड हैं, एंगेज्ड हैं, उसको डिसएंगेज्ड करके पब्लिक सेक्टर में जा सकते हैं और वहां जाकर अनकामन डेफीनेशन पब्लिक सेक्टर की दे सकते है। इतना ही नहीं पब्लिक सिक्योरिटी की डेफीनेशन को ऐसा बना दिया है, पार्ट (सी)(डी) देखें "Security expressly authorised by an order which the State Government makes in this behalf;" यानि किसी भी सिक्योरिटी में, चाहे नेशनल बाल बियरिंग की हो, चाहे स्वदेशी काटन मिल की हो, चाहे विजय नगर शुगर मिल्स की हो, किसी की भी हो By this definition, we by a stroke of pen the Hon. Minister may convert it into a public security... यह पब्लिक सिक्योरिटी यह चीज है, यह किया जाता है। दूसरे उसमें एक और बात का खयाल रखना है। जो बड़े बड़े चैरिटेबल ट्रस्ट्स हैं, या इन्स्टिट्यूशन्स हैं, मान लीजिये, आज मैं नहीं जानता हूं मैं एज्यूम करके चलता हूं कि राजस्थान के बड़े बड़े सेठ लोग, नवलगढ़ के बिडला जी आदि, की यह प्रेक्टिस रही है, जो लोग ट्रस्ट क्रियेट करते हैं, ५० लाख के, २० लाख के, १० लाख के ट्रस्ट क्रियेट करते हैं, चैरिटेबल पर्पज के लिए, चैरिटेबल पर्पज के लिए बना कर, जैसे मंदिर बनाया, ट्रस्ट बनाया, उसके रेकरिंग एक्सपेन्डीचर का जो लोग इन्तजाम करते हैं। यदि मंदिर बना दिया तो उसकी सेवा पूजा के लिए इन्तजाम करते हैं और उसके इन्तजाम के लिए रेकरिंग इन्कम, चाहे रेकरिंग इन्कम किसी फंड से करते हैं, करते हैं, कम्पनी के शेअर्स दे देते हैं, उसके ऊपर जो डिविडेन्ड मिलता है, वह रेकरिंग इन्कम रहती है। अब मैं डिटेल्स नहीं जानता हूं लेकिन बहुत से ट्रस्ट और इन्स्टिट्यूशन्स आपको मिलेंगे, जिनकी रेकरिंग इनकम के लिए जो इनवेस्टमेंट है, ट्रस्ट का बिल करके फंड्स दिये हैं, बहुत से फंड्स से इनकी प्राइवेट सिक्योरिटी हैं, उन कम्पनी के शेअर्स खरीदे हुए हैं, शेअर के रूप में फंड्स इन्वेस्टेड हैं, जिसके डिवीडेन्ड से, उसके इन्ट्रेस्ट से रेकरिंग एक्सपेन्डीचर मीट होता है। आज पब्लिक सिक्योरिटी की डेफीनेशन को चेंज करके उस फंड को वहां से ले सकते हैं। इससे मौका मिलता है। पब्लिक सिक्योरिटी की डेफीनेशन को हम डाल्यूट या इलास्टिक नहीं करते हैं, यह ठीक है, पब्लिक सिक्योरिटी, प्राइवेट सिक्योरिटी में इनवेस्टमेंट करेंगे, बड़े ट्रस्ट क्योंकि बाद में समय नहीं होगा, यदि इन पब्लिक सिक्योरिटी में खर्च करना चाहते हैं। Public securities are

Page No.87

(श्री पी० के० चौधरी)

private securities. But that taste is bad, because anybody will accept that fund investment if the discretion is given to the State Government. यह गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव का प्राइवेट सिक्योरिटीज़ में इनवेस्टमेंट करने का विचार है, उसके लिए मैं नम्रता से कहना चाहता हूं कि वहां मौका नहीं होता है जांच करने का, कौनसी पब्लिक सिक्योरिटी सिक्योर्ड है which is sound आज एल आई सी का देखा है, कई लोग उसमें मोटिव करते हैं, मैं उस मोटिव का आरोप नहीं करता, रिजर्व बैंक के चेअरमैन जैसे व्यक्ति धोखे में आ जाते हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी में एल. आई. सी. का इन्वेस्टमेंट हो जाता है, मूंदड़ा की बी. आई. सी. सिक्योरिटी की खरीद करते हैं, बहुत सी बड़ी बड़ी कम्पनियों के नाम बड़े होते हैं, प्रोसपेक्टस अच्छे होते हैं, लेकिन साउन्डनेश उन सिक्योरिटीज की नहीं होती है। गवर्नमेंट की जो एग्ज़ीक्यूटिव है, जिसका बिजनेस में कोई तजुर्बा नहीं है They are child they are infants in these matters. उनके जजमेंट में मैं डाउट करता हूं जजमेंट को चेलेंज कर सकता हूं आप इन्डस्ट्री के ऑफिसर को मेरे सामने ले आयें I can discuss this with Mr. Menon. He does not know how this functions. उसकी वेल्यू कैसे फलक्चूएट की जाती है, साउन्डनेश कैसे जांच की जाती है। मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट की एग्ज़ीक्यूटिव को इस प्रकार डिस्क्रिशन दे दिया जाय, मैं मेलाफाइडी का डाउट नहीं करता, लेकिन बोनाफाइड असेसमेंट गलत हो सकता है। अब मैं कहना चाहता हूं जब यह हालत है तब पब्लिक सिक्योरिटी की डेफीनेशन का इलास्टिक बनाना चाहिये। जब आप अपील कर रहे हैं पब्लिक सिक्योरिटी में इनवेस्टमेंट करने के लिए, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट और दूसरी चीजों में इनवेस्टमेंट करने के लिए, जब कि पब्लिक सेक्टर में डर्थ नहीं है, पब्लिक सेक्टर इतना एक्सपेन्डेड है, रेलवे जैसे ओटोनामस बाडी बनी हुई है कॉमर्शियल लाइन्स पर, सिन्द्री फेक्ट्री, हिन्दुस्तान केमिकल फेक्ट्री, स्टील फेक्ट्री हैं आज सैकड़ों पब्लिक सेक्टर हैं। आज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्ट्रेस्ट मिलता है, प्राइवेट कम्पनीज से डिवीडेन्ड नहीं मिलता है। इस हालत में आज इस डेफीनेशन को इलास्टिक बनाने का मकसद समझ में नहीं आता saving certificate जो देते हैं without any malefic intention. उसको उसका मिसयूज हो सकता है रोग जजमेंट हो सकता है, रोंग असेसमेंट हो सकता है। इसलिए निवेदन है कि मेरा जो अमेंडमेंट है पार्ट ए में, पार्ट सी या डी में, उसको मंजूर किया जाय। पार्ट सी है :

"debentures or other securites for money issued by or on behalf of any local authority in exercise of the powers conferred on it by an Act of the Central or a State Legislature."

सभापति महोदय, आज म्युनिसिपैलिटीज वगैरह को भी लोन फ्लोट करने का अधिकार है। यह उनकी कोई अन्डरटेकिंग कोई कामर्शियल अन्डरटेकिंग है, उसको शेअर मार्केट से वे लोग करते हैं लेकिन मेरे खयाल से आज राजस्थान की लोकल बॉडीज हैं, जो म्युनिसिपैलिटीज़ हैं, आज किसी की ऐसी पोजीशन नहीं है, या किसी की इतनी इकोनॉमिक साउन्डनेश नहीं है कि उनकी तरफ से लोन फ्लोट किया जाय और उस

(श्री पी० के० चौधरी)

लोन की सिक्योरिटी रहे मैं इसे नहीं मानता। सारे हिन्दुस्तान में दो कोर्पोरेशन ही ऐसे हैं, जिनकी जिनाइननेस पर विश्वास कर सकते हैं। बाकी दूसरी कोई ऐसी नहीं है जिस पर हम विश्वास कर सकें। उनके लोन पर हम विश्वास कर सकें। About their availability to return it. इस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। अब यह जो क्लॉज़ सी है इसका उपयोग राजस्थान में हो सकता है। मैं समझता हूं कि इसका प्रेक्टिकल यूज राजस्थान में नहीं होगा and then you rest assure that the funds will come back. क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे यहां की म्यनिसिपैलिटीज बिजली के चार्जेज, पानी के चार्जेज नहीं दे सकते हैं, उनके जो एक्सपेन्डीचर हैं This is much more than thair normal income. एसी हालत में मैं नहीं कह समझता कि पार्ट (सी) का प्रेक्टिकल रूप रहेगा। यह तो थ्योरिटिकल रहेगा और ऐसा रह सकता है। If the execultive takes it into his hands. इसका मिसयूज हो सकता है। जिसके एप्लीकेशन की कोई गुंजयश नहीं है तो एसी चीज को क्यों रखा जाता है। इसलिये मैंने जो एमेंडमेंट रखा है उसको माननीय मंत्री महोदय स्वीकार करेंगे।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्लाज २ में सभापति महोदय, मैंने तीन अमेन्डमेन्ट पेश किये हैं। नम्बर ६, ७ और ८ हैं। In clause 1 delete the word 'Hindu.' In clause 2 omit parts (2), (6) and (7). Parts 9 (a), add the following words:- 'out shall not include the paid pujari.' सब-क्लाज़ (६) में 'Hindu' includs a person professing the Buddhist, Sikh or Jain religion:

(७) में लिखा है जो है हिन्दू ट्रस्ट :

'Hindu Public trust means'a public trust for Hindus generally or for any section thereof; सभापति महोदय, मैंने अभी राजस्व मन्त्री का जो भाषण सुना और जो बातें जवाब में उन्होंने कही और जिस ढंग से कही वह बात मैं मान चुका कि उन्होंने अमेन्डमेन्ट पेश किया और उनका यह कहना था कि उन्होंने संशोधन पेश किया है, वह संशोधन इस बात की शक्ति करेगा कि जो बोर्ड के ट्रस्टीज होंगे, जैसे श्वेताम्बर हैं तो उनको मत देने का अधिकार होगा एक बात तो उन्होंने संशोधन के रूप में यह कही क्योंकि उनको यह मालूम हो गया कि आर्टिकल २६ के अन्तर्गत किसी दूसरे धर्मावलंबी को उनके ट्रस्ट के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने देना चाहते। और आपने बड़ी काबलियत से डिपार्टमेंट की गलती को सुधारने के लिये यह एन्डमेंट रख दिया लेकिन अभी तक मैं आपकी भावना को नहीं समझ सका कि आपकी क्या भावना है जो आप यह कहते है कि हम धर्म के मामलों में किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, हमारा धर्म के मामलों में किसी से कोई हस्तक्षेप करने की बात नहीं है। हम सेकुलर स्टेट में विश्वास करते हैं और जो ट्रस्ट है उनका हिसाब साफ़ है या नहीं, कहीं घोटाले नही हो, आय व्यय के आंकड़े सालों साल राज्य सरकार देख सके। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जब आप ऐसा चाहते हैं तो आपको हिन्दू ट्रस्ट रखने की क्या जरूरत है। जब आपने पब्लिक ट्रस्ट की डेफिनेशन दी है।

"Public trust" means an express or constructive trust for either a

(श्री मूलचन्द डागा)

public religious or charitable purpose or both and includes a temple, a math, dharmada or any other religious or charitable endowment and a society formed either for a religious or charitable purpose or for both; तो इस हालत में आपका इस डेफिनेशन से "Hindu" includes a person professing the Buddhist Sikh or Jain religion." क्या मतलब है। मैं क्षमा चाहता हूं कि पार्लियामेंट में अध्यक्ष ने जो बातें करते हैं उनसे यह कहा कि वे बातें करते हैं उनसे यह कहा कि वे बातें न करें। यहां पर भी मैं यह निवेदन करूंगा और मैं यह नहीं चाहता कि आप बातें करते रहें और सुनने की कोशिश नहीं करें जो हम यहां पर कहते हैं। यदि आप बात करें तो हमारे कहने का कोई मतलब नहीं रहता। आज भी इस सम्बन्ध में लोक सभा में चर्चा हुई थी। तो मैं यह कहता था कि वे इस बात की तरफ ध्यान दें और अच्छी तरह से सोचें। आपने कानून में हिन्दू का मतलब लिया है। हिन्दू की परिभाषा आपने ली है Hindu includes a person professing the Buddhist, Sikh or Jain religion; तो आपका क्या मतलब है। आपका जो ट्रस्ट है, कोई ट्रस्ट में ऐसा पब्लिक ट्रस्ट हो सकता है जिसमें हिन्दू भी, पारसी भी और सिक्ख भी भाग ले सकते हैं और क्रिश्चियन भी भाग ले सकते हैं। आपका यह मतलब होगा कि जिन ट्रस्ट को आप रखना चाहते हैं वे पब्लिक के ट्रस्ट हों। आप हिन्दू के अन्तर्गत हिन्दू की डेफिनेशन यह रखते हैं तो आपकी यह डेफिनेशन गलत होती है "Hindu includes a person professing the Buddhist, Sikh or Jain religion; आपने अपने आप को कन्फाइन कर दिया है। आपने सीमित क्षेत्र कर दिया है। आप यह बताना चाहते हैं हिन्दू Hindu includes such and such मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आप पब्लिक ट्रस्ट के मामलों में राजस्थान में जितने ट्रस्ट बनेंगे उसके बारे में आपके ट्रस्ट हैं तो आपके हिन्दू की परिभाषा में क्या अर्थ निकलता है। आप आज तक कहते हैं कि हम सेकुलर स्टेट में हैं। हिन्दू नाम की परिभाषा आपके सेकुलर स्टेट में क्या होनी चाहिये Hindu includes a person professing the Buddhist Sikh or Jain religion; हिन्दू का मतलब कोई यह कहे कि इसमें जैन, बौद्ध और सिक्ख धर्म आ जाता है। मैं समझता हूं कि तीनों धर्मावलंबी मान्यता देंगे कि हमारा धर्म हिन्दू धर्म के अन्तर्गत आ जाता हैं। मैं इसको चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहता लेकिन जो आपने परिभाषा लिखी है और आपकी जो भावना एक तरफ हो रही है कि आप धर्म के मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहते तो फिर आप एक धर्म के लिये ऐसा क्यों करते हैं। दूसरों के लिये आपने क्या सोचा है। इसलिये मैं यह समझता हूं कि इसकी जरूरत कुछ नहीं है। Hindu includes person professing himself Sikh or Jain religion इसलिये इसको ओमिट कर दिया जावे और सीधा यह कर दिया जावे कि कि पब्लिक ट्रस्ट है उस पर लागू होगा। हम यह नहीं चाहते। हम यह नहीं चाहते कि आप इसके अन्तर्गत दूसरे धर्मावलंबियों को डाल कर इस बिल के द्वारा उनको शामिल करना चाहते है। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो दूसरे धर्मावलंबियों पर इसका क्या असर होगा। इसलिये मैं यह समझता हूँ कि ११ क्लॉज़ की (२) में जो है उस हालत में हम नहीं चाहते कि हिन्दू

(श्री मूलचन्द डागा)

Hindu includes a person professing the Buddhist, Sikh or Jain religion; इसको ओमिट किया जावे Hindu piblic trust means a trust for Hindus generally or for any section thereof पर आपने नई परिभाषा दी हैं Hindu includes such and such within the Hindu Public Trust. याने अब हमें इस परिभाषा की भी आवश्यकता नहीं ।

जब आप पब्लिक ट्रस्ट की डेफिने-शन दे चुके हैं तो फिर आप देते हैं : "Hindu Public Trust means a public trust for Hindus Generally or any section thereof." तो मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि आखिर में जब आपने रूलिंगस पढ़ी सुप्रीम कोर्ट की रतिलाल के फैसले में, मैंने स्पष्ट कहा था कि मन्त्री महोदय कोटेशन्स न पढ़ें बल्कि यह बताने की कोशिश करें कि इसके फेक्ट्स क्यों हैं और किन मुद्दों पर बोम्बे हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने किन मामलों में इन्टरफियरेन्स किया और बताया। मन्त्री महोदय ने शायद फेक्ट्स देना उचित नहीं समझा था। बोम्बे में एक्ट बना वहां 'हिन्दू' शब्द नहीं है। वहां तो पब्लिक ट्रस्ट एक्ट है। हिन्दू शब्द को ओमिट कर दिया क्योंकि यह रखना ठीक नहीं है। बोम्बे का एक्ट जैसा बताया गया है और कोटेशन सुप्रीमकोर्ट के फैसले के पढे हैं वहां हिन्दूशब्द नहीं है और पब्लिक ट्रस्ट ही शब्द हैं। एक तो आप बोम्बे की नजीर देना चाहते हैं फिर हिन्दू शब्द हटा कर पब्लिक ट्रस्ट कर देने में आपको कौनसी अड़चन हो जाती है और आप कहते हैं कि सिविल कोर्ट में सेक्शन ६२ नया दे दिया गया है तो यह लागू नहीं होगा तो फिर ऐसा कर देने में कौनसी अड़-चन आ जाती है। उसका मतलब यह था कि कोई राज्य सेकुलर स्टेट में किसी जाति विशेष या धर्म के लिए कोई ऐसा कानून न बनाये जिस कारण धार्मिक मामलों में हस्त-क्षेप कर सके। फिर यह डेफ़िनिशन रखी है और मैं उसका विरोध करता हूं कि यह जो हिन्दू पब्लिक ट्रस्ट बिल रखा है यहां 'हिन्दू' शब्द की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपकी डेफिनेशन साफ हो चुकी है कि कोई पब्लिक ट्रस्ट किसी धर्मावलम्बी के लिए होगा, चेरिटेबल काम के लिए होगा उस पर यह लागू होगा, फिर भी यह परिभाषा रखी है इसलिए मैंने इसका विरोध किया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्य को जानकारी दूंगा कि बोम्बे में पारसी एक्ट है, पार्लियामेंट का है . . . That has not been extended to Bombay area.

श्री मूलचन्द डागा : बोम्बे में पारसी जाति के लिए अलग बना होगा फिर भी हिन्दू जैन, बौद्धों पर ऐसा हो यह नहीं रखा है। आपने क्या इसमें पारसीज़ को इन्क्लयूड किया है ? मान लीजिये कि राजस्थान में क्रिश्चियन, पारसीज़ रहते हैं तो उनके लिए क्या होगा ? आपने डेफ़िनेशन दी है कि हिन्दू, सिक्ख बुद्धिइज्म। कोई पारसी रहता है उसके लिए क्या आपका उत्तर है ? कोई क्रिश्चियन है उसके लिए क्या जवाब है ? आप जिस परिभाषा को रखना चाहते हैं, मैं कहता हूं कि हिन्दू शब्द रखते ही क्यों हैं। हिन्दुस्तान की संस्कृति में कई जातियां हैं, धर्म हैं। लेकिन आप पर्टिकुलरली

(श्री मूलचन्द डागा)

Hindu includes such and such मैं उसका विरोध करता हूं। आप क्रिश्चियन पारसीज़ और दूसरे धर्मावलंयों के लिए क्या कहना चाहते हैं ?

८ वें में मैंने यह संशोधन किया है : 9th is "person having interest" or any expression signifying a person having insert in a Hindu public trust includes:— (a) in the case of a temple a person who is entitled to attend or in the habit of attending the performance or worship or service in the temple or who is entitled to parteking or is in the habit of parking in the distribution of gifts thereof." कई ऐसे मन्दिर हैं, जैसे जैन धर्म के मंदिर हैं उनमें जो पुजारी हैं वे पुजारी हिन्दू धर्म में विश्वास करते हैं और वे वैष्णव सम्प्रदाय के हैं। यद्यपि वे हमारे यहां पूजा, सेवा अर्चना बंदगी करते हैं और रोजाना मंदिर में आते हैं और उनके द्वारा उनका प्रबन्ध होता है लेकिन वे हमारे तो, कहना चाहिये, कर्मचारी हैं किन्तु आपने डेफिनेशन में दे दिया कि एक तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार संशोधन कर रहे हैं कि जैनस व दूसरे धर्मा-वलम्बी बैठेंगे, जैनियों में भी कई हैं, दिगम्बर, श्वेताम्बर आदि बैठेंगे और दूसरी तरफ कहते हैं कि कोई कर्मचारी या व्यक्ति विशेष क्या कर सकता है ? वह मंदिर में जाता हो, पूजा करता हो वह भी उस हालत में इन्टरेस्ट रखेगा। मैं इसका विरोध करना चाहता हूं। कई मन्दिर ऐसे हो सकते हैं जहां पर दूसरे दूसरे धर्मावलम्बी काम कर सकते हैं कर्मचारी हो सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, लेकिन उसको आप कमेटी का मेम्बर बनाना चाहते हैं उसके लिए मेरा अमेंडमेंट है : "But shall not include the word paid Pujari." वे आदमी जिनकी तनख्वाह बंधी होती है,जो सेवा पूजा के लिए आता है। उसके लिए मुमानियत नहीं की है इसलिए रखा है But shall not include the paid pujari क्यों नहीं तो उसका मतलब यह होगा कि पुजारी भी उस ट्रस्ट का या कमेटी का, एड-वाइजरी बोडी का मेम्बर बनाने के लिए आप यहां रखेंगे ।

दूसरा मेरा मकसद था कि आप जब यह मान चुके हैं कि हम किसी भी धर्म के मामले में, आपका यह उद्देश्य है कि हम हस्तक्षेप नहीं करना चाहते और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, ऐसी स्थिति में किसी दूसरे धर्मावलम्बी को उस कमेटी में रखने का प्रावधान अपने बिल में रखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी के धर्म के मामले में दूसरे धर्मावलम्बी हस्तक्षेप न करें, इसमें यह डेफिनेशन दी है कि कोई आदमी इन्ट्रेस्ट रखता हो, कभी कभी यह होता है कि लोग एक दूसरे के धर्म में विश्वास करते हैं, कई आदमी ऐसे हैं और आज इस वैज्ञानिक युग में हैं कि जो सब धर्मों में जाते हैंऔर उठते बैठते हैंऔर सब धर्मों की बातें समझते हैं तो आप कहेंगे कि यह आदमी सब धर्म में विश्वास करता है इस-लिए हर एक ट्रस्ट का वह मेम्बर बन सकता है। तो मेरा यह मतलब था कि आप इसको सीमित कीजिये कि जो जिस धर्म का मानने वाला है और विश्वास करता हो वह उसी कमेटी का मेम्बर बने न कि दूसरी कमेटी का। यह मैंने अमेंडमेंट इसमें पेश किया है। तो इस तरह से मैंने तीन अमेन्डमेंट पेश किये हैं और बताने की कोशिश की है जहां तक

Page No.92

(श्री मूलचन्द डागा)

हो सके आप इन संशोधनों को स्वीकार करें। उनका मकसद यह है कि उसको भावना को ध्यान में रखते हुए दो को ओमिट कर दिया जाय और तीसरे में ये शब्द रख दिये जांय।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : माननीय सभापति महोदय, धारा दो के लाइन एक के अन्दर मेरा एक अमेंडमेंट जो इस प्रकार है

Clause 2 (9) (a) be substituted as under : In the case of a temble, a person who is entitled to the performance, worship or service in the temple or gift to the temple. सभापति महोदय, मौजूदा कानून की जो धारा है उसका मतलब तो यह निकलता है कि कोई भी आदमी इन दी केस आफ–

"In the case of a temple, a persen who is entitled to attend or is in the habit of attending the performance or service in the temple... जो आदमी उस धर्म में विश्वास नहीं रखता जिसका मन्दिर में विश्वास नहीं फंक्शन में जाकर अटेन्ड करता है किसी ट्रस्ट के मेम्बर बनने की गरज से उसकी इच्छा है चाहे वह मन्दिर का अनुयायी न होकर एक दफा जाकर उसको अटेन्ड करता है वह अपनी हेबिट इस तरह की बना देता है तो वैसी हालत में उसको मन्दिर का ट्रस्ट बनने का अधिकार मिल सकता है। सभापति महोदय, मेरे को इसमें शक है कि इस प्रकार से जो अटेन्ड करने का वर्डिंग है उससे स्पष्ट रूप से मानना पड़ेगा कि ऐसे व्यक्तियों को मौका मिल सकता है मन्दिर के एक फंक्शन को जाकर अटेन्ड कर दिया तो वह मन्दिर का ट्रस्टी बन सकता है मेरे को शक है कि इसमें रोजाना झगड़े खडे होंगे सरकार के समक्ष खड़े होंगे। इस प्रकार के वर्डिंग नहीं हटायेंगे इस प्रकार की मुसीबत सरकार के सामने खड़ी हो जायगी और सरकार फिर यह नहीं कह सकेगी कि उसे ट्रस्टी नहीं बना सकते। एक तरफ तो प्रोविजन करते हैं जो मन्दिर एक दफा अटेन करदे तो उसको ट्रस्टी बनने का हक होगा। कोई ऐसा शख्श है जो मन्दिर का अनुयायी न हो एक दफा मन्दिर का फंक्शन अटेन्ड कर लेता है तो मन्दिर की व्यवस्था के अन्दर वह दखल कर सकता है। जो आदमी उस धर्म में विवाश्स नहीं रखता। ऐसा प्रोविजन रख देने से स्पष्ट रूप से मानना पड़ेगा कि इस प्रकार के आदमियों को भी ट्रस्टी बनने का अधिकार होगा। ऐसे शख्श भी ट्रस्टी बन जायेंगे जिनका उस धर्म में विश्वास नहीं सभापति महोदय, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि जिस चीज को जिस धर्म को वह मानता नहीं उस धर्म में दखल देने का उसको अधिकार हो सकता है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इसकी स्पष्ट रूप से सफाइ कर देनी चाहिये केवल एक दफा अटेन्ड करने मात्र से ट्रस्टी नहीं बना दिया जाना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैंने जो. संशोधन प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

दूसरी बात यह है कि जो संशोधन मूल-

(श्री मूलचन्द डागा)

चन्दजी डागा ने रखा है हिन्दू की डेफीनेशन के संबंध में, वह हटा देनी चाहिये। इसका मैं समर्थन करता हूं। एक तरफ तो आप यह नारा लगाते हैं कि जातिवाद समाप्त होना चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : सभापति महोदय, माननीय सदस्य की जानकारी के लिये निवेदन कर दूं मैंने इस बारे में अमेंडमेंट दिया है उसमें हिन्दू की डेफीनेशन हटाई है।

श्री लक्ष्मीचन्द (जारी) : इसके लिये धन्यवाद। यह कहते हुए मैं अपना संशोधन सदन की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत करता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय मंत्री महोदय का अमेंडमेंट तो मालूम हो जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Let us know that amendment.

श्री दमोदरलाल व्यास : (**राजस्व मंत्री**) : माननीय सभापति महोदय, आपकी आज्ञा से मैं क्लाज २ में एक अमेन्डमेन्ट मूव करना चाहता हूँ, आॅफ्टर पार्ट II वहां एक डेफीनिशन एड करना चाहता हूँ

Clause 2-(1) After part (II) insert the following -

" (2A) "charitable endowment" means all property given or endowed for the benefit of, or used as of right by, the Hindu commuulty or any section thereof for the support or maintenance of objects of utility to the said communtiy or section, suchas rest-houses, pathshals, schools and colleges, houses for feeding the poor and instititions for the advancement of education, medical relief and public health or other objects of a like nature and includes the institution concerned."

(2) After part (v) insert the following :-

' (5A) 'hereditary trustee' means the trustee of a Hindu public trust succession to whose office devolves by hereditary right or is regulated by usage or is specifically provided for by the founder;'

1. Omit part (vi)

2. Omit 'Hindu' wherever occurring in the Bill.

(3) In part (ii) insert, or institution 'after endowment'.

(4) After part (xii), insert the following :—

'(12A) 'religious endowment' or endowment means all property belonging to or given or endowed for the support of a religious institution or given or endowed for the performance of any service or charity connected therewith and includes the premises of the religious institution as will as the idols, if any installed therein and any public charity associated with a Hindu festival or observance of a religious character, whether connected with a religious instititiution or not, but does not inclu-

Page No.94

(श्री दामोदरलाल व्यास)

-de gifts of property made as personal gifts to the trustee or hereditary trustee or working trustee of such institution or to any service holder or other employee thereof;

(12B). 'religious institution' or 'institution' means an institution for the promotion of any religion or persuation and includes a temple, math and any religious establishment or any place of religious worship for religious instruction whether or not appurtenant to such instition;

(12C). 'specific endowment' means any property or money endowed for the performance of any specific service or charity in a religious institution.,

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय का जो अमेन्ड मेन्ट है वह पहले सरकुलेट होना चाहिये ताकि मेम्बर लोग जांच करके इस में किसी प्रकार की खामियां हैं उनको दूर की जा सके। यह टेकनिकल सबजेक्ट है इसलिये इसकी परिभाषा आदि है उसको अच्छी तरह देखना चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसको सरकुलेट कर दिया जाय और इसको कल ले लिया जा।

श्री सभापति : He has taken permission of the Chair and he has been allowed.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) We don't object o that.

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं आपकी आज्ञा से इसको मूव कर चुका आगे इस पर बहस कल रखी जाय। इसको सरकुलेट कर दिया जाय और जो कुछ मुझे इस पर कहना है मैं कल अर्ज करूंगा। I will explain these provisions tomorrow.

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल दिनांक १ मई १९५९ के प्रातः ८ बजे तक स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही दिनांक १ मई, ५९ के ८ म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।)

संक्षिप्त-विवरण

(गुरुवार, ३० अप्रेल, १९५९)

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर ६१२८

न्याय पालिका तथा कार्य पालिका का पृथक करण

बारां नगर में चोरियां

हिन्डौन से जगर-बांध तक सड़क निर्माण

पाली जिले के बूसी गांव के भूतपूर्व सरपंच के विरुद्ध खयानत व गबन का मामला

नगरपालिकाओं द्वारा कम्पोस्ट मेन्योर तैयार करने के संबन्ध में सहकारी समितियों को लोन देते समय उसमें कटौती

पंचायतों के अधिकार

बीकानेर पॉवरहाउस के मिनिस्टीरियल स्टाफ का वेतन

१९५३-५४ में अधिक अन्न उपजाओ योजना के अन्तर्गत अमोनिय सलफेट का क्रय तथा वितरण

ग्राम बालुन्दा, तहसील मांगरोल के पास नहर पर पुल

तहसील दौसा में औषधालय

पशु उन्नति का माप दण्ड

स्कम्भ

श्री भागीरथसिंह की गिरफ्तारी

जयपुर नगर के निकट ग्राम रामपुरा, गोपालपुरा, भोजपुरा को पंचायत क्षेत्र में लेने के सम्बन्ध में

चाकसू से गोलीराव तालाब तक सड़क निर्माण

पार्वती बांध में पिचिंग कार्य

चूरू जिले में अस्पताल व डिस्पेन्सरी

बुनकर सहकारी समिति, किशोरपुरा

भरतपुर जिले के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सहकारी संघ का आवेदन-पत्र

जोधपुर नगरपालिका का क्षेत्र

बांसवाडा-डूंगरपुर सड़क

भाखरा जोन में गाडोलिया लुहार, घोड़ा ब्रीड फार्म इत्यादि के लिए रिजर्व भूमि

भरतपुर में नल लगाने का कार्य

भूतपूर्व अजमेर राज्य के काश्तकारों द्वारा कम्प्रेशर मशीन के लिये ३००) रु० जमा कराने के संबंध में

डेजर्ट एरिया को रिक्लेम करने के संबंध में

किसानों से नजराने की वसूली ग्राम पंचायतों को सहायता तथा लोन

विधायी कार्य

विचारार्थ लिया गया विधेयक

राजस्थान हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास विधेयक, १६५८ ६१६०

उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने के प्रस्ताव पर आज भी विचार जारी रहा। वाद-विवाद में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया :—

(१) श्री जगदीश प्रसाद माथुर

(२) श्री किशन सिंह

(३) श्री अनोपसिंह

(४) श्री गोकुलचन्द

(५) श्री रामधन,

(६) श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल।

राजस्व मंत्री के उत्तर के पश्चात् डा० चन्द्रकला ने अपना संशोधन वापस ले लिया तथा विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रसारित किये जाने का प्रस्ताव अस्वीकृति हुआ। तत्पश्चात् विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर उस पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

शुक्रवार दिनांक १ मई, ५६ की कार्य सूची

१. राजस्थान हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास विधेयक, ५८।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १२६५ का उत्तर देखिये)

INCOME DERIVED FROM THE SALE PROCEEDS OF COMPOST MANURE

S. No.	Name of Municipal Board	1952-53.	1953-54	1954-55	1955-56	1956-57
1	Jaipur.	8939/-	5713/-	3099/-	2757/-	2503/-
2	Kishangarh.	127/-	251/-	44/-	258/-	187/-
3	Sarwar.	77/-	175/-	208/-	230/-	387/-
4	Sambhar.	80/-	72/-	103/-	-	60/-
5	Chomu.	2098/-	1863/-	3183/-	1505/-	3424/-
6	Narain.	5/-	183/-	32/-	-	19/-
7	Dausa.	150/-	150/-	-	-	385/-
8	Lalasot.	146/-	234/-	-	70/-	220/-

1	2	3	4	5	6	7
9	Kotputli.	100/-	99/-	205/-	274/-	288/-
10	Phulera.	211/-	30/-	-	-	201/-
11	Bandikui.	-	-	33/-	-	672/-
12	Amber.	21/-	13/-	16/-	26/-	2550/-
13	Bairath.	25/-	-	50/-	50/-	-
14	Chaksu.	-	-	19/-	-	-
15	Sikar.	680/-	636/-	-	715/-	533/-
16	Lxmangarh.	122/-	-	290/-	407/-	251.37
17	Fetehpur.	106/-	162/-	151/-	148/-	-
18	Ramgarh.	82/-	96/-	77/-	134/-	—
19	Khandela.	63/-	—	65/-	82/-	88.75
20	Nima ka Thana.	117/-	17/-	39/-	41/-	62/-
21	Shri Madhopur.	407/-	388/-	412/-	345/-	731/-

1	2	3	4	5	6	7
22	Losal.	—	7/-	—	15/-	35/-
23	Pirawa.	22/-	—	—	—	95/-
24	Nawalgarh.	—	2/-	45/-	—	225/-
25	Khetari.	138/-	136/-	134/-	200/-	225/-
26	Mukandgarh.	—	13/-	4/-	23/-	5.75
27	Bissau.	—	—	—	6/-	—
28	Udaipurwati.	—	—	90/-	316/-	251/-
29	Karuali.	3815/-	4365/-	1889/-	3492/-	3352/-
30	Sawai Madhopur.	4/-	3/-	26/-	5/-	—
31	Newai.	80/-	19/-	44/-	—	825.25
32	Gangapur.	372/-	—	76/-	3/-	251/-
33	Hindaun.	481/-	1141/-	401/-	342/-	691.50
34	Todabhim.	39/-	35/-	24/-	10/-	—

1	2	3	4	5	6	7
35	Mālpura.	—	31/-	17/-	84/-	154/-
36	Uniyara.	49/-	39/-	33/-	89/-	38.88
37	Todaraisingh.	134/-	568/-	95/-	35/-	—
38	Alwar.	—	8695/-	7070/-	7741/-	11512/-
39	Rajgarh.	97/-	41/-	563/-	59/-	—
40	Kherli.	91/-	135/-	44/-	372/-	365/-
41	Tijara	23/-	22/-	47/-	52/-	—
42	Dholpur.	281/-	661/-	—	515/-	715/-
43	Bayana.	228/-	120/-	109/-	92/-	—
44	Bari.	—	—	—	87/-	48/-
45	Kumbhar.	35/-	—	35/-	22/-	—
46	Weir.	94/-	83/-	—	8/-	—
47	Bhusawar,	14/-	50/-	100/-	48/-	170/-

1	2	3	4	5	6	7
48	Bikaner.	70/- (Budget not Available.)				
49	Ratan garh.	135/-	—	160/-	170/-	—
50	Rajgarh.	176/-	50/-	135/-	100/-	170/-
51	Sujangarh	100/-	100/-	111/-	135/-	50/-
52	Chapar.	—	—	—	10/-	—
53	Ratangarh.	—	—	4/-	2/-	280/.
54	Ganganagar.	7732/-	12354/-	17436/-	12445/-	11500/-
55	Karanpur.	—	478/-	—	1220/-	7858/-
56	Raisinghnagar.	950/-	1400/-	977/-	1300/-	—
57	Gagisinghpur.	260/-	360/-	165/-	360/-	—
58	Nohar.	—	—	—	45/-	50/-
		28,956/-	40,518/-	37354/-	370,41/-	47,34767
59	Jodhpur.	—	—	223/-	500/-	183/-

1	2	3	4	5	6	7
60	Nagaur.	—	37/-	50/-	65/-	—
61	Nawa.	451/-	334/-	135/-	30/-	155/-
62	Parabatsar.	—	—	—	100/-	214/-
63	Kuchaman City.	—	—	—	268/-	248/-
64	Pali.	—	—	215/-	488/-	664/-
65	Bali.	—	—	140/-	52/-	18/-
66	Balotra.	—	13/-	7/-	90/-	31/-
67	Sirohi.	—	106/-	108/-	90/-	31/-
68	Shivganj.	—	—	—	200/-	215/-
69	Uddaipur.	—	—	2189/-	5150/-	—
70	Nathdwara.	521/-	900/-	700/-	734/-	—
71	Rajasamand.	28/-	80/-	323/-	772/-	80/-
72	Deogarh.	—	115/-	47/-	64/-	230/-

1	2	3	4	5	6	7
73	Dungarpur.	139/-	420/-	420/-	279/-	379/-
74	Sagwara.	2/-	9/-	—	26/-	4/-
75	Galiakot.	—	—	—	7/-	10/-
76	Chittorgarh.	334/-	405/-	379/-	364/-	320/-
77	Pratapgah.	1228/-	1368/-	—	—	1750/-
78	Nimbahera.	—	—	1180/-	646/-	360/-
79	Kapasin.	117/-	—	104/-	85/-	153/-
80	Chotisadari.	—	216/-	546/-	500/-	500/-
81	Begun.	—	21/-	28/-	189/-	73/-
82	Bhilwara.	728/-	1194/-	1128/-	2286/-	1507/-
83	Shahpura.	33/-	—	14/-	—	—
84	Gangapur.	100/-	100/-	125/-	100/-	185/-
85	Banswara.	325/-	111/-	39/-	—	24/-

1	2	3	4	5	6	7
86	Kishangarh.	98/-	106/-	68/-	117/-	170/-
87	Kota.	354/-	608/-	220/-	434/-	—
88	Bara.	80/-	20/-	37/-	40/-	—
89	Ramganjmandi.	341/-	265/-	354/-	135/-	—
90	Chabra.	—	185/-	231/-	—	297/-
91	Indergarh.	9/-	18/-	43/-	34/-	-
92	Bundi.	1033/-	1541/-	1006/-	397/-	-
93	Nainwa.	200/-	200/-	300/-	59/-	108/-
94	Lakheri.	40/-	--	-	--	-
95	Keshorai patan.	68/-	91/-	93/-	105/-	75/-
96	Jhalarapatan.	150/-	200/-	119/-	159/-	-
97	Jhalawar.	355/-	323/-	658/-	570/-	-
98	Bhawani Mandi.	263/-	396/-	680/-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
99	Pirawa.	191/-	35/-	50/-	45/-	-
100	Ajmer.	-	516714/-	3958/-	2928/-	4852/-
		36045/-	57182/24/-	60011/-	55071/-	60933/-

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १३०७ का उत्तर देखिये)

LIST OF THE MEDICAL INSTITUTIONS IN CHURU DISTT. WITH THEIR BUDGET GRANT (EXCLUDING PAY AND ALLOWANCES OF THE STAFF) FOR THE YEAR 1958-59.

S. No.	Name of the Institution.	Location.	Budget grant for 58-59
1.	S. M. J. Hospital	Ratangarh.	43,350/-.
2.	R. B. Mahila Chikitsalaya.	Ratangarh.	
3.	R. D. Hospital, Charu.	Churu	10,375/-.
4.	Government Dispensary.	Sujangarh.	8,355/-.
5.	S. T. M. Dispensery.	Bidasar.	3,645/-.
6.	Government Dispensary.	Chhapar.	2, 455/-.
7.	Government Dispensary	Shri Doongargarh.	3,040/-.
8.	Government Dispensary	Rajgarh	4,365/-.
9.	Government Dispensary.	Taranagar	2640/-.
10.	Government Dispensary	Moma sar	1,700/-.
11.	Government Dispensary.	Sidhimukh	1,150/-.
12.	Government Dispensary.	Rajaldesar	1,375/-.
13.	Government Dispensary.	Ratan Nagar	1,750/-.
14.	Primary Health Centre	Sardarsrharh	39,600/-.
15.	Primary Health Centre	Parihara	23,600/-.
16.	Shrimati Phagwan Devi Lohiya Matesrity Hospital.	Sujangarh.	2,525/-.
17.	Maternity & Child welfare Centre	Bidasar.	1,000/-.
18.	Shrimati Mahadevi Birla. Lady		

1	2	3	4
	Hospital & Maternity Home.	Sardasharh	
19.	Family Planning Centre	Ratangarh.	4,925/-.
20.	Family Planning Centre	Bidasar	1,000/-.
21.	Family Planning Centre	Rajgarh	930/-.

No. 18 was opened on 25. 5. 1958, and expenditure was expedited from the Consolidated budget with D. M. H. O. Ratangarh.

परिशिष्ट ६

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १२३६ का उत्तर देखिये)

भीलवाड़ा जिले की पंचायतों को पंचायत भवन निर्माण हेतु पंचायत विभाग से दी गई सालवार सहायता की सूची

सन् जिसमें सहायता दी गई	ग्राम पंचायत	तहसील	सहायतार्थ जो द्रव्य दिया गया
१६५०–५१	बेगू	बेग	१५००.००
१६५१–५२	बेगू	बेगू	१५००.००
,,	शम्भूगढ़	आसीन्द	३५०.००
१६५२–५३	ककोठिया	शाहपुरा	५००.००
	बरसणी	आसीन्द	७५०.००
	आमरवासी	जहाजपुर	३००.००
१६५३–५४	लाडपुरा	मांडलगढ़	८००.००
	करेड़ा	रायपुर	१०००.००
	बरसणी	आसींद	८००.००
	पारोली	कोटड़ी	१०००.००
	पंडेर	जहाजपुर	१०००.००
	आमरवासी	जहाजपुर	१०००.००
	बछखेड़ा	शाहपुरा	१०००.००
	आगूचा	हुरड़ा	८००.००
	कोठिया	शाहपुरा	८००.००
	कनछैन	शाहपुरा	१०००.००

शुद्धि-पत्र

(३० अप्रेल, १९५९)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
९१२९	३	on tne table	on the table
९१२९	९	rport	report
९१२९	अन्तिम	ation	consideration
९१४०	१७	पशासनिक	प्रशासनिक
९१४३	अन्तिम से ४	तेश	तैश
९१४८	२	Agricultured ecpartment	Agriculture Department
९१४८	शीर्षक	२९ अप्रेल ५९	३० अप्रेल ५९
९१५०	,,	२९ अप्रेल ५९	३० अप्रेल ५९
९१५२	१५	सिफारिशों	सिफारिश
९१५५	अन्तिम से १०	ग्रांम	ग्राम
९१६३	१	जिनके	जिनको
९१६९	७	inquiry	enquiry
९१७६	अन्तिम से १२	क्या सही है	क्या यह सही है
९१७८	१	श्री तेज राम गेलोत	श्री तेजाराम गहलोत
९१८४	५	मैं। दे है	मैंने दे दी है।
९१८७	१	उनको रिजन्स देना होगा	आपको रीजन्स देना होगा।
९१८७	१६	आपके जवाब	आपके पास जवाब
९१८८	१२	बेडोट	इवेड्
९१८९	अन्तिम से ७	ग्रश्न	प्रश्न
९२०४	६	जिर्णोद्धार	जीर्णोद्धार
९२०७	९	लिया	लिये
९२०८	२	रिक्साना	खिसकाना

(२)

१	२	३	४
६२१४	४	ट्रेसट्रेटर	ट्रस्टेटर
६२१४	१४	ट्रस्टेर	ट्रस्टेटर
६२४२	६	प्रोक्लेमेशने	प्रोक्लेमेशन
६२४३	६	Clases	Classes
६२४४	७	State af	State of
६२४५	अन्तिम से ३	Furthor	Further
६२५४	१८	कॉन्शनेस	कॉन्शस्नेस
६२६४	१६	brred	barred
६२६७	२२	इन्टरप्रेशन	इन्टरप्रिटेशन
६२७२	३	पर्पज़	पर्पज़ है
६२७८	१८	O public	of public
६२७६	६	द्रस्ट	ट्रस्ट
६२८३	१२	A yes	Ayes
६२८३	१३	Nose	Noes
६२८३	१५	New	Now
६२८७	१६	in inhabit	in habit
६२८७	२५	द्रस्ट	ट्रस्ट
६२६६	अन्तिम से १६	श्री पी० के० चौधरी	विलोपित कीजिये
६२६७	,, ,, १३	invest of these	invest of these
६२६८	,, ,, ५	we by a	by a
६२६६	२०	इगकम	इन्कम
६३०१	१६	रोग	रोग
६३०२	१७	thair	their
६३०२	अन्तिम से १४	एम्लीकेशन	एम्पलीकेशन
६३०२	अन्तिम से ३	includs	includes
६३०८	१४	Parteking	Partaking
६३०८	१५	Parking	Partaking
६३१०	११	temble	temple
६३११	१६	न हो	न हो

(३)

१	२	३	४
६३११	२०	विवाश्स	विश्वास
६३१३	१	Suchas	Such as
६३१३	अन्तिम से ६	as will as	as well as
६३१५	३	लिया जा	लिया जाये
६३२५	१३	Uddaipur	Udaipur
६३२६	१०	Charu	Churu
६३२६	१२	Dispensery	Dispensary
६३२६	अन्तिम से ६	Sardarsrh **arh**.	Sardarsharh
६३३०	२	Sardasharh	Sarda rsharh